

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

रिपोर्ट 22.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

मध्य प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		ix
कार्यपालन सारांश		xi
अध्याय-1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य की रूपरेखा		1
प्रस्तावना	1.1	2
2012-13 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	3
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ें	1.1.3	5
जेण्डर बजटिंग	1.1.4	6
राज्य के संसाधन	1.2	8
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	8
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण	1.2.2	10
राजस्व प्राप्तियां	1.3	11
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	13
कर राजस्व	1.3.1.1	14
करेत्तर राजस्व	1.3.1.2	15
भारत सरकार से सहायतानुदान	1.3.2	16
केंद्रीय कर अंतरण	1.3.3	17
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग	1.3.4	17
संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)	1.3.5	20
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	21
विनिवेश से प्राप्ति	1.4.1	21
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां	1.4.2	21
लोक ऋण प्राप्तियां	1.4.3	21

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
लोक लेखे प्राप्तियां	1.5	22
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	22
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.6.1	23
पूंजीगत व्यय	1.6.2	25
राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति	1.6.3	25
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.4	26
राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1.6.5	29
स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएँ एवं निधियों का हस्तांतरण	1.6.5.1	29
व्यय की गुणवत्ता	1.7	33
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	33
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	34
सरकारी व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	36
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.1	36
निवेश तथा प्रतिलाभ	1.8.2	37
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं	1.8.3	38
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.8.4	38
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.8.5	39
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	1.9	40
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना	1.9.1	40
राजकोषीय देयताएं	1.9.2	41
समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना	1.9.3	42
गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	1.9.4	42
असंचालित आरक्षित निधियाँ	1.9.5	44
ऋण प्रबंधन	1.10	44
ऋण धारणीयता	1.10.1	44

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
ऋण स्थिरीकरण	1.10.2	45
ऋणेतार प्राप्तियों की पर्याप्तता	1.10.3	45
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	1.10.4	46
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा	1.10.5	46
राजकोषीय असंतुलन	1.11	47
राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप	1.11.1	48
मध्य प्रदेश सरकार की बाजार उधारियां	1.12	49
प्रस्तावना	1.12.1	49
मध्य प्रदेश में बाजार उधारियों की स्थिति	1.12.2	50
ऋण धारणीयता संकेतक-कुल देयताओं की तुलना में बाजार कर्ज	1.12.3	50
पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद बाजार कर्ज का लिया जाना	1.12.4	51
बाजार उधारियों के लिए अग्रिम संकेतक कैलेंडर	1.12.5	52
बजट अनुमानों, पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों की तुलना में योजना आयोग द्वारा बाजार उधारियों की उधार सीमा	1.12.6	52
बाजार कर्जों की परिपक्वता प्रवृत्ति	1.12.7	53
ब्याज दर रूपरेखा	1.12.8	54
बाजार उधारी के उपयोग की निगरानी हेतु प्रणाली	1.12.9	54
घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता	1.13	55
निष्कर्ष	1.14	55
अनुशंसाएं	1.15	57
अध्याय-2		
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	59

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	59
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	61
आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग-सारभूत बचतें	2.3.1	61
सतत बचतें	2.3.2	62
योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय	2.3.3	63
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.4	63
2012-13 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.5	63
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.6	63
अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	2.3.7	64
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण	2.3.8	65
अविवेकपूर्ण समर्पण	2.3.9	65
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.3.10	65
व्यय की अत्यधिकता	2.3.11	66
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	2.3.12	66
बिना प्रावधान के किया गया व्यय	2.3.13	66
बजट में नवीन मदों पर व्यय के लिये दिए गए प्रावधान का उपयोग न होना	2.3.14	67
परिवार पेंशन का आधिक्य भुगतान	2.3.15	67
अनुदान क्रमांक-19 की समीक्षा-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2.4	68
सारांशीकृत स्थिति	2.4.1	68
महत्वपूर्ण बचतें	2.4.2	69
अप्रयुक्त अनुपूरक प्रावधान	2.4.3	70
बजट अनुमानों की तैयारी	2.4.4	70

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
पूंजीगत अनुभाग के स्थान पर राजस्व अनुभाग में उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों के अंतर्गत बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण	2.4.5	70
निष्कर्ष	2.5	71
अनुशंसाएं	2.6	71
अध्याय-3		
वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	3.1	73
स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.2	74
दुर्विनियोग, हानियां, गबन इत्यादि की सूचना	3.3	75
विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4	76
संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4.1	76
विभागीय आंकड़ों का मिलान न होना	3.5	77
लघु शीर्ष ' 800-अन्य प्राप्तियां ' एवं ' 800-अन्य व्यय ' के अंतर्गत बुकिंग	3.6	78
निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों को प्रस्तुत न करना	3.7	79
व्यक्तिगत जमा लेखे	3.8	79
निष्कर्ष	3.9	82
अनुशंसाएं	3.10	82

परिशिष्ट

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	85
1.2 भाग क	सरकारी लेखों की संरचना	86
1.2 भाग ख	पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2013 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र	87
1.3 भाग क	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली	88
1.3 भाग ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005	89
1.3 भाग ग	चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति	91
1.4	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े	92
1.5 भाग क	वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश	96
1.5 भाग ख	31 मार्च 2013 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	100
1.6	योजनाओं का विवरण जिनमें जेण्डर बजट 2012-13 में निर्धारित प्रतिशत से कम व्यय था	102
1.7	वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान राजसहायता भुगतानों का विवरण	103
1.8	राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण	106
1.9 भाग क	अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण किया गया- जल संसाधन विभाग	107
1.9 भाग ख	अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-जल संसाधन विभाग	108
1.9 भाग ग	अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिनमें वास्तविक व्यय, प्रारंभिक बजट से अधिक है लेकिन लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-जल संसाधन विभाग	109

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.10	विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की सितंबर 2013 तक की स्थिति	110
1.11 क	खजाना बिलों में निवेश में उपलब्ध नकदी शेष की तुलना में लिए गए बाजार कर्जों का वर्षवार एवं दिनांकवार विवरण	111
1.11 ख	14 दिनी खजाना बिल में निवेश के अंतर्गत न्यूनतम नकद शेष जो वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किए गए	111
1.11 ग	प्रत्येक तिमाहीवार अग्रिम उधार कैलेंडर में प्रस्तावित उधारियों की तुलना में वास्तविक बाजार उधारियां	112
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र	113
2.2 (क)	तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें हुई	115
2.2 (ख)	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जिनमें व्यय प्रावधान से ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र	118
2.2 (ग)	प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10 करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा	123
2.3	पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है	131
2.4	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	133
2.5	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए	135
2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण	136
2.7	प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक तथा बचतों का 20 प्रतिशत से अधिक की समर्पित नहीं की गई बचतों के विवरण	138
2.8	31 मार्च 2013 को ₹ दस करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण	141

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.9	व्यय की अधिकता	142
2.10	निधियों का 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरण दिखाये जाने वाला विवरण पत्रक	147
2.11	बजट में प्रावधानित नवीन मद के व्यय के लिए ₹ एक करोड़ से अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त दिखाए जाने वाला विवरण पत्रक	149
2.12	चयनित अनुदान में योजनाओं के अधीन अप्रयुक्त प्रावधान	151
2.13	पूंजीगत अनुभाग से संबंधित पूंजीगत परिसंपत्तियों के उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों के अधीन प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक लाख तथा अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण	154
3.1	मार्च 2013 की स्थिति में लंबित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार जानकारी	155
3.2	दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधि अनुसार विश्लेषण	156
3.3	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के संबंध में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण	158
3.4	2012-13 के लिए अपलेखन के प्रकरणों के विभागवार विवरण	160
3.5	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग	161
3.6	लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुकिंग	162

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे के परीक्षण से उद्भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं। जहाँ आवश्यक हुआ, मध्य प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।
3. वित्तीय प्रतिवेदन पर तीसरा अध्याय, वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति और विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों में संव्यवहार की लेखापरीक्षा एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियां सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियां सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आंकलन के उद्देश्य से लाया गया है जो कि वित्तीय आंकड़ों (डाटा) के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित है। विश्लेषण को परिदृश्य देने के उद्देश्य से, हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के लक्ष्यों, बजट दस्तावेजों, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मानक और विभिन्न शासकीय विभागों और संस्थानों से प्राप्त अन्य वित्तीय आंकड़ों से करने का प्रयास किया है।

प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर विश्लेषणात्मक समीक्षा है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखा परीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2013 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेंतर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त राज्य के समग्र वित्त, वास्तविक व्यय की तुलना में बजट अनुमानों, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायताओं, व्यय तथा उधार पद्धति की प्रवृत्ति पर अंतरदृष्टि डालता है। यह विकास, सामाजिक क्षेत्र और पूंजीगत व्यय पर राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित एक अनुदान यथा मांग संख्या 19 की समीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां भी दी गई हैं।

अध्याय 3 में विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ मध्यप्रदेश सरकार के अनुपालन की एक सूची है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहीत आंकड़ों का संकलन भी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 7,459 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाए रखा। तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,451 करोड़ की कमी आई। यद्यपि, राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 9,420 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से (₹ 3,660 करोड़ की) वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा में 2011-12 में 1.86 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2011-12 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों (₹ 70,427 करोड़) में 12.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि ने बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाई, उसके पश्चात् 2011-13 के दौरान धीरे-धीरे कमी आई जिसका मुख्य कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था। 2012-13 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं 47 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान का योगदान था।
- 2012-13 के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (16.85 प्रतिशत) भारत की सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (13.26 प्रतिशत) से उच्चतर थी।

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- राज्य के राजस्व व्यय में 2011-12 में ₹ 52,694 करोड़ से 2012-13 में ₹ 62,968 करोड़ तक 19.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 21.65 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई एवं यह राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 39.83 प्रतिशत अधिक था लेकिन राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों के लगभग बराबर था।
- 2012-13 में पूंजीगत व्यय (₹ 11,567 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत थी।
- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगियां एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 51 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। कुल ₹ 5,697 करोड़ की राजसहायता भुगतानों में से, 47 प्रतिशत उर्जा विभाग से संबंधित थे।

- 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर निधियों का अंतरण

- 2012-13 के दौरान, राज्य अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुल ₹ 6,233.66 करोड़ अंतरित किए गए थे। ये निधियां राज्य बजट से होकर नहीं गुजरी थीं। इस प्रकार की निधियों के उपयोग के अनुवीक्षण हेतु कोई पद्धति नहीं है।

अपूर्ण परियोजनाएं

- जल संसाधन विभाग में, मार्च 2013 तक 55 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 2,412.53 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसमें से 24 परियोजनाओं की आरंभिक अनुमानित लागत सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 2,067.92 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2012-13 के दौरान, सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों में किए गए ₹ 14,656.50 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ (₹ 18.38 करोड़) केवल 0.13 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.48 प्रतिशत थी।

निधियों की निवल उपलब्धता

- वर्ष 2012-13 के दौरान, आंतरिक ऋणों का पुनर्भुगतान, भारत सरकार से कर्ज एवं अन्य दायित्व तथा उन पर ब्याज नवीन ऋणों का 86 प्रतिशत था जिससे परिसंपत्तियों के सृजन हेतु बहुत कम निधियां उपलब्ध थीं।

देयताओं का प्रबंधन

- वर्ष 2012-13 के अंत में, राज्य की कुल देयताएं ₹ 90,168 करोड़ थीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात (24.92 प्रतिशत) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 36.8 प्रतिशत के भी भीतर था। तथापि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विषय में कुल देयताओं की उत्प्लावकता में 2011-12 में 0.44 से 2012-13 के दौरान 0.61 तक की वृद्धि हुई।
- 2012-13 के दौरान, राज्य की निवल बाजार उधारियों (₹ 3,363 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा। 2009-13 की अवधि के दौरान, सरकार ने पर्याप्त रोकड़ शेष होते हुए भी बाजार कर्ज लिए, जो कि कम ब्याज देने वाली "14 दिनी खजाना बिल" में निवेश किए गए थे। वार्षिक

आयोजनाओं, बजट अनुमानों एवं पुनरीक्षित अनुमानों में बाजार उधारियों का आंकलन अविवेकपूर्ण था।

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियन्त्रण

- 2012-13 के दौरान ₹ 1,01,423 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 83,962 करोड़ का व्यय हुआ। 2012-13 के दौरान ₹ 10,581 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 17,461 करोड़ की समग्र बचत हुई थी। 11 प्रकरणों (आठ विभागों) में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक कुल ₹ 9,026 करोड़ (कुल बचतों का 52 प्रतिशत) की बचतें हुई थी।
- हमने देखा कि वर्ष के दौरान ₹ 5,670.36 करोड़ (कुल बचतों का 32 प्रतिशत) समर्पित किए गए। 33 प्रकरणों में महत्वपूर्ण बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) कुल ₹ 2,135 करोड़ वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित किए गए थे, जिससे इन निधियों का अन्य कार्यों के उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।
- ₹ 389 करोड़ की राशि वर्ष की समाप्ति पर लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित की गई थी जिससे राज्य की संचित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ होता है।
- ₹ 335 करोड़ का व्यय राज्य बजट में बिना प्रावधान के किया गया। 19 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन/समर्पण भी अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक योजना में बचत/आधिक्य हुए।
- 2012-13 के दौरान किए गए ₹ 0.24 करोड़ के आधिक्य व्यय हुए जिनकी संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमितीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 1997-98 से 2011-12 की अवधि से संबंधित ₹ 3,015 करोड़ भी अनियमित रहे।

वित्तीय प्रतिवेदन

- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों एवं कार्यविधियों के अनुपालन में कमी थी। ₹ 28,240.91 करोड़ के अनुदानों के संबंध में बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (38623) अनुदानग्राही संस्थानों से प्रतिक्रित थे जो विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।
- स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (57 महीनों तक का) हुआ जिससे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हुई।
- ₹ 51.76 करोड़ की राशियों की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के प्रकरणों के निर्वतन में सरकार का अनुपालन लंबित था।

- 2012-13 की समाप्ति पर संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर आहरित ₹ 15.24 करोड़ के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयक प्रतीक्षित थे।
- 31 मार्च 2013 को, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 2,063 करोड़, 904 व्यक्तिगत जमा लेखे में रोक कर रखे गए थे।
- 2012-13 के दौरान 23 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 27,580.95 करोड़ की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया।

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि (308 हजार वर्ग किलोमीटर) से दूसरा एवं जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़) की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों¹ से मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में निर्दिष्ट किया गया है, राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 2001 में 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 2011 में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (अनंतिम आंकड़े) हुई। राज्य ने 2003-04 से 2012-13 के दौरान 16.58 प्रतिशत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (38.30 प्रतिशत) अखिल भारतीय औसत (21.92 प्रतिशत) से उच्चतर था। 2012-13 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,61,874 करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष से 16.85 प्रतिशत बढ़ा। राज्य की साक्षरता दर में आंशिक वृद्धि 2001 में 69.69 प्रतिशत से 2011 की जनगणना अनुसार 70.63 प्रतिशत हुई जो कि अखिल भारतीय औसत 74.04 प्रतिशत (2011 जनगणना) से निम्नतर थी। 2003-04 से 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय (13.06 प्रतिशत) में दशकीय वृद्धि सामान्य श्रेणी के राज्यों (14.94 प्रतिशत) की तुलना में निम्न थी।

राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े (इसमें विकास सूचक सम्मिलित) परिशिष्ट 1.1 में दिए गए हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया है:

¹ बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगाँव एवं सुरगुजा।

वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की
वार्षिक संवृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (QE)*	2012-13 (AE)*
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	53,03,567	61,08,903	72,66,967	83,53,495	94,61,013
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.75	15.18	18.96	14.95	13.26
वर्तमान मूल्य पर मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,97,276	2,27,984	2,60,198	3,09,687	3,61,874
सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®] की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85

(स्रोत: योजना आयोग आंकड़ा तालिका एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार)

*QE- त्वरित अनुमान, AE- अग्रिम अनुमान

[®] वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2010-11 एवं 2011-12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उत्लावकता पुनरीक्षित कर दी गई है।

2010-13 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार निष्पादन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	2010-11 (P)	2011-12 (Q)	2012-13 (A)
प्राथमिक क्षेत्र ²	63,698 (24)	80,093 (26)	95,088 (26)
द्वितीयक क्षेत्र ³	77,178 (30)	88,241 (28)	99,717 (28)
तृतीयक क्षेत्र ⁴	1,19,323 (46)	1,41,353 (46)	1,67,069 (46)

(P)- अनंतिम, (Q)- त्वरित, (A)- अग्रिम

कोष्ठक में आंकड़े कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के अंशदान को दर्शाते हैं

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2012-13 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गई जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग-क** में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ-साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट 1.2 भाग-ख** में दर्शाई गई है।

² कृषि (पशुपालन सहित), वानिकी, मत्स्यपालन इत्यादि सम्मिलित हैं

³ खनन एवं खदान, उत्पादन, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, निर्माण इत्यादि सम्मिलित हैं

⁴ व्यापार, होटल एवं रेस्तराँ, परिवहन, भण्डारण, संचार, वित्त, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं, समुदाय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं इत्यादि सम्मिलित हैं

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों/ उच्चतम सीमाओं, चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्तियों एवं राज्य वित्त के समयबद्ध आंकड़े को परिशिष्ट 1.3 एवं परिशिष्ट 1.4 में चित्रित किया गया है।

1.1.1 2012-13 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष (2011-12) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करता है, जबकि परिशिष्ट 1.5 भाग-क वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका 1.1: 2012-13 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
					आयोजनेतर	आयोजना	योग
अनुभाग-क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	62,604.07	70,427.28	राजस्व व्यय	52,693.71	44,619.20	18,349.33	62,968.53
कर राजस्व	26,973.44	30,581.70	सामान्य सेवाएं	16,228.64	17,613.11	92.03	17,705.14
करेतर राजस्व	7,482.73	7,000.22	सामाजिक सेवाएं	20,296.94	12,686.85	11,688.62	24,375.47
संघ करों/शुल्कों का अंश	18,219.13	20,805.16	आर्थिक सेवाएं	12,964.91	11,019.66	5,803.69	16,823.35
केंद्र सरकार से अनुदान	9,928.77	12,040.20	सहायतानुदान तथा अंशदान	3,203.22	3,299.57	765.00	4,064.57
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22.65	31.45	पूंजीगत परिव्यय	9,055.16	23.91	11,542.98	11,566.89
			सामान्य सेवाएं	167.16	4.73	200.16	204.89
			सामाजिक सेवाएं	1,599.12	9.68	1,611.31	1,620.99
			आर्थिक सेवाएं	7,288.88	9.50	9,731.51	9,741.01
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	9,122.56	32.53	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	15,760.56	3,842.13	1,536.12	5,378.25
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.65	9.14	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	3.70			7.02
लोक ऋण प्राप्तियां	6,750.25	8,791.16*	लोक ऋण का पुनर्मुग्तान	3,149.79			3,583.94*
आकस्मिकता व्यय निधि	100.00	-	आकस्मिकता व्यय निधि	100.00			-
लोक लेखा प्राप्तियां	76,315.22	86,247.57	लोक लेखा संवितरण	73,279.04			82,735.57
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	6,900.44	7,775.88	अन्तिम रोकड़ शेष	7,775.88			7,074.81
योग	1,61,817.84	1,73,315.01	योग	1,61,817.84			1,73,315.01

*अर्थात् अग्रिम एवं अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देनों को छोड़कर।

(स्रोत: वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 7,823.21 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि स्वयं के कर राजस्व (₹ 3,608.26 करोड़ से), संघ के करों/शुल्कों के अंश (₹ 2,586.03 करोड़ से) एवं भारत सरकार से अनुदान और अंशदान (₹ 2,111.43 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। 2012-13 के लिए वास्तविक राजस्व प्राप्तियां मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 513.77 करोड़ अधिक रहीं।
- राजस्व व्यय में ₹ 10,274.82 करोड़ (19.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,858.44 करोड़ से), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 4,078.53 करोड़ से), सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 1,476.50 करोड़ से) एवं अनुदान और अंशदान (₹ 861.35 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

- पूंजीगत व्यय में ₹ 2,511.73 करोड़ (28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 2,452.13 करोड़ से) के अंतर्गत थी। सामान्य सेवा क्षेत्र एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धि क्रमशः ₹ 37.73 करोड़ एवं ₹ 21.87 करोड़ थी।
- लोक ऋण प्राप्तियों (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर) में ₹ 2,040.91 करोड़ (30.23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि लोक ऋण के पुनर्भुगतान में ₹ 434.15 करोड़ (13.78 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 9,932.35 करोड़ (13 प्रतिशत) एवं ₹ 9,456.53 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार के नकद शेषों में ₹ 701.07 करोड़ की कमी आई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबंधन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2012-13 के बजट के साथ (क) वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण और (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण को रखा है। चयनित संकेतकों के लिए 2010-11 के लिए वास्तविक, 2011-12 के लिए पुनरीक्षित अनुमान एवं 2012-13 के लिए बजट अनुमान मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत है (परिशिष्ट 1.3 भाग-ग)।

तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित राजकोषीय पूर्वानुमान को तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2 : 2012-13 हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं तेरहवें वित्त आयोग के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राज्य के लिए तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
राजस्व घाटा(-)/आधिक्य (+)	0.0 प्रतिशत	राजस्व घाटे को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में घटाया जाए ताकि इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके एवं उसके पश्चात राजस्व आधिक्य उत्पन्न किया जा सके	(+) 6,370 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.89 प्रतिशत)	(+) 7,459 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.06 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा(-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.0 प्रतिशत	31 मार्च 2012 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न	(-) 10,018 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 9,420 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.60

		हो, तक कम करना	का 2.98 प्रतिशत)	प्रतिशत)
कुल बकाया ऋणों का अनुपात	36.80 प्रतिशत	31 मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत	28.09 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.92 प्रतिशत
बकाया गारंटियां	---	पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 7.99 प्रतिशत	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 12.33 प्रतिशत


(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंधान 2010-15, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, 2012-13 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2012-13)

- राज्य ने 2004-05 में राजस्व आधिक्य उपार्जित कर लिया था और उसके पश्चात आधिक्य को बनाए रखा।
- 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.60 प्रतिशत, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों, तेरहवें वित्त आयोग एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों में निर्धारित सीमा के भीतर था। तथापि 2011-12 की तुलना में यह अनुपात (1.86 प्रतिशत) उच्चतर था।
- कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 24.92 प्रतिशत पर 31 मार्च 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य (40 प्रतिशत) के भीतर था तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (36.8 प्रतिशत) के भीतर भी था। यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (28.09 प्रतिशत) से भी कम था।
- वर्ष के दौरान बकाया गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 12.33 प्रतिशत थीं जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों (80 प्रतिशत) में निर्धारित सीमा के भीतर थीं लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (7.99 प्रतिशत) के प्रक्षेपणों से अधिक थी।

1.1.3 बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय की परिशुद्धता का महत्व राजकोषीय नीतियों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के संदर्भ में समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों का प्राप्त न होना एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग न होना दर्शाता है।

चार्ट 1.1 2012-13 के लिए कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: वित्त लेखे और बजट अनुमान 2012-13)

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 70,427 करोड़) बजट अनुमानों से ₹ 513 करोड़ (0.7 प्रतिशत) अंशतः उच्चतर थीं।
- राज्य का कर राजस्व (₹ 30,582 करोड़) बजट अनुमान से ₹ 2,270 करोड़ (आठ प्रतिशत) अधिक था। आगे, करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 327 करोड़ (चार प्रतिशत) कम था।
- राजस्व व्यय बजट अनुमान से कम था जबकि पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से अधिक था क्रमशः ₹ 575 करोड़ (एक प्रतिशत) तथा ₹ 747 करोड़ (सात प्रतिशत)।
- ब्याज भुगतान बजट अनुमानों से ₹ 701 करोड़ (11 प्रतिशत) कम था जो कि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजना के लिए कर्जों पर ब्याज में कमी के कारण था।
- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे ने बजट अनुमानों के संदर्भ में सुधार दर्शाया जबकि प्राथमिक घाटा बजट अनुमानों से अधिक था।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। जेण्डर बजटिंग 2007-08 में शुरूआत की गई थी एवं जेण्डर बजट का पृथक खण्ड महिलाओं व लड़कियों से संबंधित बजट प्रावधानों का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए, बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणी में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं

से संबंधित थे। 2012-13 के दौरान, 22 विभागों⁵ में महिलाओं के हितलाभ हेतु बजट प्रावधान किए गए थे।

वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत (सितम्बर 2012) की गई जानकारी के अनुसार, 2008-09 से 2012-13 तक के वर्षों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में सम्मिलित वर्षवार आवंटन, व्यय और मांग की प्रतिशतता तालिका 1.3 में दी गई है।

तालिका 1.3: 2008-13 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2008-09	309.59	398.39	128.68	9,792.29	8,470.67	86.50
2009-10	638.68	868.67	136.01	11,977.79	1,510.02	12.61
2010-11	858.27	780.56	90.95	12,809.86	1,467.60	11.46
2011-12	1,510.02	1,245.41	82.48	20,500.64	6,908.51	33.70
2012-13	1,467.60	NA	NA	21,932.76	NA	NA

*NA- वित्त विभाग के पास उपलब्ध नहीं है

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदाय सूचना)

वित्त विभाग ने अनुदेश जारी किए (दिसम्बर 2006) कि रिपोर्टिंग से संबंधित अभिलेख एवं जेण्डर बजटिंग के अनुवीक्षण का संधारण संबंधित विभागों द्वारा किया जाना चाहिए एवं वित्त विभाग जेण्डर बजट से संबंधित समस्याओं को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जेण्डर बजटिंग शुरू होने के पश्चात महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के विश्लेषण एवं इस प्रकार के विश्लेषण के लिए उपलब्ध अध्ययन रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के बारे में पूछे जाने पर, वित्त विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया (सितम्बर 2013)। तथापि आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवाएं एवं महिला सशक्तीकरण (महिला एवं बाल विकास), भोपाल द्वारा प्रस्तुत (सितम्बर 2013) जानकारी के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(i) श्रेणी 1 के अंतर्गत तीन योजनाओं⁶ एवं श्रेणी 2 के अंतर्गत सात योजनाओं⁷ में 2012-13 के दौरान व्यय, श्रेणी 1 एवं 2 के लिए निर्धारित राशि से बहुत कम था जिसका विवरण परिशिष्ट 1.6 में दिया गया है।

⁵ 1. खेल एवं युवा कल्याण, 2. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, 3. किसान कल्याण एवं कृषि विकास, 4. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 5. नगरीय प्रशासन एवं विकास, 6. स्कूल शिक्षा, 7. पंचायत, 8. अनुसूचित जाति कल्याण, 9. सामाजिक न्याय, 10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, 11. पशुपालन, 12. उच्च शिक्षा, 13. जन शक्ति नियोजन, 14. विमानन, 15. महिला एवं बाल कल्याण, 16. ग्रामीण उद्योग, 17. पिछड़ा वर्ग कल्याण, 18. अनुसूचित जाति कल्याण, 19. ग्रामीण विकास, 20. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 21. आयुष विभाग, 22. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण

⁶ घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सहायता एवं सुरक्षा के लिए केंद्र (उषा किरण), महिला कल्याण निधि के अंतर्गत योजना एवं इंदिरा गांधी मातृ सहायता योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)

⁷ अटल बाल आरोग्य मिशन, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण, संचालनालय महिला बाल विकास का भवन निर्माण, समेकित बाल संरक्षण योजना, महिला बाल विकास के भवनों का रख-रखाव, परिवीक्षा इकाई एवं नाबार्ड अंतर्गत प्री फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण

(ii) 2012-13 के दौरान श्रेणी 1 (₹ 0.47 करोड़) एवं श्रेणी 2 (₹ 12.06 करोड़) के अंतर्गत योजनाओं से संबंधित ₹ 12.53 करोड़ औषधि किट, पंजियों की छपाई एवं सबला किट की खरीद के लिए रखे गए थे, को लोक लेखे (8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा शीर्ष के अंतर्गत) में अंतिम व्यय दर्शाते हुए अंतरित कर दिया गया था। योजना निधियों का जमा लेखे में अंतरण न केवल महिलाओं के लिए इच्छित हितलाभ प्राप्ति को प्रभावित करता है बल्कि उस वर्ष के व्यय को बढ़ा हुआ बताता है।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से उपार्जन सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.2 में 2012-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के संघटकों को श्रेणीबद्ध किया गया है।


चार्ट 1.2 संसाधनों के संघटक एवं उपसंघटक



तालिका 1.1 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि **चार्ट 1.3** वर्ष 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है एवं **चार्ट 1.4** 2012-13 के दौरान प्राप्तियों की संरचना का चित्रण करता है।



(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े की संवृद्धि दर प्रदर्शित करते हैं)
(स्रोत: वित्त लेखे)



(स्रोत: वित्त लेखे)

- वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 85, 11 एवं चार प्रतिशत समाविष्ट है। 2008-13 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (निवल लोक लेखे प्राप्तियां सहित) में 104 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में क्रमशः 110 प्रतिशत व 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-13 की अवधि के दौरान लोक लेखे के अंतर्गत निवल प्राप्तियों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।

- वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर केवल दो प्रतिशत थी। हमने देखा कि 2008-13 की अवधि के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का सापेक्ष अंश 77 प्रतिशत एवं 85 प्रतिशत के मध्य था। 2008-13 के दौरान कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का अंश 11 प्रतिशत एवं 19 प्रतिशत के मध्य था।
- 2011-12 में लोक ऋण प्राप्तियां ₹ 6,750 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 8.28 प्रतिशत) से 2012-13 में ₹ 8,791 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 10.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका कारण केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजना के लिए केंद्रीय सरकार से कर्ज एवं बाजार ऋण के अंतर्गत अधिक उधारियाँ थी।
- कुल पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 7,035 करोड़ (44.25 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से कर्ज एवं अग्रिम (₹ 9,090 करोड़ से) की वसूली में कमी एवं लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई (₹ 2,041 करोड़ से)।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण

केंद्र सरकार ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिये निधियों की बड़ी प्रमात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित करती है। वर्तमान तंत्र में, ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती हैं एवं इसलिए राज्य वित्त लेखे में उल्लेख नहीं होता है। इस तरह राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराते।

2011-12 में एवं 2012-13 के दौरान केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के संबंध में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई निधियों का विवरण तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4: राज्य में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियां

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कार्यक्रम/योजना का नाम	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/राज्य के विभाग	2011-12 में भारत सरकार द्वारा विमोचित	2012-13 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी, भोपाल	2,968.51	1,610.15
2	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन	1,904.27	1,353.43
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.)	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल	1,138.05	242.88
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) केंद्र प्रवर्तित (85:15)	राज्य स्वास्थ्य संस्था, मध्य प्रदेश	600.84	14.96
5	ग्रामीण आवास योजना-आई.ए.वाई. (75:25)	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	426.68	237.89
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल प्रदाय मिशन, मध्य प्रदेश. भोपाल	140.09	550.37
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	242.39	461.22
8	उत्कृष्टता के चिह्न के रूप में खण्ड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	202.74	22.93
9	केंद्रीय ग्रामीण सफाई योजना	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	150.76	257.80

स. क्र.	कार्यक्रम/योजना का नाम	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/राज्य के विभाग	2011-12 में भारत सरकार द्वारा विमोचित	2012-13 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100)	राज्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान	146.82	247.15
11	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	142.00	167.36
12	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	जिलाधीश (सभी जिले)	132.10	223.00
13	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. एम.पी.)	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	1.32	128.30
14	आजीविका	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	115.39	142.71
15	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	संचालक, उद्यानिकी, मध्यप्रदेश	109.64	63.84
16	भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, खाद्य शिल्प संस्थान इत्यादि को सहायता	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान	12.54	16.92
17	अन्य		367.62	492.75
योग			8,801.76	6,233.66


(स्रोत: वित्त लेखे)

2012-13 के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 1,65,539 करोड़)⁸ में प्रत्यक्ष रूप से अंतरण पर प्राप्त राशि (₹ 6,233.66 करोड़) सम्मिलित नहीं है।

भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित निधियों के प्रभावी उपयोग में निगरानी व्यवस्था में पर्याप्त नियंत्रण पद्धति होना चाहिए। तथापि, सरकार में इन निधियों के उपयोग के अनुवीक्षण की कोई पद्धति नहीं थी, जोकि राजकोषीय प्रचालन एवं जवाबदेही में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 की पारदर्शिता की अपेक्षा को समाप्त कर सकता है।


1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केंद्रीय कर अंतरणों एवं भारत सरकार से सहायता-अनुदान समाविष्ट हैं। 2008-13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः चार्ट 1.5 एवं 1.6 में भी चित्रित की गई हैं।



(कोष्ठक में आंकड़े संवृद्धि दर दर्शाते हैं)
(स्रोत: वित्त लेखे)

⁸ इसमें सकल लोक लेखा प्राप्तियां सम्मिलित हैं।



(स्रोत: वित्त लेखे)

सामान्य प्रवृत्तियां

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2008-09 में ₹ 33,577 करोड़ से 2012-13 में ₹ 70,427 करोड़ तक 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया जिसमें कर राजस्व (43 प्रतिशत) एवं करेत्तर राजस्व (10 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 47 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था।
- 2008-13 की अवधि के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सापेक्ष अंशदान 41 प्रतिशत एवं 43 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि करेत्तर राजस्व ने परिवर्ती (Fluctuating) प्रवृत्तियां प्रदर्शित की जो कि 10 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत के मध्य रहा। 2008-13 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान के साक्षेप अंशदान ने भी वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई।
- 2012-13 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कुल ₹ 7,823 करोड़ की वृद्धि में, ₹ 4,697 करोड़ (60 प्रतिशत) केंद्रीय अंतरणों एवं शेष ₹ 3,126 करोड़ (40 प्रतिशत) राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	33,577	41,395	51,854	62,604	70,427
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	9.41	23.28	25.27	20.73	12.50
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85
राजकोषीय देयताओं की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	9.26	12.28	11.28	8.28	10.29
राज्य के स्वयं के कर की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	13.28	26.88	24.00	25.93	13.38

राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.02	18.16	19.93	20.22	19.46
उत्प्लावकता अनुपात⁹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.42	1.50	1.79	1.09	0.74
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	0.60	1.73	1.70	1.36	0.79
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.70	0.87	1.05	0.80	0.93
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताएं	0.42	0.79	0.80	0.44	0.61

(स्रोत: वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित जानकारी)

आदर्शतः, राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके। तालिका 1.5 के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2008-09 में 17.02 प्रतिशत से 2011-12 में 20.22 प्रतिशत तक की सुसंगत वृद्धि हुई परंतु 2012-13 में अंशतः 19.46 प्रतिशत की कमी आई।
- 2008-09 में राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में 9.41 प्रतिशत से 2010-11 में 25.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन 2012-13 में 12.5 प्रतिशत की कमी आई जिसका मुख्य कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता के साथ राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष (क्रमशः 1.09 एवं 1.36) की तुलना में 2012-13 (क्रमशः 0.74 एवं 0.79) में कमी आई, जिसका कारण राजस्व प्राप्तियों (2011-12 में 20.73 प्रतिशत से 2012-13 में 12.50 प्रतिशत) में कम वृद्धि का होना था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं भारत सरकार से सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है इसलिए संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के स्रोतों जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत समाहित हैं से किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग, पुनरीक्षित अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियां तालिका 1.6 में दी गई हैं।

तालिका 1.6: कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व

	तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	पुनरीक्षित बजट अनुमान 2012-13	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपण	वास्तविक आंकड़े
कर राजस्व	21,982	51,110	28,312	30,582
करेत्तर राजस्व	5,172	7,517	7,327	7,000

(स्रोत: वित्त लेखे एवं राज्य बजट 2012-13 तथा 2013-14 के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं)

⁹ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

यह देखा जा सकता है कि कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति (क्रमशः 39.12 प्रतिशत एवं 35.34 प्रतिशत से) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में उच्चतर थीं। कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपणों की तुलना में (आठ प्रतिशत से) उच्चतर थी किंतु करेतर राजस्व के अंतर्गत निम्नतर (चार प्रतिशत से) थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: राज्य के कर राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	(₹ करोड़ में)
						पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,843	7,724	10,257	12,517	14,856	(+) 18.69
राज्य उत्पाद शुल्क	2,302	2,952	3,603	4,317	5,078	(+) 17.63
वाहन कर	773	919	1,198	1,357	1,531	(+) 12.82
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,479	1,783	2,514	3,284	3,944	(+) 20.10
भू-राजस्व	339	180	361	279	444	(+) 59.14
माल तथा यात्री कर	1,333	1,333	1,746	2,047	2,395	(+) 17.00
अन्य कर*	545	2,382	1,740	3,172	2,334*	(-)26.42
कुल कर राजस्व	13,614	17,273	21,419	26,973	30,582	(+) 13.38

* अन्य करों में विद्युत कर तथा शुल्क (₹ 1,478 करोड़), कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 413 करोड़), आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 255 करोड़) एवं वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 188 करोड़) सम्मिलित हैं।
(स्रोत: वित्त लेखे)

- 2012-13 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (49 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (17 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (13 प्रतिशत), माल तथा यात्री कर (आठ प्रतिशत) तथा वाहन कर (पाँच प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अंतर्गत प्राप्ति में वृद्धि (₹ 2,339 करोड़ से) का मुख्य कारण पंजीकरण शुल्क में बढ़ोत्तरी एवं राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत वस्त्रों, शर्करा एवं विद्युत उत्पादन पर पाँच प्रतिशत का वैट अधिरोपित करना था। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्ति में वृद्धि (₹ 761 करोड़ से) मुख्यतः शीर्ष 102-देशी किण्वित लिकर एवं 104-लिकर के अंतर्गत थी। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत वृद्धि (₹ 660 करोड़ से) का मुख्य कारण स्टाम्पों की बिक्री के अंतर्गत प्राप्ति में वृद्धि था।
- कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर के अंतर्गत कमी (₹ 666 करोड़ से) का मुख्य कारण साधारण संग्रहण के अंतर्गत करों का कम प्राप्त होना था। विद्युत कर तथा शुल्क के अंतर्गत कमी (₹ 295 करोड़ से) का मुख्य कारण भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत एवं अन्य प्राप्ति के अंतर्गत फीस का कम प्राप्त होना था।

राजस्व की संग्रहण लागत

वर्ष 2011-13 के दौरान वाहन कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क एवं राज्य उत्पाद शुल्क का सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर हुआ व्यय एवं सकल संग्रहण से उसकी प्रतिशतता इसके साथ ही संबंधित विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: राजस्व प्राप्तियों की संग्रहण लागत

स.क्र.	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत (प्रतिशत में)
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2011-12	11,830.00	12,516.73	111.36	0.89	0.75
		2012-13	14,000.00	14,856.30	129.32	0.87	0.83
2.	वाहन कर	2011-12	1,285.00	1,357.12	40.40	2.97	3.71
		2012-13	1,400.00	1,531.25	40.07	2.62	2.96
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2011-12	4,050.00	4,316.49	973.88	22.56	3.05
		2012-13	4,800.00	5,078.06	1,188.87	23.41	2.98
4.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2011-12	2,000.00	3,284.41	63.71	1.94	1.60
		2012-13	3,200.00	3,944.24	79.00	2.00	1.89

(स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) द्वारा प्रदाय जानकारी)

2012-13 के दौरान, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के संबंध में सकल संग्रहण बजट अनुमानों से अधिक था। बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से उच्च थी जबकि वाहन कर के अंतर्गत यह निम्न थी।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य प्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति से प्राप्तियां शामिल हैं जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: करेत्तर राजस्व की संवृद्धि दर

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	(₹ करोड़ में) पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
ब्याज प्राप्तियां	163	1,284	299	1,571	301	(-)80.84
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,361	1,590	2,121	2,038	2,443	(+)19.87
वानिकी तथा वन्य प्राणी	686	80	837	879	910	(+)3.53
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	319	745	1,194	1,551	1,682	(+)8.45
लाभांश एवं लाभ	69	50	32	38	18	(-)52.63
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	745	2,633	1,237	1,406	1,646	(+)17.07
योग	3,343	6,382	5,720	7,483	7,000	(-)6.45

(स्रोत: वित्त लेखे)

- करेत्तर राजस्व में, 2011-12 में ₹ 7,483 करोड़ से 2012-13 में ₹ 7,000 करोड़ तक, ₹ 483 करोड़ की कमी आई, जिसका मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियों (₹ 1,270 करोड़ से) में कमी था जो अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 405 करोड़ से) और अन्य प्रशासनिक सेवाओं (₹ 345 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि से प्रतिसंतुलित हुई। ब्याज प्राप्तियों में कमी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से ब्याज (₹ 1,172 करोड़ से) के अंतर्गत हुई।
- 2012-13 के दौरान, करेत्तर राजस्व में, मुख्य रूप से योगदान करने वालों में, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (35 प्रतिशत), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (24 प्रतिशत), वानिकी तथा वन्य प्राणी (13 प्रतिशत) थे।
- राज्य सरकार द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा योजना के अंतर्गत कोई भी ऋण अधित्याग प्राप्त नहीं किए गए थे।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान में 2008-09 में ₹ 5,853 करोड़ से 2012-13 में ₹ 12,040 करोड़ तक की वृद्धि हुई जैसा कि तालिका 1.10 में दर्शाया है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजनेत्तर अनुदान	1,015	1,533	1,636	2,114	333
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,824	3,102	4,522	4,215	7,099
केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	201	393	649	364	500
केंद्र प्रवर्तित योजना के लिए अनुदान	1,813	1,635	2,270	3,236	4,108
विशेष आयोजनागत योजना के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
योग	5,853	6,663	9,077	9,929	12,040
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	2.15	13.84	36.23	9.39	21.26
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	17.44	16.10	17.50	15.86	17.10

(स्रोत: वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के अंतर्गत ₹ 2,111 करोड़ की वृद्धि का कारण राज्य आयोजनागत योजना (₹ 2,884 करोड़ से), केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजना (₹ 872 करोड़ से) एवं केंद्रीय आयोजनागत योजना (₹ 136 करोड़ से) में वृद्धि था जो आयोजनेत्तर अनुदान (₹ 1,781 करोड़ से) में कमी द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ। 2012-13 में राज्य आयोजनागत योजना के लिए अनुदान में वृद्धि मुख्यतः ब्लॉक अनुदान (₹ 696 करोड़ से) एवं पंचायतीराज (₹ 1,819 करोड़ से) के अंतर्गत थी। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान में ₹ 872 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः पिछड़े वर्गों का कल्याण-शिक्षा (₹ 816 करोड़ से), शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (₹ 210 करोड़ से), मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (₹ 466 करोड़ से) एवं कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी (₹ 452 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी जो कि बाल कल्याण

(₹ 988 करोड़ से) के अंतर्गत कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिशतुलित हुआ। केंद्रीय आयोजना योजना के लिए अनुदान में वृद्धि मुख्यतः वन संरक्षण विकास तथा संपोषण (₹ 131 करोड़ से) के अंतर्गत था।

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय करों का हस्तांतरण वित्त आयोग अवार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2012-13 के दौरान ₹ 20,805 करोड़ के कर अंतरण वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण में दी गई अनुमानित राशि ₹ 21,604 करोड़ से अंशतः कम थी। तथापि केंद्रीय कर अंतरणों में 2011-12 में ₹ 18,219 करोड़ से 2012-13 में ₹ 20,805 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग

2012-13 के दौरान, तेरहवें वित्त आयोग ने ₹ 2,853.95 करोड़ अनुदानों के रूप में, जिसमें राज्य के लिए विशिष्ट अनुदान सम्मिलित है, कि अनुशंसा की थी। इसके विरुद्ध, राज्य सरकार ने कुल ₹ 2,527.84 करोड़ के अनुदान प्राप्त किए गए थे। विवरण तालिका 1.11 में दिए गए हैं:

तालिका 1.11: अनुशंसित अंतरण एवं वास्तविक जारी किए गए अनुदान

(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	अंतरण	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	वास्तविक विमोचित राशि
1.	स्थानीय निकाय	1,246.44	1,170.41
	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	920.61	964.43
	सामान्य मूल अनुदान	519.17	545.46
	पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य निष्पादन अनुदान	356.30	373.83
	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	22.57	22.57
	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	22.57	22.57
	नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	325.83	202.98
	सामान्य मूल अनुदान	188.53	198.08
	नगरीय स्थानीय निकायों को सामान्य निष्पादन अनुदान	129.40	निरंक
	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	3.95	3.95
	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	3.95	3.95
2	आपदा राहत	324.76	324.76
3	परिणामी अनुदान में सुधार	141.42	4.84
	(i) शिशु मृत्यु दर में कमी	--	4.84
	(ii) न्याय प्रदान करने में सुधार	81.48	--
	(iii) यू.आई.डी. जारी करने के लिए प्रोत्साहन	49.94	--
	(iv) जिला एवं राज्य स्तर पर सांख्यिक पद्धति में सुधार	10.00	--
4	पर्यावरण से संबंधित अनुदान	159.58	122.58
	(i) वन का संरक्षण	122.58	122.58
	(ii) जल क्षेत्र प्रबंधन	37.00	--
5	प्रारंभिक शिक्षा	452.00	452.00
6	सड़कें एवं पुल	222.00	222.00
7	राज्य विशिष्ट अनुदान	307.75	231.25
	(i) आंगनबाड़ी केंद्र	100.00	100.00
	(ii) पुलिस प्रशिक्षण	45.00	45.00

(iii) पर्यटन विकास	45.00	42.50
(iv) स्वास्थ्य अधोसंरचना	62.50	--
(v) विरासत संरक्षण	43.75	43.75
(vi) गांधी मेडिकल कॉलेज में वायरस विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	6.00	--
(vii) एम.टी.एच. अस्पताल, इंदौर का उन्नयन	5.50	--
योग	2,853.95	2,527.84

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

तीन विभागों के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2013) के दौरान हमने वास्तविक व्यय राशि से अधिक राशि के त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण, तेरहवें वित्त आयोग से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का अनुपयोगी रहना एवं जमा लेखे में राशियों को रोक कर रखना देखा।

महिला एवं बाल विकास विभाग

- 2010-15 की अवार्ड अवधि के दौरान भारत सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर (अप्रैल 2011) आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए ₹ 400 करोड़ संस्वीकृत किए थे। भारत सरकार के आदेशानुसार (दिसंबर 2012), प्रथम किस्त के रूप में जारी राशि में से दो तिहाई राशि के उपयोग के पश्चात ही द्वितीय किस्त जारी की जानी थी। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार (मार्च 2012) एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ जारी किए, इसके विरुद्ध वर्ष के दौरान ₹ 48.55 करोड़ का व्यय हुआ। तथापि महिला एवं बाल विकास विभाग ने वित्त विभाग के माध्यम से ₹ 100 करोड़ के बढ़े हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किए (जनवरी 2013)। हमने देखा कि भारत सरकार ने 2012-13 के लिए पुनः ₹ 100 करोड़ जारी किए (मार्च 2013) जो अनुप्रयुक्त रहे (जून 2013)। इस तरह, 2011-12 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में ₹ 100 करोड़ में से ₹ 51.43 करोड़ अप्रयुक्त रहे। इसके अतिरिक्त 2012-13 के लिए ₹ 100 करोड़ की अगली किस्त भी अप्रयुक्त रही।

महिला एवं बाल विकास विभाग के उप संचालक ने बताया (जून 2013) कि वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्त ₹ 100 करोड़ के अनुदान कार्यों की संस्वीकृति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी किए जाएंगे। उन्होंने, तथापि, अविगत शेष एवं 2011-12 के दौरान बढ़े हुए उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण के बारे में उत्तर नहीं दिया।

संस्कृति विभाग

- 2011-12 के दौरान, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ₹ 34.87 करोड़ के अनुदान स्मारकों/संग्रहालयों के विकास एवं संधारण हेतु उपलब्ध कराए गए थे। वित्त विभाग के आदेशानुसार, आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय (निदेशालय) ने 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा के अंतर्गत राशि जमा कराई। हमने देखा कि जनवरी 2013 में निदेशालय ने ₹ 26.04 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किए। इस बारे में पूछे (जून 2013) जाने पर निदेशालय ने बताया कि जून 2013 तक ₹ 15.07 करोड़ की

राशि 47 संग्रहालयों के विकास और संरक्षण हेतु उपयोग की गई। उन्होंने यह भी बताया कि ₹ 26.04 करोड़ के आहरण की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त की गई थी, उसके आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे गए। तथापि, व्यय के विवरण निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। हमने यह भी देखा कि भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 48.58 करोड़ जारी (12 मार्च 2013) किए वो भी जून 2013 तक अविगत रहे।

आयुक्त, पुरातत्व अभिलेख एवं संग्रहालय भोपाल ने बताया (अगस्त 2013) कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक बार फिर से ₹ 48.58 करोड़ के बजट प्रावधान किए गए, जिनका अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जाएगा। उत्तर क्रम में नहीं है क्योंकि ₹ 68.38 करोड़ के वित्त आयोग के अनुदान जून 2013 तक अप्रयुक्त रहे तथा ₹ 15.07 करोड़ के व्यय के विरुद्ध ₹ 26.04 करोड़ के बढ़े हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे।

वन विभाग

2012-13 के दौरान, ₹ 122.58 करोड़ के सहायता अनुदान "वन संरक्षण" के लिए जारी किए गए थे, उसमें से 25 प्रतिशत वनों के परिरक्षण एवं संधारण हेतु उपयोग किए जाने थे। तदनुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति¹⁰ के अनुमोदन अनुसार ₹ 30.65 करोड़ वन विभाग को उपलब्ध कराए गए थे। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

➤ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति ने वर्ष 2012-13 के लिए उर्जा के वैकल्पिक स्रोत जिसमें उन्नत बृहत् सम्मिलित है के लिए ₹ 3.30 करोड़ अनुमोदित किए (अगस्त 2012), जिससे प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र के बफर जोन के ग्रामों ने वन संसाधनों पर जीवीय दबाव को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति ने उन ग्रामों में जहाँ ह्रास वन के पुनर्वास का कार्य किया जाना है, शेष राशि, यदि कोई है तो, के उपयोग हेतु निर्देश दिए।

हमने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/विकास के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा (जून 2013) कि ₹ 1.60 करोड़ की राशि क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को उनके प्रस्ताव पर कार्यालय भवन, विश्राम गृह, लाइन क्वार्टर्स एवं पेट्रोलिंग केम्प में उर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने पर राशि के उपयोग हेतु आवंटित की गई थी। परिणामतः सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के ग्रामों में उर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने का उद्देश्य अप्राप्त रहा एवं ₹ 1.60 करोड़ का आवंटन उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति के निदेशों के विरुद्ध था।

इस ओर इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति ने वन विभाग द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा, राष्ट्रीय उद्यान के बफर क्षेत्र में उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास का कार्य प्राथमिकता के

¹⁰

अनुदान के संबंध में विशिष्ट शर्तों का अनुवर्तन सुनिश्चित करते हुए भौतिक एवं वित्तीय दोनों लक्ष्यों के अनुवीक्षण एवं कार्य योजना के अनुमोदन का उत्तरदायित्व है।

आधार पर कराया जाना, अनुमोदित कर दिया था लेकिन अन्य कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि शासकीय भवनों पर किया गया व्यय, उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति द्वारा जिस उद्देश्य के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई थीं, के विपरीत था।

➤ मानव संसाधन विकास गतिविधियां-वन अधिकारियों को प्रशिक्षण

वन विभाग को उपलब्ध कराए गए ₹ 30.65 करोड़ में से, उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति (अगस्त 2012) ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 2 करोड़ के प्रस्ताव मानव संसाधन विकास गतिविधियों, वन विभाग के रेंजर्स एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर उपयोग हेतु, अनुमोदित किए। उक्त राशि अगस्त 2012 में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) को आवंटित की गई थी। हमने देखा (जून 2013) कि प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षण देने के स्थान की कमी के कारण संपूर्ण राशि फरवरी 2013 तक अप्रयुक्त रही। इस अप्रयुक्त राशि में से, विभाग ने वन विकास समिति को वन के विकास एवं संधारण के लिए ₹ 1.35 करोड़ एवं उर्जा के वैकल्पिक स्रोत के लिए ईको पर्यटन बोर्ड को ₹ 65 लाख उपलब्ध कराए (फरवरी 2013)। इस तरह, प्रशिक्षण का प्रस्ताव बिना किसी उपयुक्त आयोजना के उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति को प्रस्तुत किया गया था परिणामतः आवंटनों का प्रयोग न होना एवं अन्य गतिविधियों के लिए राशियों का व्यपवर्तन हुआ।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि अनुमोदित गतिविधियां आगामी वित्तीय वर्षों में की जाएगी। तथ्य यह है कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का वर्ष 2012-13 के दौरान अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया।

1.3.5 संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)

31 मार्च 2013 को बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा सूचित किए गए राजस्व अपवंचन के विवरण तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: कर का अपवंचन

स. क्र.	राजस्व की प्रकृति	31 मार्च 2012 को लंबित प्रकरणों की संख्या	2012-13 के दौरान जानकारी में आए प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की कुल संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें आंकलन/अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया एवं शास्ति, इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग		31 मार्च 2013 को लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	253	239	492	220	122.81	267 ¹¹
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	29	निरंक	29	निरंक	निरंक	29
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	13,685	10,734	24,419	8,025	32.20	16,394

(स्रोत: संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी)

¹¹ विभाग ने पाँच प्रकरणों के अंतिम शेष में अंतर के लिए कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किए।

इस तरह, बिक्री, व्यापार आदि पर कर और स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से संबंधित लंबित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई थी।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका 1.13 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.13: प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत प्राप्तियां	6,632	8,651	7,861	15,899	8,864
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	24	22	367	23	31
अंतर्राज्यीय परिशोधन	1	3	2	3	9
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	54	23	34	9,123	33
लोक ऋण प्राप्तियां	6,553	8,603	7,458	6,750	8,791
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर	94.39	31.28	-13.31	-9.49	30.24
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर	-33.05	-39.24	739.58	2,170.22	-99.20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85
पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	90.08	30.44	-9.13	102.25	-44.25

(स्रोत: वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से प्राप्ति

वित्त लेखे 2012-13 के अनुसार, विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सहकारी समितियों/बैंकों का विनिवेश में 2011-12 में ₹ 22.62 करोड़ से 2012-13 में ₹ 21.45 करोड़ की अंशतः कमी आई।

1.4.2 कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 32.53 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली बजट अनुमानों (₹ 99.48 करोड़) से निम्न थी। विगत वर्ष की तुलना में ₹ 9,090 करोड़ की वास्तविक वसूली में महत्वपूर्ण कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज के अंतर्गत थी। 2011-12 में कर्जों की वसूली असामान्य रूप से अधिक, मुख्यतः विद्युत वितरण कम्पनी को कार्यशील पूँजी (₹ 7,351 करोड़) के लिए कर्ज, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को कार्यशील पूँजी (₹ 4.94 करोड़) के लिए अल्पकालीन कर्ज एवं उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण (₹ 6.42 करोड़) में वसूली के कारण थी।

1.4.3 लोक ऋण प्राप्तियां

लोक ऋण प्राप्तियों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण सम्मिलित थे। 2012-13 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों में मुख्यतः आंतरिक ऋण के अंतर्गत वृद्धि हुई।

- **आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति**

आंतरिक ऋण प्राप्ति में 2011-12 में ₹ 5,718 करोड़ से 2012-13 में ₹ 7,234 करोड़, कुल ₹ 1,516 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्यतः बाजार ऋण एवं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों के अंतर्गत वृद्धि था।

- **भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम**

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में 2011-12 में ₹ 1,032.60 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1,557.31 करोड़, कुल ₹ 524.71 करोड़ की वृद्धि संपूर्णतः राज्य आयोजनागत योजना के अंतर्गत हुई।

1.5 लोक लेखे प्राप्ति

निश्चित लेन देनों के संबंध में प्राप्ति एवं संवितरण जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि, सरकार के पास उपलब्ध वह राशि है जिसका वह उपयोग कर सकती है।

2008-13 के दौरान लोक लेखे प्राप्ति के संबंध में प्रवृत्तियों को तालिका 1.14 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.14: लोक लेखे प्राप्ति में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखे प्राप्ति	46,460	52,353	65,675	76,315	86,248
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,387	1,512	1,737	2,033	2,319
(ख) आरक्षित निधि	599	764	1,191	1,534	2,441
(ग) जमा एवं अग्रिम	7,911	9,334	9,724	9,872	6,502
(घ) उचंत एवं विविध	27,446	31,457	41,810	50,620	59,819
(ङ.) प्रेषण	9,117	9,286	11,213	12,256	15,167

(स्रोत: वित्त लेखे)


लोक लेखे प्राप्ति में 2011-12 में ₹ 76,315 करोड़ से 2012-13 में ₹ 86,248 करोड़, कुल ₹ 9,933 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः उचंत एवं विविध (18 प्रतिशत से) तथा प्रेषण (24 प्रतिशत से) के अंतर्गत हुई जिसे जमा एवं अग्रिमों (34 प्रतिशत से) के अंतर्गत कमी के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर व्यय की लागत पर नहीं है।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

चार्ट 1.7 विगत पांच वर्षों की अवधि (2008-13) के कुल व्यय (लोक ऋणों को छोड़कर) की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विभिन्न संघटकों के अंतर्गत किए गए व्यय को चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है एवं गतिविधियों/सेवाओं के द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे)

2008-13 के दौरान राज्य के कुल व्यय में ₹ 41,831 करोड़ (110 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय में क्रमशः ₹ 4,854 करोड़ (72 प्रतिशत) एवं ₹ 33,454 करोड़ (113 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश 2008-09 में 77 प्रतिशत से 2012-13 में 79 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश 2008-09 में 18 प्रतिशत से 2011-12 में 12 प्रतिशत तक की कमी आई और इसके पश्चात 2012-13 में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2012-13 में, विगत वर्ष की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय में ₹ 7,942 करोड़ की वृद्धि हुई। 2012-13 के दौरान कुल आयोजना व्यय¹² में ₹ 5,310 करोड़ की वृद्धि हुई एवं कुल आयोजनेतर¹³ व्यय में विगत

¹² राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना खर्च सम्मिलित है।


¹³ राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना खर्च सम्मिलित है।

वर्षों की तुलना में ₹ 2,906 करोड़ की कमी आई। 2012-13 के दौरान आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय, कुल व्यय के क्रमशः 39 प्रतिशत एवं 61 प्रतिशत रहे।


2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान कुल व्यय में ₹ 2,407 करोड़ (तीन प्रतिशत से) की वृद्धि का कारण मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 10,274 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं पूंजीगत व्यय में ₹ 2,512 करोड़ (28 प्रतिशत) वृद्धि था जिसे कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 10,382 करोड़ (66 प्रतिशत) की कमी के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था।

पूंजीगत व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 951 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 477 करोड़ से), परिवहन (₹ 387 करोड़ से), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 218 करोड़ से), उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 201 करोड़ से), उद्योग एवं खनिज (₹ 174 करोड़ से) में वृद्धि था जिसे सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 99 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 25 करोड़ से) में कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

2012-13 में कुल व्यय (₹ 79,920 करोड़ से) का 88 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों (₹ 70,427 करोड़ से) से पूरा किया जा सकता था।



(स्रोत: वित्त लेखे)



(स्रोत: वित्त लेखे)

- कुल व्यय की तुलना में अविकासीय व्यय समझी जाने वाली सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित) के अंतर्गत व्यय का अंश कुल व्यय की तुलना में 2008-09 में 27.01 प्रतिशत से 2012-13 में 22.41 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में अंतरवर्षीय परिवर्तन सहित 2008-09 में 30.04 प्रतिशत से 2012-13 में 32.53 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंश में 2008-09 में 33.41 प्रतिशत से 2011-12 में 26.13 प्रतिशत तक घटती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी और इसके पश्चात 2012-13 में 33.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं, में 2008-09 में 63.45 प्रतिशत से 2012-13 में 65.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- सहायता अनुदानों के अंश में 2011-12 में 4.13 प्रतिशत से 2012-13 में 5.09 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- 2008-13 के दौरान कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिमों का अंश 4.89 प्रतिशत एवं 20.33 प्रतिशत के मध्य रहा। 2012-13 के दौरान यह कुल व्यय का 6.73 प्रतिशत था।

1.6.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में 2008-09 में ₹ 6,713 करोड़ से 2012-13 में ₹ 11,567 करोड़ की वृद्धि हुई जो इस अवधि के दौरान 14.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रदर्शित करती है। 2012-13 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,512 करोड़ (28 प्रतिशत से) की वृद्धि हुई। 2012-13 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय का 99.79 प्रतिशत आयोजना पूंजीगत व्यय (₹ 11,543 करोड़) था जिसमें 2011-12 में ₹ 9,023 करोड़ के स्तर से ₹ 2,520 करोड़ तक की वृद्धि हुई। आयोजना पूंजीगत व्यय में आर्थिक सेवाओं में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 477 करोड़ से), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 951 करोड़ से) उर्जा (₹ 201 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 387 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

1.6.3 राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

- राज्य के राजस्व व्यय में 2008-09 में ₹ 29,514 करोड़ से 2012-13 में ₹ 62,968 करोड़ की वृद्धि हुई, इसमें इस अवधि के दौरान 22.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि पर दिखाई दी। 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में कुल राजस्व व्यय ₹ 10,274 करोड़ (19.50 प्रतिशत) अधिक था। इनमें से, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के अंतर्गत वृद्धि ₹ 7,942 करोड़ (77 प्रतिशत) थी, जबकि आयोजना राजस्व व्यय के अंतर्गत वृद्धि ₹ 2,332 करोड़ (23 प्रतिशत) थी।
- वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारणों से बहुत उच्चतर (39.83 प्रतिशत) थे जबकि ये राज्य सरकार द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए निर्धारणों के लगभग बराबर था जैसा कि तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में से संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
	(1)	(2)	(3)
2012-13	31,909	44,597	44,619

(स्रोत : वित्त लेखे और तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण)

- आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 2008-09 में ₹ 21,892 करोड़ से 2012-13 में ₹ 44,619 करोड़ तक की वृद्धि हुई जो इस अवधि में 20.80 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित करती है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 21.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में कुल राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत समाविष्ट है।
- 2012-13 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 7,942 करोड़ से) में वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹ 1,252 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 1,096 करोड़ से), कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 877 करोड़ से), अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 815 करोड़ से), स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन (₹ 673 करोड़ से), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ (₹ 558 करोड़ से) तथा जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (₹ 517 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- आयोजना राजस्व व्यय जिसमें 2008-13 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,332 करोड़ (14.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2011-12 की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (₹ 685 करोड़ से), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 568 करोड़ से), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण (₹ 430 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 529 करोड़ से), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 413 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 247 करोड़ से) के अंतर्गत कमी द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

1.6.4 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं राजसहायताएं सम्मिलित हैं। तालिका 1.16 एवं चार्ट 1.10 2008-13 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.16: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें	8,547 (25.45)	10,678 (25.80)	13,100 (25.26)	14,113 (22.54)	19,901	16,026 (22.76)
आयोजनेत्तर शीर्ष	7,660	9,406	11,490	12,274	---	14,133
आयोजना शीर्ष**	887	1,272	1,610	1,839	---	1,893

ब्याज अदायगियां	4,192 (12.48)	4,454 (10.76)	5,049 (9.74)	5,300 (8.47)	6,275	5,574 (7.91)
पेंशन भुगतान	2,433 (7)	3,077 (7)	3,767 (7.26)	4,389 (7.01)	5,826	4,947 (7.02)
राजसहायताएं	132 (0.39)	2,033 (4.91)	1,810 (3.49)	2,926 (4.67)	22,768	5,697 (8.09)
योग	15,304 (46)	20,242 (49)	23,726 (46)	26,728 (43)	54,770 (78)	32,244 (46)

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।

**आयोजना शीर्ष में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन प्रवृत्त वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित है।

(स्रोत: वित्त लेखे एवं व्ही.एल.सी. आंकड़े)



(स्रोत: वित्त लेखे, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा संकलित आंकड़े तथा बजट दस्तावेज)

2012-13 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राज सहायताओं (₹ 32,244 करोड़) पर कुल व्यय राजस्व व्यय का 51 प्रतिशत एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था। 2008-13 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राज सहायताओं पर समग्र व्यय में, 22.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से 111 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान 12.65 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में वृद्धि 20.64 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में, 2008-13 की अवधि के दौरान, यह 43 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत के मध्य रहा। 2012-13 के दौरान, यह राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था एवं बजट अनुमानों से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार है:

वेतन एवं मजदूरी

- वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2008-09 में ₹ 8,547 करोड़ से 2012-13 में ₹ 16,026 करोड़ तक 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 22.54 प्रतिशत एवं 25.80 प्रतिशत के मध्य रहा।
- विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान आयोजनेतर शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2012-13 में वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय ₹ 16,026 करोड़ बजट अनुमान में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 19,901 करोड़) से कम था।

पेंशन भुगतान

- पेंशन भुगतानों पर व्यय में 2008-09 में ₹ 2,433 करोड़ से 2012-13 के दौरान ₹ 4,947 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 में ₹ 558 करोड़ (13 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 270 करोड़ से), उपदान (₹ 135 करोड़ से), परिवार पेंशन (₹ 58 करोड़ से) और परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान (₹ 32 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।
- 2012-13 में ₹ 4,947 करोड़ का वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 5,826 करोड़ के बजट अनुमानों से 15.09 प्रतिशत कम था और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित ₹ 3,549 करोड़ से 39.39 प्रतिशत अधिक था।

ब्याज अदायगियां

- 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान ब्याज अदायगियां तालिका 1.17 में दी गई हैं।

तालिका 1.17: ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज अदायगियां	4,192	4,454	5,049	5,300	5,574

- 2012-13 के दौरान ₹ 5,574 करोड़ की ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों की 7.91 प्रतिशत लेखांकित की गई और राजस्व व्यय की 8.85 प्रतिशत थी। ब्याज अदायगियां मुख्यतः केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 1,770 करोड़), बाजार कर्ज (₹ 1,694 करोड़), केंद्र सरकार से लिए गए कर्ज (₹ 662 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 947 करोड़) एवं अन्य आंतरिक ऋणों (₹ 395 करोड़) पर थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 274 करोड़ की वृद्धि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 295 करोड़ से), अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹ 84 करोड़ से), बाजार कर्ज पर ब्याज (₹ 34 करोड़ से) में वृद्धि के परिणामस्वरूप थी, जिसे मुख्यतः राज्य भविष्य निधि पर ब्याज (₹ 103 करोड़ से) एवं अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज (₹ 31 करोड़ से) के अंतर्गत कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।
- वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹ 5,574 करोड़ की ब्याज अदायगियां, वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 6,275 करोड़ के बजट अनुमान और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों (₹ 6,366 करोड़) दोनों से कम थीं।

राजसहायताएं

- ₹ 5,697 करोड़ (आयोजनेत्तर: ₹ 4,148 करोड़ एवं आयोजना: ₹ 1,549 करोड़) की राजसहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 8.09 प्रतिशत लेखांकित किया गया और 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय का 9.05 प्रतिशत था। आयोजनेत्तर एवं आयोजना राजस्व व्यय में राजसहायताओं के ब्यौरे परिशिष्ट 1.7 में प्रस्तुत किए गए हैं।

- 2012-13 के दौरान, कुल ₹ 5,697 करोड़ की राजसहायताओं में से, ₹ 2,673 करोड़ (47 प्रतिशत) मुख्यतः ऊर्जा विभाग के अंतर्गत थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 में राजसहायता की राशि (₹ 2,771 करोड़ से) में वृद्धि मुख्यतः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 1,453 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 71 करोड़ से), जन संपर्क (₹ 100 करोड़ से) को राजसहायता में वृद्धि के कारण हुई।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2010-13 के तीन वर्षों की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.18 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका-1.18: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12	2012-13
शैक्षणिक संस्थाएँ	1,481.13	2,107.33	2,520.24
चिकित्सा स्वास्थ्य तथा लोक स्वास्थ्य	623.35	753.28	564.11
आवास	156.36	201.04	267.98
नगरीय विकास	579.60	778.14	1,008.92
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	277.68	353.58	404.78
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	644.37	671.01	880.75
ग्रामीण विकास	768.21	711.40	464.38
ग्रामीण रोजगार	227.99	336.50	282.00
पंचायती राज	3,966.17	4,446.96	2,258.54
जल आपूर्ति तथा सफाई	160.08	111.04	178.57
अन्य संस्थाएँ	232.12	360.02	4,656.77
योग	9,117.06	10,830.30	13,487.04
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	20.25	20.55	21.42

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी.आंकड़े)

- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 2011-12 में ₹ 10,830.30 करोड़ से 2012-13 में ₹ 13,487.04 करोड़ तक ₹ 2,656.74 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं (₹ 412.91 करोड़ से: 20 प्रतिशत) एवं शहरी विकास (₹ 230.78 करोड़ से: 30 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता देने के कारण हुई।
- राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता में 2011-12 में 20.55 प्रतिशत से 2012-13 में 21.42 प्रतिशत तक आंशिक वृद्धि हुई।

1.6.5.1 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएँ एवं निधियों का हस्तांतरण

(क) नगरीय स्थानीय निकाय

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों को स्पष्टतः परिभाषित कार्यो व जिम्मेदारियों से निहित करते हुए स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने इन संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली में बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिक निगमों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिका परिषदों तथा संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर परिषदों में गठित किया।

राज्य में 377 नगरीय स्थानीय निकाय (14 नगरपालिका निगम, 100 नगरपालिका परिषदें और 263 नगर परिषदें) हैं जो कि निर्वाचित निकायों द्वारा शासित होती हैं।

निधियों, कार्यों एवं अमले का अंतरण

- चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में निहित है कि नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संविधान के प्रावधानों के अधीन है, राज्य विधानसभा, इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, विधि द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगी जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को उपयुक्त स्तर पर शक्तियां और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। चौहत्तरवें संशोधन के अनुसार, 18 कार्य नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने थे।
- राज्य सरकार ने सभी 18 कार्यों (संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित) को नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिए जैसा कि परिशिष्ट 1.8 में विवरण दिया गया है और इन कार्यों का संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधन किया जाता है। तथापि, कोई भी निधि एवं अमला अलग से हस्तांतरित नहीं किया गया (जुलाई 2013)।

नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदानों का हस्तांतरण

- तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकार की गई) के अनुसार राज्य सरकार के विभाजनीय कोष¹⁴ का एक प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग के अनुदान हस्तांतरित किए गए जैसा कि तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: अनुदानों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार की विभाजनीय कोष	नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित किए जाने थे	नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए अनुदान
2012-13	20,240.70	202.41	202.41

इस तरह, वर्ष 2012-13 के दौरान कम अनुदान हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

स्वयं के संसाधनों से उत्पादित राजस्व

- जुलाई 2013 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों और व्यय का विवरण मांगा गया था। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कहा (जुलाई 2013) कि उक्त

¹⁴ विभाजनीय कोष से तात्पर्य विगत वर्ष के कुल कर राजस्व में से करों को वसूल करने पर होने वाले व्यय हेतु 10 प्रतिशत की राशि को घटाना एवं नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व की कटौती है।

चाही गई जानकारी को एकत्रित कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जायेगा लेकिन जानकारी अपेक्षित है (अक्टूबर 2013)।

लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया गया (नवम्बर 2001)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह किया जायेगा जैसे वे उनके स्वयं के प्रतिवेदन के लिए करते हैं।
- 2012-13 के दौरान प्रधान महालेखाकार द्वारा नौ नगरपालिका निगमों सहित 57 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई और निरीक्षण प्रतिवेदन को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को, तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजा गया। 2012-13 के अन्त में 5606 अभ्युक्तियाँ (2012-13 के दौरान जारी 603 अभ्युक्तियों को मिलाकर) शेष थीं।
- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार को आवश्यक रूप से सभी स्थानीय निकायों के लिए एक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहिए और राज्य के सभी स्थानीय निकायों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा जाये। इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तदनुसार, राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया जिसमें राज्य स्तर पर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जिसे नगर पालिक निगम और नगरपालिका परिषद के लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण देंगे और संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखेंगे, का प्रावधान सम्मिलित है। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट की स्थिति सितम्बर 2013 में चाही गई थी और अपेक्षित थी (अक्टूबर 2013)।

(ख) पंचायती राज संस्थाएं

आधार स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने के लिए तथा विकास कार्यक्रमों की पहचान एवं कार्यान्वयन में आम जनता के साथ-साथ ग्राम सभाओं को भी सम्मिलित करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को प्रख्यापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 243 जी के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानसभा, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगी जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों

को उपयुक्त स्तर पर शक्तियाँ और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

परिणामतः, मध्य प्रदेश राज्य में पंचायती राज संस्थाओं¹⁵ की एक त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। राज्य में 50 जिला परिषदें, 313 जनपद पंचायतें एवं 23006 ग्राम पंचायतें हैं।

निधियों, कार्यों एवं अमले का अंतरण

- तेहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 जी में निहित है कि पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संविधान के प्रावधानों के अधीन है, राज्य विधानसभा, इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर शक्तियाँ और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। तेहत्तरवें संशोधन के अनुसार 29 कार्य (संविधान की ग्याहरवीं अनुसूची में उल्लिखित) पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने थे। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कोई भी कार्य हस्तांतरित नहीं किए गए।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

- तृतीय राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकार की) की कि राज्य सरकार के विभाजनीय कोष¹⁶ का चार प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- वर्ष 2012-13 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग के हस्तांतरित किए गए अनुदान **तालिका 1.20** में दर्शाये गए हैं:

तालिका 1.20: पंचायती राज संस्थानों को अनुदानों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)			
वर्ष	राज्य सरकार का विभाजनीय कोष	अनुदान जो हस्तांतरित किए जाने थे	वास्तविक हस्तांतरित किए गए अनुदान
2012-13	20,240.70	809.62	809.62

लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया गया (नवंबर 2001)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, उसी तरह करेंगे जैसे ये उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। 2012-13 के दौरान 604 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदें 33, जनपद पंचायतें 117

¹⁵ जिला के लिए जिला पंचायत, ब्लॉक के लिए जनपद पंचायत एवं ग्राम के लिए ग्राम पंचायत

¹⁶ विभाजनीय कोष से तात्पर्य विगत वर्ष के कुल कर राजस्व में से करों को वसूल करने पर होने वाले व्यय हेतु 10 प्रतिशत की राशि को घटाना एवं नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व की कटौती है।

एवं ग्राम पंचायतें 454) के अभिलेखों की प्रधान महालेखाकार द्वारा नमूना जांच की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजी गई थी। 2012-13 के अंत में 20,933 अभ्युक्तियां (2012-13 के दौरान जारी 3,674 अभ्युक्तियों सहित) शेष थी।

- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार को आवश्यक रूप से सभी स्थानीय निकायों पंचायत राज संस्थानों के सभी स्तर (टियर) के लिये एक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहिये। राज्य के प्रत्येक स्तर (टियर) के स्थानीय निकाय हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को आवश्यक रूप से तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण दिया जाना चाहिये एवं उनके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संचालक/आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक रूप से राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। तदनुसार, जुलाई 2011 में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया, जिसमें राज्य स्तर पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जिसे पंचायत के लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण देंगे और संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखा जाएगा, का प्रावधान सम्मिलित है। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन की स्थिति चाही (सितम्बर 2013) गई थी। उत्तर अपेक्षित था (नवम्बर 2013)।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आंकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपे गए हैं, वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कही जा सकती है, यदि उस वर्ष के लिए विशेष व्यय शीर्ष को दी गई प्राथमिकता सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

तालिका 1.21 में 2009-10 एवं वर्तमान वर्ष 2012-13 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत की तुलना में विकास व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.21: 2009-10 एवं 2012-13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय [#] /कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	(प्रतिशत में)	
					शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय /कुल व्यय
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2009-10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2009-10	24.50	69.08	30.10	16.63	13.65	3.49
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012-13	22.09	72.44	32.69	14.47	13.82	4.14

* दिल्ली, गोवा एवं पुदुचेरी के अतिरिक्त सामान्य संवर्ग के राज्य
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।
स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए जानकारी, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय से संग्रहीत की गई थी।

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मध्य प्रदेश ने 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में उच्चतर व्यय किया।
- 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल व्यय के समानुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ।
- विकास व्यय में आर्थिक सेवाओं पर व्यय एवं सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय दोनों समाविष्ट होते हैं। 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय (कुल व्यय के समानुपात के रूप में) निम्नतर रहा है। इसके अतिरिक्त, दोनों वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों पर सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में कमतर समानुपात में व्यय किया गया था।
- यह देखा गया कि 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत से अधिक था।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षो पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण (कोर पब्लिक गुड्स) तथा उपयोगी पदार्थों (मेरिट गुड्स)¹⁷ के प्रावधान

¹⁷ कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से

पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹⁸ लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, हाल ही के वर्षों में ऋण सेवा में ह्रास के कारण विशेष रूप से सृजित हो रहे राजकोषीय अंतर की दृष्टि से, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 1.22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किए गए राजस्व व्यय के संघटकों एवं पूंजीगत व्यय का विवरण उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2011-12			2012-13		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1.72	53.39	0.08	1.33	53.57	0.16
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5.50	65.09	0.19	5.36	57.02	0.22
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	27.71	11.97	9.38	22.44	8.76	6.37
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.98	10.02	0.06	5.81	9.29	0.08
योग (सामाजिक सेवाएं)	7.26	37.75	0.92	6.20	35.15	0.84
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	2.31	34.21	0.19	5.18	30.50	0.17
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	83.53	67.61	5.76	85.57	68.19	4.79
बिजली तथा ऊर्जा	5.64	0.01	0.79	14.29	0.01	0.28
परिवहन	65.96	7.43	59.11	62.35	5.95	69.42
अन्य आर्थिक सेवाएं	19.60	9.88	1.41	12.61	3.96	1.39
योग (आर्थिक सेवाएं)	20.32	20.48	5.03	30.66	17.12	6.58
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)	15.35	31.02	2.52	19.63	27.79	2.19

(स्रोत: वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 1.22 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश में 2011-12 में 7.26 प्रतिशत से 2012-13 में 6.20 प्रतिशत तक की कमी आई। तथापि, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अंश में 2011-12 में 20.32 प्रतिशत से 2012-13 में 30.66 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि।

मेरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता हो। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में घोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

18

व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, पूंजीगत परिव्यय के अंश में कमी मुख्यतः जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्रों के अंतर्गत थी जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में वृद्धि मुख्यतः उर्जा और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों क्षेत्रों के अंतर्गत थी। इससे यह इंगित हुआ कि सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पूंजीगत व्यय पर प्राथिकताओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
- राजस्व व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में संयुक्त रूप से 2011-12 में 31.02 प्रतिशत से 2012-13 में 27.79 प्रतिशत की कमी आई। प्रचालन एवं संधारण के मामले में भी व्यय में 2011-12 में 2.52 प्रतिशत से 2012-13 में 2.19 प्रतिशत तक की कमी मुख्यतः जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत हुई। इससे राजकोषीय स्थिति में सुधार दिखाई दिया।
- हमने देखा कि 2003-04 से 2011-12 के दशक के दौरान, मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय, की संपोषित वार्षिक वृद्धि दर, अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कम थी, जबकि शिक्षा पर सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में यह उच्चतर थी। इससे इंगित हुआ कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता थी (परिशिष्ट 1.1)।

1.8 सरकारी व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाए रखे अपितु अपने पूंजीगत व्यय/निवेश (कर्ज तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करना और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में अपने बजट में उसे वहन करने की अपेक्षा उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने एवं वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

हमने देखा कि राज्य सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए जानकारी वित्त लेखों में सम्मिलित करने हेतु प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि जल संसाधन विभाग से एकत्रित जानकारी के आधार पर 31 मार्च 2013 को कुछ अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति, प्रत्येक की लागत ₹ एक करोड़ से अधिक तालिका 1.23 में दी गई है।

तालिका 1.23: 31 मार्च 2013 को अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारंभिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	संचयी वास्तविक व्यय	लागत में वृद्धि
जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश					
अपूर्ण परियोजनाएं जिनमें प्रारंभिक बजट लागत पुनरीक्षित की गई	24	1,164.02	3,231.94	1,787.73	2,067.92
अपूर्ण परियोजनाएं जिनमें प्रारंभिक बजट लागत पुनरीक्षित नहीं की गई	25	821.20	821.20	595.08	--
अपूर्ण परियोजनाएं जिनमें प्रारंभिक बजट लागत पुनरीक्षित नहीं की गई लेकिन वास्तविक खर्च प्रारंभिक बजट लागत से अधिक हुआ	06	19.51	19.51	29.72	10.21
योग	55	2,004.73	4,072.65	2,412.53	2,078.13

(स्रोत: संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

उपरोक्त श्रेणी की परियोजनाओं को परिशिष्ट 1.9 (क) से 1.9 (ग) में सूचीबद्ध किया गया है।

जल संसाधन विभाग की इन परियोजनाओं के पूर्ण न होने का कारण, भूमि अधिग्रहण में देरी, दर अनुसूची का पुनरीक्षण, ठेकेदार द्वारा कार्य का नहीं किया जाना, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में देरी और एजेंसी द्वारा धीमी प्रगति हैं।

1.8.2 निवेश तथा प्रतिलाभ

सरकार ने 31 मार्च 2013 तक सांविधिक निगमों (26), सरकारी कम्पनियों (34), संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और साझेदारीयों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी समितियों (130) इत्यादि में ₹ 14,656.50 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.24)। 2008-2013 की अवधि के दौरान इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.37 प्रतिशत था जबकि सरकार ने इसी अवधि के दौरान उधारियों पर औसत ब्याज दर (6.89 प्रतिशत) का भुगतान किया।

तालिका 1.24: निवेशों पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	9,643.35	11,686.28	12,216.04	13,183.59	14,656.50
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	69.05	49.75	32.20	37.98	18.38
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.72	0.43	0.26	0.29	0.13
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.24	6.94	7.04	6.74	6.48
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.52	6.51	6.78	6.45	6.35

(स्रोत: वित्त लेख)

- मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 14,656.50 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,076.04 करोड़ संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित थे और उनका आवंटन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था (सांविधिक निगम: ₹ 411 करोड़; सरकारी कम्पनियाँ: ₹ 180.49 करोड़; सहकारी बैंकों एवं समितियों: ₹ 483.01 करोड़ और संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारीयाँ: ₹ 1.54 करोड़)।
- 2012-13 में इन निवेशों पर प्रतिलाभ 0.13 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2012-13 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.48 प्रतिशत की औसत दर से

भुगतान किया। इस प्रकार सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ उधारियों की लागत की तुलना में बहुत कम था।

1.8.3 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुओं के लिए बहुमूल्य राजकोषीय स्थान उपलब्ध कराता है जहाँ पर वित्त पोषण नहीं हो पा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पी.पी.पी. परियोजनाओं में सड़क, उर्जा, जल आपूर्ति, अन्य नगरीय अधोसंरचना, पर्यटन, परिवहन, शिक्षा, भांडागार एवं रसद (Logistics), खेल, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी तथा डेयरी आते हैं।

हमने देखा कि सितंबर 2013 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आरंभ हुई 209 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (₹ 25,726.22 करोड़) में से, केवल ₹ 5,341.51 करोड़ लागत की 40 परियोजनाओं (19 प्रतिशत) पूर्ण थीं। जबकि ₹ 13,709.74 करोड़ लागत वाली 115 परियोजनाएं प्रगति पर थीं, अन्य 54 परियोजनाएं (लागत ₹ 6,674.97 करोड़) स्वीकार नहीं की गई। विवरण परिशिष्ट 1.10 में दिए गए हैं।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियाँ, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करा चुकी है। तालिका 1.25 31 मार्च 2013 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	
			बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
दिए गए कर्ज का प्रारंभिक शेष	11,424	15,105		21,742
वर्ष के दौरान दी गई राशि	3,715	15,760	5,667	5,378
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	34	9,123	99	32
अन्त शेष	15,105	21,742		27,088
निवल संयोजन	3,681	6,637	5,568	5,346
ब्याज प्राप्तियां	21	1,200	202	42
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियां	0.16	6.51	--	0.17
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियां	7.04	6.74	--	6.48
ब्याज अदायगियां तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.88	0.23		6.31

(स्रोत: वित्त लेखे तथा 2012-13 के बजट अनुमान)

- 31 मार्च 2013 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 27,088 करोड़ थे। इन कर्जों से प्राप्त ब्याज ₹ 42 करोड़ था। विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज, वसूल किए गए कर्ज की राशि से अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप बकाया कर्ज एवं अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया था कि 31 मार्च 2013 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों का 81 प्रतिशत (₹ 21,917 करोड़) म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल और उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित था और दूसरा आठ प्रतिशत जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास (₹ 2,259 करोड़), चार प्रतिशत विविध सामान्य सेवाओं

(₹1,034 करोड़) एवं तीन प्रतिशत कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों (₹719 करोड़) से वसूल किया जाना था।

- 2012-13 के दौरान उधारियों पर 6.48 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए औसत ब्याज को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 0.17 प्रतिशत बहुत कम थी।
- कर्ज तथा अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण कमी मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों (₹10,772 से) को दिए गए कर्ज में थी।
- 2012-13 के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूलियों में ₹9,091 करोड़ की महत्वपूर्ण कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं को दिए गए कर्ज के अंतर्गत थी।
- 2012-13 के दौरान, प्राप्त ब्याज (₹42 करोड़), 2012-13 के बजट अनुमान (₹202 करोड़) एवं 2011-12 के वास्तविक आंकड़ों (₹1,200 करोड़) से कम था जो कि मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं से ब्याज प्राप्त न होने के कारण था।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.26 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है।

तालिका 1.26: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

	1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2013 को अंतिम शेष	(₹ करोड़ में) वृद्धि(+)/कमी (-)
1 (क) सामान्य रोकड़ शेष [(i) से (iv)+2]	7,375.29	6,543.70	(-)831.59
(i) कोषालयों में रोकड़	--	--	--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा	692.55	(-)262.75	(-)955.30
(iii) अन्य बैंकों में जमा	--	--	--
(iv) पारगमन में प्रेषण- स्थानीय	2.61	--	(-) 2.61
योग (i) से (iv)	695.16	(-)262.75	(-) 957.91
2. रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	6,680.13	6,806.45	(+) 126.32
3 (ख) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश (i) से (iii)	400.59	531.11	(+) 130.52
(i) विभागीय रोकड़ शेष	2.48	132.24	(+) 129.76
(ii) स्थायी पेशगी	0.81	0.81	--
(iii) उद्दिष्ट निधि से निवेश	397.30	398.06	(+) 0.76
समग्र रोकड़ स्थिति 1(क)+3(ख)	7,775.88	7,074.81	(-) 701.07

(स्रोत : वित्त लेखे)

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष में ₹7,775.88 करोड़ के स्तर से वर्ष 2012-13 के अंत में ₹701.07 करोड़ की कमी आई।
- वित्त लेखे 2012-13 के अनुसार, ₹6806.45 करोड़ भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश किए गए जिस पर वर्ष के दौरान ₹248 करोड़ ब्याज की प्राप्ति

हुई। बड़े रोकड़ शेषों को रखने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इनको कम ब्याज वाले 14 दिनी खजाना बिलों में निवेश किया जाता है।

- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, म.प्र.सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।

‘चेक एवं देयक’ शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

‘चेक एवं देयक’ शीर्ष लेन-देनों के प्रारम्भिक अभिलेख मध्यवर्ती लेखा शीर्ष है जिनका अंततः निराकरण किया जाना होता है। मुख्य शीर्ष 8670 चेक एवं देयक के अंतर्गत बकाया शेष, नहीं भुनाए गए चेकों की राशि को दर्शाते हैं। 2012-13 के वित्त लेखे के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के अंत में बकाया शेष 2011-12 में ₹ 75.57 करोड़ की तुलना में 2012-13 में ₹ 27.27 करोड़ था। रोकड़ शेष, लम्बित चेकों की राशि तक बढ़े बताए गए।

वित्त विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि कमी का कारण ई-भुगतान प्रक्रिया का कार्यान्वयन था। बकाया शेष कोषालय चेकों से संबंधित है जो जारी किए गए थे लेकिन वित्त वर्ष के अंत तक भुनाए नहीं गए थे।

1.9 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं।

परिशिष्ट 1.5 भाग-ख में 31 मार्च 2012 को तदनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2013 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है।



कुल देयताएं, जिसकी परिभाषा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई है, राज्य के लोक लेखे एवं समेकित निधि के अंतर्गत देयताएं हैं। समेकित निधि देयताओं में भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम तथा आंतरिक ऋण समाहित है।

इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड्स तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज सम्मिलित है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य, विधानसभा के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अंदर समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं एवं निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अंदर गारंटी दे सकते हैं। लोक लेखे देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधियां एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

परिसंपत्तियों में समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियां एवं रोकड़ सम्मिलित होते हैं। समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों में निर्धारित परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय-निगमों एवं कम्पनियों के शेयरों में निवेश एवं कर्ज तथा अग्रिम जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज एवं अन्य विकास कर्ज सम्मिलित होते हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत की गई है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **चार्ट 1.11** एवं **1.12** में प्रस्तुत किया गया है।



राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2008-09 में ₹ 60,432 करोड़ से 2012-13 में ₹ 90,168 करोड़ तक की वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2011-12 में 8.28 प्रतिशत के विरुद्ध 2012-13 में 10.29 तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 3,363 करोड़), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कर्ज (₹ 1,168 करोड़) भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम (₹ 909 करोड़) तथा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 725 करोड़) के अंतर्गत थी।

तालिका 1.27 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान राज्य की राजकोषीय देयताओं के विवरण का चित्रण करती है।

तालिका 1.27: राज्य की राजकोषीय देयताओं के संघटक

		(₹ करोड़ में)	
स.क्र.	नाम	2011-12	2012-13
1.	समेकित निधि देयताएं (लोक ऋण)	61,370	66,577
(i)	बाजार कर्ज	28,044	31,407
(ii)	शासकीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16,081	16,806
(iii)	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड्स का जारी करना	1,773	1,413
(iv)	नाबार्ड से कर्ज	3,516	4,684
(v)	भारत सरकार से जारी कर्ज एवं अग्रिम	11,359	12,268
(vi)	अन्य कर्ज	597	511
2.	लोक लेखा देयताएं	20,387	23,591
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	9,916	10,752
(ii)	सब्याज दायित्व	295	490
(iii)	ब्याज रहित दायित्व	10,176	12,349

(स्रोत : वित्त लेखे)

2012-13 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 24.92 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों की 1.28 गुना तथा राज्यों के स्वयं के संसाधन की 2.40 गुना थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विाय में इन देयताओं की उत्प्लावकता में, 2011-12 में 0.44 से वर्ष के दौरान 0.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि मुख्य रूप से इन देयताओं की संवृद्धि दर में वृद्धि तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में कमी के कारण थी (तालिका 1.5)।

1.9.3 समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2005-10) के पैरा क्र.12.59 के अनुसार, सभी राज्यों को, बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के कारण देयताओं इत्यादि सहित समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिए। निधियों का राज्य की समेकित निधि से अलग से रखरखाव किया जाना चाहिए एवं ऋण मोचन को छोड़कर, अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमने देखा कि सितम्बर 2013 तक राज्य में निक्षेप निधि की स्थापना नहीं की थी।

वित्त विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2013) कि राज्य के निक्षेप निधि की स्थापना के लिए कार्रवाई की जा रही है।

1.9.4 गारंटियों की स्थिति- आकस्मिक देयताएं

गारंटियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार गृहिता के लिए जिसके लिए गारंटी दी गई है चूक होने की स्थिति में होती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार गारंटी नियम (MPSGGR) 2009 (संशोधित) 20 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत उन सभी प्रकरणों में लागू होता है जहाँ राज्य सरकार ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उस पर ब्याज के लिए गारंटी देती है। गारंटियों के संस्वीकृतियों के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटियों की सीमा निश्चित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्ष

2010-11 से 2012-13 के दौरान, वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटी, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी।

वित्त लेखे के विवरण पत्र 9 के अनुसार, राज्य द्वारा दी गई गारंटियों के लिए अधिकतम राशियाँ और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया गारंटिया तालिका 1.28 में दी गई है।

तालिका 1.28: म0प्र0 सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियों का विवरण	(₹ करोड़ में)		
	2010-11	2011-12	2012-13
गारंटी की अधिकतम राशि	8,438.50	11,107.51	14,751.71
गारंटियों की बकाया राशि*	5,110.54	5,605.03	7,719.54
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में गारंटी की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	16.27	17.74	20.95
पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में बकाया गारंटी की प्रतिशतता	12.35	10.81	12.33
चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व व्यय का 80 प्रतिशत (राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मानदंड)	33,116.00	41,483.20	50,083.20
प्राप्य गारंटी या फीस	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
प्राप्त गारंटी या फीस	0.78	0.44	4.81

(स्रोत: वित्त लेखे)

वर्ष 2012-13 के दौरान, बकाया गारंटियों में विगत वर्ष की तुलना में 38 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। गारंटियां विद्युत क्षेत्र (59), सहकारी क्षेत्र (5), राज्य वित्त निगम क्षेत्र (18), नगरीय विकास एवं आवास क्षेत्र (58) तथा अन्य अधोसंरचना (44) के संबंध में दी गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में, अधिकतम राशि जिसकी गारंटी दी गई थी, में ₹ 3,644 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जैसा कि उपर्युक्त तालिका 1.28 में देखा जा सकता है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, सरकार ने गारंटी मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2012-13 के अंत तक ₹ 388.87 करोड़ का अंतिम शेष था। 10 विभागों¹⁹ के अंतर्गत 133 संस्थान थे जिनको सरकार द्वारा गारंटियों हेतु संस्वीकृतियां प्रदान की गई थी। 2010-11 से 2012-13 के दौरान किसी भी गारंटी का आवाहन नहीं किया गया था।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार गारंटी नियम 2009 (संशोधित) के नियम 10 के अनुसार, वित्त विभाग के ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ में गारंटी प्रकरणों से संबंधित पूर्ण विवरणों का रखरखाव किया जावेगा। वित्त विभाग से यह जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर, यह बताया गया (अप्रैल 2013) कि सम्पूर्ण अभिलेखों का प्रशासनिक विभागों द्वारा रखरखाव किया जाता था और जानकारी प्रशासनिक विभागों से मंगाई जा रही थी। तथापि जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी (सितम्बर 2013)।

वित्त विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि सभी आवश्यक विवरणों को संधारित करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग पर था क्योंकि गारंटी की संस्वीकृतियां वित्त विभाग द्वारा जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विवरणों के संधारण न किए जाने से, प्राप्त होने वाली गारंटी की जानकारी, वित्त लेखे के साथ, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट

¹⁹ गृह विभाग, वित्त विभाग, उर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपेक्षित विधानसभा में प्रस्तुत किए गए विवरण में नहीं दर्शाई गई थी।

उर्जा विभाग से संग्रहित जानकारी एवं अभिलेखों की जाँच (सितंबर 2013) के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए तीन वितरण (विद्युत वितरण) कम्पनियों ने ₹ 69.82 करोड़²⁰ की गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया। उर्जा विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि वितरण कम्पनियाँ, वित्तीय कठिनाईयों के कारण गारंटी शुल्क का भुगतान करने में नियमित नहीं है एवं सभी वितरण कम्पनियों को सरकारी लेखे में बकाया गारंटी फीस जमा कराने के लिए एवं गारंटी फीस समय पर जमा कराना सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी (सितंबर 2013) किए जा चुके हैं।

1.9.5 असंचालित आरक्षित निधियाँ

हमने देखा कि मुख्य शीर्ष विकास एवं कल्याण निधि के अंतर्गत निम्नलिखित आरक्षित निधियों में जमा शेष, जिनको उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, का अंतिम पाँच वर्षों के दौरान न तो उपयोग किया गया और न ही निवेश किया गया, का विवरण तालिका 1.29 में दिया गया है।

तालिका 1.29: 2008-13 के दौरान आरक्षित निधियाँ जिनका न तो उपयोग किया गया और न ही निवेश किया गया

आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2013 को शेष
(i) पंचायत भू-राजस्व उपकर एवं स्टाम्प शुल्क निधि	1,116.81
(ii) म.प्र.ग्रामीण विकास निधि	414.21
(iii) वन विकास निधि	189.50
(iv) क्षतिपूर्ति वानिकी निधि	31.81
योग	1,752.33

(स्रोत: वित्त लेखे)

आरक्षित निधि के उपयोग न किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2013)। इस ओर इंगित किए जाने पर वित्त विभाग ने बताया कि संबंधित विभागों को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किए जा चुके हैं।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण धारणीयता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता²¹ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण²², ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता²³, उधार ली गई निधियों की निवल

²⁰ मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश (₹ 29.24 करोड़), पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर (₹ 16.26 करोड़) एवं मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (₹ 24.32 करोड़)

²¹ ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

²² ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर अथवा सार्वजनिक उधारियों की लागत की तुलना में अधिक होती है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर

उपलब्धता²⁴, ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की धारणीयता का मूल्यांकन करता है। तालिका 1.30 में 2008-13 की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.30: ऋण धारणीयता: संकेतक तथा प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता के संकेतक	(₹ करोड़ में)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	3,764	2,117	8,333	10,390	4,632
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	(-),1,649	(-),1,766	927	-488	-3,660
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठक में प्रतिशत)	791 (5)	3,131 (16)	2,606 (13)	955 (5)	2,838 (15)
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08

1.10.2 ऋण स्थिरीकरण

ऋण धारणीयता के लिए मुख्य शर्त है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में ऋण के संबंध में स्थिरता रहे। यदि प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा नकारात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा, जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोक ऋणों का स्तर अस्थिर है और प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा सकारात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण का स्तर धारणीय है।

प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2008-13 के दौरान उसकी राशि निरंतर सकारात्मक रही जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ऋण धारणीयता के स्तर पर थे।

1.10.3 ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण धारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण धारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल मध्यम से लंबी

होगा या ऋण की संभावना होती है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - ब्याज दर) तथा प्रमात्रा प्रसार (ऋण X दर प्रसार) मानते हुये, ऋण धारणीयता स्थिति अभिव्यक्त करती है यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा शून्य होता तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक है तो, ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्ततः गिर रहा होगा।

²³ वृद्धि से संबंधित ब्याज देयताओं तथा वृद्धि से सम्बन्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति के लिये राज्य की वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता महत्वपूर्ण ढंग से सुविधाजनक हो सकती है यदि वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियां वृद्धि से सम्बन्धित ब्याज भार तथा प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर सकें।

²⁴ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियां ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, ऋणोत्तर प्राप्ति ने प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकता को न केवल पूरा किया बल्कि संवृद्धिता ब्याज देयतओं को पूरा करने के बाद परिणामतः सकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ जिससे राज्य की ऋण धारणीयता की क्षमता में वृद्धि हुई। 2008-10 एवं 2011-13 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्ति, संवृद्धिता प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामतः नकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ। 2008-10 एवं 2011-13 की अवधि के दौरान कर्जों की कोई भी महत्वपूर्ण वसूली नहीं देखी गई।

1.10.4 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

ऋण परिशोधन अनुपात ने 2008-13 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (परिशिष्ट 1.4)। इसमें 2008-09 में 0.95 से 2010-11 में 0.87 की कमी आई एवं 2011-12 में 0.95 तक की वृद्धि हुई। इसमें पुनः 2012-13 के दौरान 0.86 की कमी आई जिससे परिसम्पत्ति निर्माण के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध थी। वर्ष 2012-13 के दौरान आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान (₹ 2,936 करोड़), नवीन आंतरिक ऋण प्राप्ति (₹ 7,234 करोड़) का 41 प्रतिशत था, भारत सरकार के कर्जों का पुनर्भुगतान (₹ 648 करोड़), ₹ 1,557 करोड़ के नवीन ऋण प्राप्ति का 42 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों (₹ 7,582 करोड़) के मामले में पुनर्भुगतान ₹ 10,787 करोड़ की नवीन प्राप्ति का 70 प्रतिशत था। इससे यह प्रकट हुआ कि नवीन ऋण प्राप्ति आंशिक रूप से ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग की गई थी।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 7,234 करोड़ की प्राप्ति में से, सरकार ने 8.70 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹ 4,500 करोड़ बाजार कर्ज से, ₹ 1,250 करोड़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से, ₹ 1,439 करोड़ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से एवं ₹ 45 करोड़ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों की प्राप्ति में 2011-12 में ₹ 1,032 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1,557 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजना के लिए कर्ज के अंतर्गत एक मुश्त कर्जों की प्राप्ति में वृद्धि था। आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज मुख्य रूप से समाविष्ट था।

1.10.5 राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका 1.31: 2011-12 एवं 2012-13 के लिए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्तीय वर्ष 2011-12				वित्तीय वर्ष 2012-13			
	6003- आन्तरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों के कारण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003- आन्तरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	1,851.66	536.77	2,388.43	3.89	2,155.17	1,116.55	3,271.72	4.91
1-3	5,013.71	1,108.28	6,121.99	9.98	5,338.84	1,154.89	6,493.73	9.75
3-5	4,901.40	1,146.62	6,048.02	9.85	5,816.11	1,178.33	6,994.44	10.51
5-7	8,159.39	1,164.56	9,323.95	15.19	11,624.32	1,183.68	12,808.00	19.24
7-9	11,510.14	1,164.40	12,674.54	20.65	9,833.07	1,183.46	11,016.53	16.55
9-11	5,789.14	1,164.18	6,953.32	11.33	6,433.07	867.75	7,300.82	10.97

11-13	1,789.14	848.46	2,637.60	4.30	1,896.61	250.37	2,146.98	3.22
13-15	1,675.56	231.08	1,906.64	3.11	1,738.67	161.58	1,900.25	2.85
15 और इससे अधिक	3,434.85	211.06	3,645.91	5.94	3,377.15	107.32	3,484.47	5.23
विविध*	5,886.02	3,783.50	9,669.52	15.76	6,096.32	5,063.88	11,160.20	16.76
योग	50,011.01	11,358.91	61,369.92		54,309.33	12,267.81	66,577.14	

(स्रोत: वित्त लेखे)

* ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है


ऊपर दर्शाए गए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा यह दर्शित करती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 25 प्रतिशत एक एवं पाँच वर्षों के मध्य, 47 प्रतिशत पाँच एवं 11 वर्षों के मध्य तथा 11 प्रतिशत 11 एवं 15 वर्षों के मध्य और अधिक के पश्चात पुनर्भुगतान करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 17 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुई थी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन


तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे-एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय लाभप्रदता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व, प्राथमिक और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वित्त वर्ष 2012-13 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों को प्रस्तुत किया गया है।

घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.13 एवं चार्ट 1.14 2008-13 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



(स्रोत: वित्त लेखे)



(स्रोत: वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था, मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जिसमें 2008-09 में ₹4,063 करोड़ से 2011-12 में ₹9,910 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई, उसके बाद 2012-13 में कम (₹2,451 करोड़ से) होकर ₹7,459 करोड़ रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजस्व आधिक्य से प्रतिशतता के रूप में 2011-12 में 3.20 प्रतिशत से 2012-13 में 2.06 प्रतिशत की कमी हुई जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता के रूप में कमी के कारण थी। 2012-13 के दौरान यह बजट अनुमान के 1.89 प्रतिशत से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की कुल उधारियों और उसके कुल संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, में 2008-09 में ₹4,433 करोड़ से 2012-13 में ₹9,420 करोड़ की वृद्धि अंतर वर्षीय परिवर्तनों के साथ हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में ₹3,660 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2011-12 में 1.86 प्रतिशत से 2012-13 में 2.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बजट अनुमान (2.98 प्रतिशत) के भीतर था एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तीन प्रतिशत साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भी भीतर रही।
- प्राथमिक घाटे में 2008-09 में ₹241 करोड़ से 2012-13 में ₹3,846 करोड़ तक की वृद्धि अंतर-वर्षीय परिवर्तनों के साथ हुई।

1.11.1 राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राजकोषीय घाटा, राज्य को कुल उधारियों की आवश्यकता एवं राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों पर कर्ज तथा अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य होता है। राजकोषीय घाटे के अपघटन से प्रकट होता है कि राज्य द्वारा राजस्व

एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों के अलावा निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस सीमा तक विभिन्न कर्ज लिए गए।

राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप तालिका 1.32 में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.32: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटे का अपघटन					
राजकोषीय घाटा	-4,433	-6,199	-5,272	-5,760	-9,420
1 राजस्व आधिक्य	4,063	5,498	6,842	9,910	7,459
2 निवल पूंजीगत व्यय	-6,689	-7,903	-8,433	-9,032	-11,534
3 निवल कर्ज एवं अग्रिम	-1,807	-3,794	-3,681	-6,638	-5,345
राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप					
1 बाजार उधारियां	3,957	5,016	3,258	3,166	3,363
2 भारत सरकार से कर्ज	709	888	577	403	909
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-126	492	1,582	-167	725
4 वित्तीय संस्थानों से कर्ज	51	-188	-488	198	210
5 आरक्षित निधियां	12	324	275	1,191	2,020
6 अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	204	412	773	698	837
7 जमा एवं अग्रिम	237	705	1,678	783	348
8 उचन्त एवं विविध	-43	10	86	-28	-93
9 प्रेषणों	62	31	519	391	400
10 रोकड़ शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	+630	+1,491	+2,988	+875	-701

(स्रोत: वित्त लेखे)

वर्ष 2012-13 में, राज्य सरकार द्वारा बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इसके अंश में 2011-12 में 55 प्रतिशत से 2012-13 में 36 प्रतिशत तक की कमी आई। 2011-12 की तुलना में 2012-13 में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि कर्जों, अल्प बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि का अंश राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर था जिससे भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि दिखाई दी।

1.12 मध्य प्रदेश सरकार की बाजार उधारियां

1.12.1 प्रस्तावना

वर्ष के दौरान सरकार को उधारियों की आवश्यकता, राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत करती है। उधारियों को राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केंद्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में विभाजित किया जा सकता है। आंतरिक ऋण को पुनः बाजार कर्ज एवं समझौते वाले कर्ज (Negotiated Loans) में विभाजित किया गया है। बाजार उधारियां भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में निहित है कि यदि राज्यों पर केंद्र सरकार की देनदारी (ऋण) है तो राज्य, भारत सरकार की अनुमति के बिना कर्ज नहीं ले सकते हैं।

राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा (उधारियों के बराबर) वित्त आयोग (भारत सरकार) द्वारा अनुशंसित की जाती है। 2011-12 एवं 2012-13 वर्षों के लिए, यह सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तीन प्रतिशत थी। तदनुसार, राज्य सरकार ने भी, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में भी वही सीमा निर्धारित की है। अधिनियम उत्पादित परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधारियों का

उपयोग निर्धारित करता है। योजना आयोग (भारत सरकार) वार्षिक आयोजना को वित्त पोषित करने की योजना एवं उधारियों की आवश्यकता को अनुमोदित करता है। राज्य सरकार, राज्य बजट के लिए प्राप्ति एवं बाजार ऋण के अंतर्गत पुनर्भुगतान के अनुमान तैयार करती है। 2008-13 के दौरान, राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नीलामी द्वारा सभी बाजार कर्ज 10 साल की अवधि वाले लिए।

वर्तमान समीक्षा (मई-सितंबर 2013) यह जांच करने के लिए की गई थी कि क्या बाजार उधारियों की आवश्यकताओं का दक्षतापूर्वक आंकलन किया गया और उधार ली गई निधियों का उत्पादन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया।

1.12.2 मध्य प्रदेश में बाजार उधारियों की स्थिति

तालिका 1.33 2008-13 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए बाजार कर्ज की राशि एवं प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया बाजार कर्ज की राशि दर्शाती है।

तालिका 1.33: बाजार कर्ज की स्थिति

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रारंभिक शेष	12,647	16,604	21,620	24,878	28,044
वर्ष के दौरान लिए गए बाजार कर्ज	4,495	5,821	3,900	4,000	4,500
वर्ष के दौरान किए गए पुनर्भुगतान	538	805	642	834	1,137
वर्ष के अंत में बकाया	16,604	21,620	24,878	28,044	31,407
निवल वृद्धि	3,957	5,016	3,258	3,166	3,363

(स्रोत: वित्त लेखे)

1.12.3 ऋण धारणीयता संकेतक-कुल देयताओं की तुलना में बाजार कर्ज

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राज्य में लोक ऋण एवं कुल देयताओं की तुलना में बाजार उधारियों की स्थिति तालिका 1.34 में दी गई है।

तालिका 1.34: ऋण धारणीयता- कुल देयताओं की तुलना में बाजार कर्ज

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत में कुल देयताएं	60,432	67,853	75,504	81,757	90,168
कुल देयताओं की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.26	12.28	11.28	8.28	10.29
कुल लोक ऋण (बकाया)	46,632	52,841	57,769	61,370	66,577
लोक ऋण की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.92	13.31	9.33	6.23	8.48
कुल बाजार कर्ज (बकाया)	16,604	21,620	24,878	28,044	31,407
बाजार उधारियों की संवृद्धि	31.30	30.21	15.07	12.73	11.99
कुल देयताओं की तुलना में बाजार कर्ज की प्रतिशतता	27.48	31.86	32.95	34.30	34.83
लोक ऋण की तुलना में बाजार कर्ज की प्रतिशतता	35.61	40.92	43.06	45.70	47.17
बाजार कर्ज पर दिया गया ब्याज	1,009	1,488	1,804	1,660	1,694
वित्त वर्ष के दौरान लिये गये बाजार कर्ज पर भारित औसत ब्याज दर	7.48	8.36	8.41	8.91	8.69
ब्याज दर अनुपात की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर	2.96	1.86	1.68	2.13	1.94
राजस्व प्राप्ति अनुपात की तुलना में ब्याज अदायगियां	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08
राजकोषीय घाटा	4,433	6,199	5,272	5,760	9,420
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता	2.25	2.72	2.03	1.86	2.60
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं की प्रतिशतता	30.63	29.76	29.02	26.40	24.92

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल लोक ऋण की प्रतिशतता	23.64	23.18	22.20	19.82	18.40
बकाया गारंटियां (वर्ष के अंत में)	1,930	1,630	5,111	5,605	7,720
सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85

(स्रोत: वित्त लेखे एवं संबंधित वर्षों के मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण)

उपर्युक्त के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट होता है:

- यद्यपि 2008-13 की अवधि के दौरान कुल देयताओं एवं लोक ऋण (कुल देयताओं का मुख्य संघटक) में लगातार वृद्धि हुई, इस अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में लोक ऋण, के अनुपात में कमी आई।
- 2008-13 की अवधि के दौरान बकाया बाजार उधारियों की राशि में 89.15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, लेकिन संवृद्धि में 2008-09 में 31.30 प्रतिशत से 2012-13 में 11.99 प्रतिशत की क्रमशः कमी आई। लोक ऋण में बाजार उधारियों के अंश में 2008-09 में 35.61 प्रतिशत से 2012-13 में 47.17 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जिससे बाजार उधारियां, जो कि शर्तमुक्त प्रकृति की है, पर अधिक निर्भरता दर्शित हुई।
- राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात में 2008-09 में 0.12 से 2012-13 में 0.08 की लगातार कमी आई जिससे राज्य के संसाधन एवं ऋण धारणीयता में सुधार दर्शित हुआ।

1.12.4 पर्याप्त रोकड़ शेष की उपलब्धता के बावजूद बाजार कर्ज का लिया जाना

तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि बड़े रोकड़ शेष रखने वाले राज्यों को नवीन उधारियों का सहारा लेने से पहले उपलब्ध रोकड़ शेषों के उपयोग हेतु प्रयास एवं उधारियों की आवश्यकता होने पर ही उधार लेने, न कि उपलब्ध होने पर, की पद्धति का पालन करना चाहिए। हमने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार ने '14 दिनी खजाना बिल' के अंतर्गत पर्याप्त रोकड़ शेष उपलब्ध होने के बावजूद बाजार कर्ज का सहारा लिया। 2008-09 के दौरान न्यूनतम रोकड़ शेष शून्य आ गया (29.10.2008)। तथापि, वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान, न्यूनतम शेष ₹ 1,936 करोड़ एवं ₹ 4,510 करोड़ के मध्य रहा (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ₹ 1.96 करोड़ के आवश्यक न्यूनतम शेष के विरुद्ध)। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान सरकार ने बड़े रोकड़ शेष होने के बावजूद प्रत्येक वर्ष ₹ 3,870 करोड़ से ₹ 5,821 करोड़ के मध्य के बाजार कर्ज लिए।

हमने यह भी देखा कि बाजार कर्ज लेने वाले दिन, खजाना बिल में रोकड़ शेष निवेश (अगले 15 दिन के दौरान न्यूनतम शेष भी) प्रत्येक अवसर पर लिए गए बाजार कर्ज की राशि से अधिक था। विवरण परिशिष्ट 1.11 (क) में दिए गए हैं। इस तरह, प्रत्येक अवसर पर लिए गए बाजार कर्ज वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक थे, जिससे रोकड़ शेष निवेश में जनवरी 2009 में ₹ 1,647 करोड़ से मार्च 2013 में ₹ 7,096 करोड़ तक वृद्धि हुई।

वित्त विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि बाजार कर्ज की आवश्यकताओं के आंकलन के लिए नकदी प्रवाह प्रवृत्ति एवं रोकड़ शेष के अतिरिक्त प्रत्याशित प्रतिबद्ध देयताओं एवं विकास गतिविधियों पर विचार किया गया था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि 2008-13

के दौरान '14 दिनी खजाना बिल' में निवेश की राशि में वृद्धि, आवश्यकता से अधिक कर्ज लेने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि सरकार के पाँच प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज अर्जित किया जबकि राज्य सरकार ने 2009-13 के दौरान 8.36 प्रतिशत से 8.91 प्रतिशत के मध्य की ब्याज की उच्चतर दर से बाजार कर्ज लिए। विवरण **परिशिष्ट 1.11 (ख)** में दिए गए हैं।

वित्त विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि के खजाना बिलों में निवेश पर विचार किया जाएगा। '14 दिनी खजाना बिल' में निवेशित बाजार कर्ज उच्च नकदी साधन हैं और राज्य की आवश्यकतानुसार उपयोग किए जाते हैं। ब्याज दायित्व का पूर्वानुमान होने पर भी बाजार कर्जों के न लेने के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

कर्ज लेने के संबंध में वित्त विभाग का उत्तर तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आनुरूप नहीं है।

1.12.5 बाजार उधारियों के लिए अग्रिम संकेतक कैलेंडर

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार उधारियों के लिए तैयार किए गए संकेतक कैलेंडर को, अनंतिम राशि एवं वित्त वर्ष के आगामी तिमाही के लिए संकेतक दिनांक अनुलग्न करते हुए राज्य के खुले बाजार उधारी कार्यक्रम का समय दर्शाने के निवेदन के साथ राज्य सरकार को भेजा जाता है। जांच में प्रकट हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने केवल वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 की सभी तिमाहियों के उधारी कैलेंडर तैयार किए थे। उन वर्षों में भी वास्तविक बाजार उधारियां प्रस्तावित अग्रिम उधार कैलेंडर से अधिक भिन्न थी। विवरण **परिशिष्ट 1.11(ग)** में दिए गए हैं।

1.12.6 बजट अनुमानों, पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों की तुलना में योजना आयोग द्वारा बाजार उधारियों की उधार सीमा

बाजार उधारियों की उधार सीमा 2008-13 के दौरान, बजट अनुमानों, पुनरीक्षित अनुमानों एवं बाजार उधारियों के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित सीमा का विवरण **तालिका 1.35** में दिया गया है।

तालिका 1.35: वास्तविक आंकड़ों की तुलना में उधारी सीमा/अनुमान

(₹ करोड़ में)

बाजार उधारियों की उधारी सीमा	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
योजना आयोग द्वारा अनुमोदित सीमा	2,414	5,821	4,965	5,237	6,277
बजट अनुमान	2,923	5,721	6,500	6,267	8,594
पुनरीक्षित अनुमान	4,330	6,150	4,173	6,283	7,414
वास्तविक बाजार उधारियां	4,495	5,821	3,900	4,000	4,500

(स्रोत: योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक आयोजना एवं राज्य बजट के साथ प्रस्तुत किए गए विवरण पत्रक)

उपर्युक्त से देखा गया कि वास्तविक बाजार उधारियां तथा बजट अनुमानों, पुनरीक्षित अनुमानों एवं योजना आयोग की सीमाओं के मध्य सारभूत अंतर थे जिससे बजट उधारियों का अविवेकपूर्ण आंकलन दर्शित हुआ।

2008-09 के दौरान, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (₹ 729.23 करोड़) की अनुमानित प्राप्तियों में कमी के कारण, राज्य सरकार ने योजना आयोग को सीमा ₹ 3,864.72 करोड़ पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव दिया। तथापि, अभिलेखों में इसका अनुमोदन उपलब्ध नहीं था। सभी वर्षों में, वास्तविक बाजार कर्ज संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार की अनुमति/सहमति से प्राप्त किए गए थे।

1.12.7 बाजार कर्जों की परिपक्वता प्रवृत्ति

2013-14 से 2022-23 की अवधि के लिए बाजार कर्जों की परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति तालिका 1.36 में नीचे दी गई है।

तालिका 1.36: बाजार कर्जों की परिपक्वता प्रवृत्ति

(31 मार्च 2013 की स्थिति)		
परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि (₹ करोड़ में)	बकाया बाजार कर्ज के प्रतिशत के रूप में 31 मार्च 2013 को ₹ 31,407 करोड़ के
2013-14	1,429	4.55
2014-15	2,129	6.78
2015-16	1,709	5.44
2016-17	1,549	4.93
2017-18	2,500	7.96
योग (2013-18)	9,316	29.66
2018-19	3,870	12.32
2019-20	5,821	18.53
2020-21	3,900	12.42
2021-22	4,000	12.74
2022-23	4,500	14.33
योग (2018-23)	22,091	70.34
महायोग	31,407	100

(स्रोत: वित्त लेखे)

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान बाजार ऋण के मोचन दायित्व, बकाया बाजार ऋण के 70.34 प्रतिशत होंगे, अगले पाँच वर्षों के दौरान 29.66 प्रतिशत के विरुद्ध। हमने देखा कि सरकार 10 साल की अवधि वाले कर्ज लेने की नीति जारी रखे हुए है एवं इस बारे में पूछे जाने पर (अप्रैल 2013), क्या वित्त विभाग द्वारा बाजार कर्जों को पुनर्निधारणीय करने (Roll over) का कोई विश्लेषण किया गया था, वित्त विभाग द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

1.12.8 ब्याज दर रूपरेखा

2008-13 के दौरान लिए गए बाजार कर्जों पर ब्याज दरें तालिका 1.37 में दी गई हैं।

तालिका 1.37: ब्याज दर रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

ब्याज की दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान लिए गए बाजार कर्ज					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
5-5.99	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6-6.99	900	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	900
7-7.99	1,960	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1,960
8-8.99	1,635	5,821	3,900	3,000	4,500	18,856
9-9.99	निरंक	निरंक	निरंक	1,000	निरंक	1,000
योग	4,495	5,821	3,900	4,000	4,500	22,716
भारित औसत ब्याज दर	7.48	8.36	8.41	8.91	8.69	

(स्रोत: वित्त लेख)

इससे यह दर्शित होता है कि 2008-13 के दौरान बाजार कर्ज का सारभूत 87 प्रतिशत (₹ 22,716 करोड़ में से ₹ 19,856 करोड़) आठ से 9.99 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया गया। यह भी देखा गया कि 2011-12 के दौरान सरकार ने 18 अक्टूबर 2011 को 9.05 प्रतिशत की वार्षिक दर से ₹ 1,000 करोड़ लिए जबकि उसी दिन '14 दिनी खजाना बिल' में ₹ 4,594 करोड़ के रोकड़ शेष थे।

1.12.9 बाजार उधारी के उपयोग की निगरानी हेतु प्रणाली

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 उधारियों का उपयोग परिसंपत्तियों के उत्पादन के लिए निर्धारित करता है। सरकार ने ऋण के प्रत्येक अंश में, बाजार ऋण लेने के उद्देश्य को विकास योजनाओं को वित्त पोषित करने के रूप में अधिसूचित किया। हमने देखा कि वित्त विभाग द्वारा लिए गए बाजार ऋण के उपयोग के अनुवीक्षण के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप बाजार कर्ज के प्रयोग/अनुप्रयोग के इच्छित उद्देश्यों जैसे पूंजी निर्माण एवं विकास योजनाओं का वित्त पोषण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था। हमने देखा कि 2008-13 की अवधि के दौरान सभी वर्षों में पूंजीगत व्यय की राशि (संवितरित ऋण सहित) निवल उधारियों से उच्चतर थी। पूंजीगत व्यय के विवरण की पूर्व में ही कंडिका 1.6.2 में चर्चा की जा चुकी है।

वित्त विभाग ने बताया (सितंबर 2013) कि बाजार कर्ज, कुल संसाधनों के भाग थे। बाजार कर्जों में से प्रत्यक्ष रूप से व्यय करने का कोई नियम नहीं था। बाजार कर्जों एवं रोकड़ शेष से पृथक विकास योजनाओं पर व्यय का वर्गीकरण संभव नहीं था। बाजार कर्जों की उपयोगिता राज्य के पूंजीगत व्यय से सुनिश्चित की जा सकती थी जो कि बाजार कर्जों की तुलना में उच्चतर थी।

वित्त विभाग का उत्तर मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आनुरूप्य नहीं है क्योंकि यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि बाजार कर्ज से कौन सी उत्पादित परिसंपत्तियां निर्मित हुई थीं और कौन सी विकास योजनाएं वित्त पोषित हुई थीं।

1.13 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (कर्ज एवं अग्रिम सहित) में अपघटन राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। मध्य प्रदेश में राजस्व आधिक्य 2004-05 से रहा है। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.38) उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.38: प्राथमिक घाटा/अधिशेष - घटकों का विभाजन

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कर्ज तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	(₹ करोड़ में)		
						प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणोत्तर प्राप्ति	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2008-09	33,656	25,322	6,713	1,862	33,897	8,334	-241	19.80
2009-10	41,443	31,443	7,925	3,820	43,188	10,000	-1,745	18.35
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846	15.56

*अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित
(स्रोत: वित्त लेख)

2008-13 की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटों के घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए कर्ज एवं अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणोत्तर प्राप्ति प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि आधिक्य ऋणोत्तर प्राप्ति सभी वर्षों के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, वे सम्पूर्ण कर्जों एवं अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरूप 2008-13 के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

1.14 निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 7,459 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाए रखा। तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,451 करोड़ की कमी आई। यद्यपि, राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 9,420 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से (₹ 3,660 करोड़ की) वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटा में 2011-12 में 1.86 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- 2011-12 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों (₹ 70,427 करोड़) में 12.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2008-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि ने बढ़त की प्रवृत्ति दर्शाई, उसके पश्चात 2011-13 के दौरान धीरे-धीरे कमी आई जिसका मुख्य कारण राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था। 2012-13 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं 47 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान का योगदान था।
- 2012-13 के दौरान वर्तमान मूल्य पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (16.85 प्रतिशत) भारत की सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर (13.26 प्रतिशत) से उच्चतर थी।

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- राज्य के राजस्व व्यय में 2011-12 में ₹ 52,694 करोड़ से 2012-13 में ₹ 62,968 करोड़ तक 19.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 21.65 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई एवं यह राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 39.83 प्रतिशत अधिक था लेकिन राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों के लगभग बराबर था।
- 2012-13 में पूंजीगत व्यय (₹ 11,567 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत थी।
- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगियां एवं राजसहायताएं सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 51 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। कुल ₹ 5,697 करोड़ की राजसहायता भुगतानों में से, 47 प्रतिशत उर्जा विभाग से संबंधित थी।
- 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर निधियों का अंतरण

- 2012-13 के दौरान, राज्य अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुल ₹ 6,233.66 करोड़ अंतरित किए गए थे। ये निधियां राज्य बजट से होकर नहीं गुजरी थीं। इस प्रकार की निधियों के उपयोग के अनुवीक्षण हेतु कोई पद्धति नहीं है।

अपूर्ण परियोजनाएं

- जल संसाधन विभाग में, मार्च 2013 तक 55 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 2,412.53 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसमें से 24 परियोजनाओं की आरंभिक अनुमानित लागत सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 2,067.92 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2012-13 के दौरान, सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों में किए गए ₹ 14,656.50 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ (₹ 18.38 करोड़) केवल 0.13 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.48 प्रतिशत थी।

निधियों की निवल उपलब्धता

- वर्ष 2012-13 के दौरान, आंतरिक ऋणों का पुनर्भुगतान, भारत सरकार से कर्ज एवं अन्य दायित्व तथा उन पर ब्याज नवीन ऋणों का 86 प्रतिशत था जिससे परिसंपत्तियों के सृजन हेतु बहुत कम निधियां उपलब्ध थीं।

देयताओं का प्रबंधन

- वर्ष 2012-13 के अंत में, राज्य की कुल देयताएं ₹ 90,168 करोड़ थीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात (24.92 प्रतिशत) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 36.8 प्रतिशत के भी भीतर था। तथापि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विषय में कुल देयताओं की उत्प्लावकता में 2011-12 में 0.44 से 2012-13 के दौरान 0.61 तक की वृद्धि हुई।
- 2012-13 के दौरान, राज्य की निवल बाजार उधारियों (₹ 3,363 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा। 2009-13 की अवधि के दौरान, सरकार ने पर्याप्त रोकड़ शेष होते हुए भी बाजार कर्ज लिए, जो कि कम ब्याज देने वाली '14 दिनी खजाना बिल' में निवेश किए गए थे। वार्षिक आयोजनाओं, बजट अनुमानों एवं पुनरीक्षित अनुमानों में बाजार उधारियों का आंकलन अविवेकपूर्ण था।

1.15 अनुशंसाएं

- सरकारी निवेशों पर कम प्रतिलाभ के साथ बढ़ती हुए राजकोषीय देयताएं राज्य पर लंबी अवधि में दबाव बना सकती हैं जब तक कि आगामी वर्षों में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य निवेश, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को कम करने एवं अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के उपयुक्त उपाय प्रारंभ नहीं किए जाते।
- सरकार को राज्य में सामाजिक क्षेत्रों विशेषकर शिक्षा क्षेत्र एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता देनी चाहिए।
- भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों के बेहतर अनुवीक्षण के लिए, राज्य अभिकरणों को एक समान लेखाकरण पद्धतियों का पालन एवं व्यय का उचित प्रलेखन तथा समायोजित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना चाहिए।
- सरकार को अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश बनाने एवं अनुवीक्षण में सुधार लाना चाहिए।

- नवीन उधारियां लेने से पहले राज्य को आधिक्य रोकड़ शेषों का उपयोग करना चाहिए। उत्पादित परिसंपत्तियों के उत्पादन एवं विकास योजनाओं के वित्त पोषण के घोषित उद्देश्यों के लिए बाजार उधारियों की आवश्यकताओं का आंकलन एवं उनके उचित उपयोग के अनुवीक्षण के लिए एक पद्धति का विकास किया जाए।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे है जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

80 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध 2012-13 के दौरान वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

1	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
2	3	4	5	6	7	
दत्तमत	I राजस्व	58,124.77	5,700.34	63,825.11	55,564.55	(-)8,260.56
	II पूंजीगत	11,509.28	2,457.65	13,966.93	11,698.09 ¹	(-)2,268.84
	III ऋण एवं अग्रिम	5,678.26	1,794.63	7,472.89	5,387.55	(-)2,085.34
योग दत्तमत		75,312.31	9,952.62	85,264.93²	72,650.19	(-)12,614.74
प्रभारित	IV राजस्व	8,031.83	473.54	8,505.37	7,567.54	(-)937.83
	V पूंजीगत	15.87	150.12	165.99	160.52	(-)5.47
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	7,482.73	4.37	7,487.10	3,583.94	(-)3,903.16
योग प्रभारित		15,530.43	628.03	16,158.46	11,312.00	(-)4,846.46
महायोग		90,842.74	10,580.65	1,01,423.39	83,962.19³	(-)17,461.20

(स्रोत: विनियोग लेखे)

- वर्ष के दौरान ₹ 10,580.65 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए जो कि मूल प्रावधानों के 11.65 प्रतिशत थे।
- ₹ 17,461.20 करोड़ की वास्तविक बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 10,580.65 करोड़ के संपूर्ण अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्ध हुए।
- ₹ 17,461.20 करोड़ की संपूर्ण बचत राजस्व अनुभाग के अधीन 72 अनुदानों एवं 42 विनियोगों और पूंजीगत अनुभाग के अधीन 49 अनुदानों एवं आठ विनियोगों में ₹ 17,460.96 करोड़ की बचतों का परिणाम था जिसे राजस्व अनुभाग के अधीन एक विनियोग तथा पूंजीगत अनुभाग के अधीन एक विनियोग में ₹ 0.24 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों से सारभूत परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए बचतें/आधिक्य उन्हें सूचित (जुलाई 2013) किए गए। संबंधित विभागों द्वारा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

¹ अंतर्राज्यीय परिशोधन के ₹ 7.02 करोड़ सम्मिलित हैं।

² राजस्व व्यय: ₹ 163.56 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय: ₹ 294 करोड़ के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित किए बिना सकल आंकड़े।

³ वास्तविक व्यय निम्नांकित कारणों से निम्नांकित सीमा तक अधिक बताया गया :
अव्ययित राशि के ₹ 388.98 करोड़ (राजस्व दत्तमत अनुभाग: ₹ 94.86 करोड़ तथा पूंजीगत दत्तमत अनुभाग: ₹ 294.12 करोड़) 31 मार्च 2013 को निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800-अन्य जमा के अंतर्गत अंतरित किए गए।

2012-13 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक पर आहरित राशि ₹ 1.66 करोड़ में से, उप संचालक नेशनल कैंडेट कोर, भोपाल द्वारा ₹ 0.46 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक व्यय देयक प्रस्तुत नहीं किए गए।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग-सारभूत बचतें

हमारे द्वारा किए गए विनियोग लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि 27 प्रकरणों में कुल ₹ 9,654.86 करोड़ की सारभूत बचतें हुई थी। प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ एवं संबंधित बजट प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई (परिशिष्ट 2.1)। कुल बचत ₹ 17,461.20 करोड़ (तालिका 2.1) में से प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की सारभूत बचतें कुल ₹ 9,026.17 करोड़ (51.69 प्रतिशत) 11 प्रकरणों⁴ में हुई, जो तालिका 2.2 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.2 : ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतों वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व-दत्तमत							
1.	06-वित्त	7,288.95	1.10	7,290.05	5,063.40	2,226.65	30.54
2.	29-विधि और विधायी कार्य	638.85	46.27	685.12	492.92	192.20	28.05
3.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	240.94	39.09	280.03	68.49	211.54	75.54
4.	38-आयुष	341.84	2.30	344.14	208.02	136.12	39.55
5.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	99.00	60.46	159.46	52.46	107.00	67.10
पूंजीगत-दत्तमत							
6.	06-वित्त	1,433.80	5.06	1,438.86	64.33	1,374.53	95.53
7.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	479.88	26.32	506.20	400.97	105.23	20.79
8.	55-महिला एवं बाल विकास	69.75	50.00	119.75	2.26	117.49	98.11
9.	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	400.00	304.50	704.50	454.79	249.71	35.44
10.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1,499.76	214.82	1,714.58	1,312.04	402.54	23.48
पूंजीगत-प्रभारित							
11.	लोक ऋण	7,482.73	4.37	7,487.10	3,583.94	3,903.16	52.13
योग		19,975.50	754.29	20,729.79	11,703.62	9,026.17	43.54

(स्रोत: विनियोग लेखे)

उपर्युक्त दर्शाए अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 34 योजनाओं में सारभूत बचतें देखी गई जो कि ₹ 13 करोड़ से ₹ 2,000 करोड़ के मध्य थीं। विवरण परिशिष्ट 2.2 (क) में दिए गए हैं। बुंदेलखंड पैकेज अनुदान (सरल क्रमांक-9 ऊपर) में दर्शाई गई ₹ 249.71 करोड़ की बचतों में से ₹ 294.12 करोड़, जो लेखों में मुख्य शीर्ष 4401-कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 243 करोड़) एवं 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 51.12 करोड़) के अंतर्गत अंतिम व्यय बताते हुए, 31 मार्च 2013 को 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित की गई थी।

⁴ प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक

2.3.2 सतत बचतें

सात प्रकरणों में, विगत पाँच वर्षों 2008-09 से 2012-13 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा संबंधित अनुदान/विनियोग के कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक की सतत बचतें हुई थीं जिन्हें तालिका 2.3 में दिखाया गया है।

तालिका 2.3 : 2008-13 के दौरान सतत बचतें दर्शाने वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची
(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान से प्रतिशत)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व-दत्तमत						
1	06-वित्त	624.61 (20.04)	1,434.33 (31.32)	1,501.85 (27.82)	1,966.21 (30.20)	2,226.65 (30.54)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन तथा 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
राजस्व-प्रभारित						
2	06-वित्त	10.70 (84.05)	9.99 (78.48)	12.41 (97.49)	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत-दत्तमत						
3	06-वित्त	314.61 (81.02)	113.33 (68.34)	74.94 (70.18)	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज के योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
4	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय विकास	125.22 (45.45)	174.67 (52.34)	95.08 (38.50)	44.23 (28.68)	61.21 (37.99)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
5	53-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	24.59 (39.70)	8.61 (21.04)	25.43 (41.56)	11.23 (30.11)	15.39 (41.06)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
6	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (100)	2.70 (64.29)	2.93 (69.76)	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)
बचतें मुख्यतः मुख्य शीर्ष 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत-प्रभारित						
7	लोक ऋण	1,875.55 (48.89)	3,896.40 (61.94)	3,392.77 (57.29)	3,650.31 (53.68)	3,903.17 (52.13)
बचतें मुख्यतः 6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम तथा 0779-कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम के अंतर्गत हुई।						

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

सतत बचतों से प्रदर्शित हुआ कि बजट अनुमान वास्तविक रूप से तैयार नहीं किए गए थे एवं संबंधित विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं थे।

2.3.3 योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय

43 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 2,143.57 करोड़ का कुल व्यय, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और प्रत्येक योजनाओं के लिए किए गए प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक था। जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 (ख) में दिया गया है।

2.3.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

57 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) सम्पूर्ण प्रावधान, कुल ₹ 8,916.30 करोड़ अप्रयुक्त रहा। जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2(ग) में दिया गया है।

2.3.5 2012-13 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय का राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में नियमन कराया जाना अनिवार्य है। यदि राज्य विधान सभा द्वारा किसी सेवा पर जिस उद्देश्य के लिए अनुमोदित राशि से अधिक व्यय किया गया है, तो लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) तथ्यों के साथ, आधिक्य की परिस्थितियों की जांच करेगी तथा इसको नियमितिकरण करने की अनुशंसा कर सकती है।

2012-13 के दौरान राज्य की समेकित निधि से ₹ 0.24 करोड़ के दो प्रकरणों में कुल प्राधिकृत प्रावधान से कुल आधिक्यों का सारांश तालिका 2.4 में दर्शित है, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है। उपर्युक्त आधिक्यों के कोई कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

तालिका 2.4 : 2012-13 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमितिकरण की आवश्यकता है
(₹ करोड़ में)

विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल विनियोग	व्यय	आधिक्य
10-वन (राजस्व प्रभारित)	34.59	82.40	116.99	117.22	0.23
24-लोक निर्माण सड़कें एवं पुल (पूंजीगत प्रभारित)	12.50	138.45	150.95	150.96	0.01
योग	47.09	220.85	267.94	268.18	0.24

(स्रोत: विनियोग लेखे)

2.3.6 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष 1997-98 से 2000-2001, 2002-03 से 2006-07 एवं 2008-09 से 2011-12 के वर्षों के लिए ₹ 3,014.94 करोड़ की राशि के अधिक व्यय को अब भी नियमित किया जाना है जिसका ब्यौरा परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है। लंबित नियमितिकरण हेतु अधिक व्यय की राशियों का वर्षवार सारांश तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष	संख्या		अधिक व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	नियमन की स्थिति (25 अक्टूबर 2013 की स्थिति में)
	अनुदान	विनियोग		
1	2	3	4	5
1997-98	10	03	302.79	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
1998-99	01	--	0.10	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
1999-2000	11	06	1,584.94	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2000-01	03	04	265.07	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2002-03	03	05	424.79	अनुदान संख्या 53 के संदर्भ में ₹ 31,000 को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2003-04	04	03	2.54	अनुदान संख्या 68 के संदर्भ में ₹ 1.24 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2004-05	13	02	83.66	अनुदान संख्या 84 व 86 के संदर्भ में ₹ 4.09 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2005-06	04	02	37.58	अनुदान संख्या 39 के संदर्भ में ₹ 2.27 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2006-07	02	01	35.99	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2008-09	02	02	5.80	अनुदान संख्या 62 तथा 24 (दोनों प्रभासित) के संदर्भ में ₹ 4.18 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2009-10	04	निरंक	123.96	अनुदान संख्या 49 के संदर्भ में ₹ 4.65 करोड़ को छोड़कर लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2010-11	निरंक	02	12.62	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
2011-12	04	02	135.10	सूचना प्रतीक्षित।
योग	61	32	3,014.94	

वर्षों से अनुदानों/विनियोगों के अधीन प्रावधान से आधिक्य का अनियमितिकरण अनुदानों/विनियोगों पर विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

2.3.7 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

अनुदानों/विनियोगों के 42 प्रकरणों में वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए कुल ₹ 2,483.20 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक पूर्ण रूप से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 2.4 में दर्शाया गया है। 25 प्रकरणों में ₹ 3,850.97 करोड़ की अतिरिक्त

आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 5,684.87 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 लाख से अधिक बचतें, जिनका कुल योग ₹ 1,833.90 करोड़ था, को परिशिष्ट 2.5 में दर्शाया गया है। दो प्रकरणों में अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए जिससे ₹ 0.24 करोड़ का असमाविष्ट अधिक व्यय रहा, जैसा कि ऊपर तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें अनुमानित हैं, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। 19 प्रकरणों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोगों/समर्पणों (अंतिम आधिक्य/बचतों का विचार किए बिना पुनर्विनियोग राशि 25 प्रतिशत से भी अधिक अनियमित है) के परिणामस्वरूप परिशिष्ट 2.6 में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रत्येक योजना में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत/आधिक्य हुआ।

2.3.9 अविवेकपूर्ण समर्पण

तीन प्रकरणों में, समर्पित राशियां (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) वास्तविक बचतों से अधिक थीं जिससे विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी प्रकट हुई। ₹ 66.75 करोड़ की बचतों के विरुद्ध समर्पित राशियां ₹ 69.17 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ जैसा कि तालिका 2.6 में दर्शाया है।

तालिका 2.6: वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ एक करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)					
स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचत	समर्पित राशि	अधिक समर्पित की गयी राशि
1	2	3	4	5	6
राजस्व (दत्तमत)					
1	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	46.14	0.70	1.75	1.05
राजस्व (प्रभारित)					
2	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	24.45	3.73	3.92	0.19
पूँजीगत (दत्तमत)					
3	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	122.90	62.32	63.50	1.18
योग		193.49	66.75	69.17	2.42

(स्रोत: विनियोग लेखे)

2.3.10 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के कंडिका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचतों का विवरण पत्रक 15 जनवरी तक वित्त विभाग को आवश्यक रूप से सौंपना होता है।

वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर, सभी अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹ 17,461.20 करोड़ में से केवल ₹ 5,670.36 करोड़ की राशि समर्पित की परिणामस्वरूप संबंधित विभागों द्वारा कुल ₹ 11,790.84 करोड़ (कुल बचत की 67.52

प्रतिशत) की बचतों का समर्पण नहीं किया गया। इनमें महत्वपूर्ण बचत वाले 54 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक एवं बचत का 20 प्रतिशत से अधिक) कुल ₹ 10,914.37 करोड़ के सम्मिलित हैं जिनका समर्पण नहीं किया गया, विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया है।

इसके अतिरिक्त, 33 प्रकरणों में, (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों का समर्पण), ₹ 2,134.85 करोड़ (**परिशिष्ट 2.8**) की कुल बचत राशि का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में किया गया, जिससे इन निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु करने में बहुत कम गुंजाइश रही।

2.3.11 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

हमने पाया कि **परिशिष्ट 2.9** में सूचीबद्ध अनुदानों/विनियोगों के 70 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक का व्यय, कुल ₹ 7,523.29 करोड़ माह मार्च 2013 में व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त ₹ 8,151.54 करोड़ (92 प्रतिशत) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए। इससे त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और व्यय के प्रवाह में एकरूपता न होना दर्शित हुआ जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

2.3.12 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के उप नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

2012-13 के दौरान ₹ 388.98 करोड़ 30 एवं 31 मार्च 2013 को आहरित किए गए तथा **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाये विवरण अनुसार लेखे में संबंधित योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दिखाते हुए 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित किया गया। इसमें केंद्रीय योजनाओं से संबंधित ₹ 373.98 करोड़ की राशि सम्मिलित थी। इस प्रकार केंद्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए एवं राशियों को आवश्यकता से पूर्व आहरित कर लिया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

2.3.13 बिना प्रावधान के किया गया व्यय

हमने देखा कि दो प्रकरणों में ₹ 334.99 करोड़ का व्यय बजट अनुमान में बिना किसी प्रावधान के किया गया। एक प्रकरण में ₹ 330.32 करोड़ के व्यय का कारण सूचित (अगस्त 2013) नहीं किए गए। विवरण **तालिका 2.7** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.7: 2012-13 के दौरान बिना प्रावधान के किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	व्यय	कारण
1	2	3	4	5
1	आई.पी.- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-109-5691-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जों पर ब्याज	330.32	कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
2	पी.डी.-लोक ऋण	6003-109-7061-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण का भुगतान	4.67	विनियोग विधेयक 2012-13 (द्वितीय अनुपूरक) में भारत विनियोग-लोक ऋण के स्थान पर अनुदान संख्या 6 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण प्रावधान किए जाने के कारण
योग			334.99	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

2.3.14 बजट में नवीन मदों पर व्यय के लिये दिए गए प्रावधान का उपयोग न होना

2012-13 के दौरान बजट में नवीन व्यय की अनुसूची की जांच में पाया गया कि नौ अनुदानों से संबंधित 24 योजनाओं में ₹ 186 करोड़ नवीन मदों पर व्यय (प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) हेतु उपलब्ध कराये गये थे। वर्ष 2012-13 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे, जिनके लिए कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)। विवरण परिशिष्ट 2.11 में दिए गए हैं।

2.3.15 परिवार पेंशन का आधिक्य भुगतान

मध्य प्रदेश पेंशन नियम के नियम 47 में प्रावधान है कि परिवार पेंशन बढ़ी हुई दर पर सात वर्षों के लिए देय है या उस दिनांक तक जिस दिनांक को शासकीय कर्मचारी 67 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा, यदि वह जीवित रहा इसमें से जो भी पहले हो।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा कोषालयों के निरीक्षण (फरवरी 2012 से मार्च 2013 तक) के दौरान यह देखा गया कि परिवार पेंशन बढ़ी हुई दर पर निर्धारित अवधि, जिसमें बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन देय थी, के व्यपगत होने के बाद भी दी जाना जारी थी। इसके परिणामस्वरूप आठ कोषालयों में ₹ 26 लाख का परिवार पेंशन का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि तालिका 2.8 में दर्शाया है।

तालिका 2.8: परिवार पेंशन का आधिक्य भुगतान

स.क्र.	कोषालयों का नाम	निरीक्षण की अवधि	परिवार पेंशनभोगियों की संख्या	अधिक भुगतान की अवधि	निरीक्षण के दिनांक तक अधिक भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6
1	सिवनी	02/12 से 01/13	1	02/10 से 10/12	97,788
2	मुरैना	04/12 से 03/13	7	08/10 से 02/13	1,54,332
3	खण्डवा	02/12 से 01/13	6	01/09 से 01/13	7,62,869
4	भोपाल	02/12 से 01/13	1	12/08 से 12/12	38,845
5	हरदा	04/12 से 03/13	2	11/11 से 03/12	59,059
6	भिण्ड	04/12 से 03/13	7	12/11 से 03/13	2,49,895
7	सतना	03/12 से 01/13	11	12/08 से 12/12	11,71,332
8	सिहोर	04/12 से 03/13	3	--	73,200
योग			38		26,07,320

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी))

प्रकरण को शासन को भेजा गया (जून 2013), शासन ने सभी कोषालय अधिकारियों को परिवार पेंशन के अधिक भुगतान की वसूली हेतु अनुदेश जारी किए थे। राज्य शासन से चूककर्ता बैंक कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी निवेदन किया गया है।

2.4 अनुदान क्रमांक 19 की समीक्षा-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से सभी प्रकार के धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, विनियोग अधिनियम और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई राशियाँ, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान मानी जाती है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वर्ष 2012-13 के बजट प्रक्रिया की समीक्षा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना (अनुदान क्रमांक 19, 41 एवं 64) के साथ विनियोग लेखे के आंकड़ों एवं कार्यालय बजट नियंत्रण अधिकारी (संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2013) के आधार पर की गई। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती हैं:

2.4.1 सारांशीकृत स्थिति

अनुदान-19 के अंतर्गत बजट, व्यय और बचतों की राशियों के ब्यौरे तालिका 2.9 में संक्षिप्त है।

तालिका 2.9: सारांशीकृत विनियोग

							(₹ करोड़ में)
अनुदानों का विवरण	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का कुल अनुदान से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या 19	राजस्व (दत्तमत)	2,145.15	136.04	2,281.19	2,041.38	239.81	10.51
	पूँजीगत (दत्तमत)	122.90	सांकेतिक	122.90	60.58	62.32	50.71
अनुदान संख्या 41(17)-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)	राजस्व (दत्तमत)	165.31	94.90	260.21	206.08	54.13	20.80
	पूँजीगत (दत्तमत)	84.80	निरंक	84.80	31.93	52.87	62.35
अनुदान संख्या 64(17)-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति उपयोजना)	राजस्व (दत्तमत)	117.95	40.77	158.72	120.73	37.99	23.94
	पूँजीगत (दत्तमत)	86.40	निरंक	86.40	37.71	48.69	56.35
योग		2,722.51	271.71	2,994.22	2,498.41	495.81	16.56

(स्रोत: विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि कुल बजट प्रावधान ₹ 2,994.22 करोड़ के विरुद्ध ₹ 495.81 करोड़ (कुल अनुदान का 16.56 प्रतिशत) की संपूर्ण बचत थी। ₹ 495.81 करोड़ की बचत में से ₹ 331.93 करोड़ (67 प्रतिशत) एवं

₹ 163.88 करोड़ (33 प्रतिशत) की बचतें क्रमशः राजस्व अनुभाग एवं पूंजीगत अनुभाग में हुईं। इसके अतिरिक्त, राजस्व एवं पूंजीगत अनुभागों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए ₹ 271.71 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान से कम था।

2.4.2 महत्वपूर्ण बचतें

राजस्व अनुभाग में प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण बचतें, कुल ₹ 78.95 करोड़ (कुल बचत का 23.79 प्रतिशत: ₹ 331.93 करोड़), मुख्यतः तीन योजनाओं के अंतर्गत हुईं। पूंजीगत अनुभाग में ₹ 92.84 करोड़ (कुल बचत का 56.65 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण बचतें (₹ 10 करोड़ और अधिक) चार योजनाओं के अंतर्गत हुईं। विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: 2012-13 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें

		(₹ करोड़ में)
स.क्र.	योजनाओं का नाम	बचतें
राजस्व अनुभाग		
1	2210-01-110-0701-केंद्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)-5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	15.00
2	(अनुदान संख्या 41/17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) 2210-06-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	14.20
3	(अनुदान संख्या 41/17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) 2210-06-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7201-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	49.75
योग (राजस्व अनुभाग)		78.95
पूंजीगत अनुभाग		
4	4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) -7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	37.56
5	(अनुदान संख्या 41/17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) 4210-02-796-104-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7204-प्री फेब्रीकेटेड उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण	13.06
6	(अनुदान संख्या 41/17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) 4210-04-796-112-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	14.90
7	(अनुदान संख्या 64/17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) 4210-01-789-110-1303-केंद्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण	27.32
योग (पूंजीगत अनुभाग)		92.84

(स्रोत: विनियोग लेखे)

ऊपर वर्णित सभी योजनाओं के अंतर्गत बचत के कारण, स.क्र.5 पर वर्णित योजना को छोड़कर, सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)। स.क्र.5 पर वर्णित योजना के अंतर्गत बचत का आंशिक कारण कार्य निष्पादन के लिए एजेंसी का देरी से निर्धारित करना था (₹ 6.42 करोड़)। तथ्य यह है कि इस तरह की महत्वपूर्ण बचतें, बजट अनुमान का अवास्तविक आंकलन एवं बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया में शिथिलता का द्योतक है। यदि इन बचतों को समय से समर्पित कर दिया गया होता तो बचतों का अन्य योजनाओं, जहाँ निधियों की आवश्यकता थी, में प्रयोग किया जा सकता था। आगे, बचतों की राशि तक, अनुपूरक बजट प्रावधानों को टाला जा सकता था।

हमने यह भी देखा कि 26 योजनाओं में सम्पूर्ण बजट प्रावधान कुल ₹ 113.93 करोड़ अप्रयुक्त रहा। विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दिए गए हैं। बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया (जून 2013) कि वित्त समितियों द्वारा प्रशासनिक संस्वीकृतियां नहीं दिए जाने एवं विभाग द्वारा राज्य योजना आयोग की सहमति से योजना को समाप्त कर देने से निधियों का उपयोग नहीं हो सका। तथ्य यह है कि निधियों को समय रहते समर्पित कर देना चाहिए था ताकि संसाधनों का अन्य कार्य हेतु उपयोग हो पाता। प्रकरण शासन को सूचित (अगस्त 2013) किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितंबर 2013)।

2.4.3 अप्रयुक्त अनुपूरक प्रावधान

2210-03-197-5998-समुदाय स्वास्थ्य केंद्र योजना के अंतर्गत ₹ 2.65 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए। तथापि ₹ 3.19 करोड़ की बचतें थीं। इस तरह सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहे। बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2013)।

2.4.4 बजट अनुमानों की तैयारी

मध्य प्रदेश शासन बजट नियमावली खंड-1 (भाग ब) की कंडिका बी-7 एवं 8 के अनुसार, समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमान को संग्रहित करने के साथ ही साथ बजटोत्तर निधियों, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त की जानी है, के अनुमानों की तैयारी एवं व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के उत्तरदायी है। बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार सभी अनुमानों को संग्रहित करना चाहिए एवं उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

इसका कोई प्रमाण नहीं था कि बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमान प्राप्त किए गए थे।

बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया (जून 2013) कि बजट तैयार करने से पहले आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मुद्रा सॉफ्टवेयर के निर्धारित प्रारूप में बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश जारी किए जाते हैं। इसके आधार पर अगले वर्ष के बजट प्रस्ताव मुद्रा सॉफ्टवेयर में तैयार किया जाता है एवं वित्त विभाग को भेजे जाते हैं। तथापि, बजट नियंत्रण अधिकारी ने यह नहीं बताया कि 2012-13 के लिए बजट अनुमान तैयार करते समय, क्या आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रक्रिया का अनुकरण किया गया।

2.4.5 पूंजीगत अनुभाग के स्थान पर राजस्व अनुभाग में उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों के अंतर्गत बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण

हमने देखा कि 26 योजनाओं के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों के अंतर्गत ₹ 37.22 करोड़ के बजट प्रावधान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकृत कर दिए गए थे जबकि उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों की प्रकृति पूंजीगत अनुभाग से संबंधित है। उद्देश्य शीर्षवार एवं योजनावार विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा (जून 2013) द्वारा इस ओर इंगित करने पर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (जून 2013) कि उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों के अंतर्गत प्रावधान वित्त विभाग द्वारा राजस्व अनुभाग के अंतर्गत किए गए थे इसलिए उसको राजस्व अनुभाग के अंतर्गत दर्ज किया गया था। तथ्य यह है कि उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों पूंजीगत प्रकृति का है और बजट में राजस्व अनुभाग में गलत वर्गीकरण कर दिया गया है।

2.5 निष्कर्ष

2012-13 के दौरान ₹ 1,01,423 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 83,962 करोड़ का व्यय हुआ। 2012-13 के दौरान ₹ 10,581 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 17,461 करोड़ की समग्र बचत हुई थी। 11 प्रकरणों (आठ विभागों) में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक कुल ₹ 9,026 करोड़ (कुल बचतों का 52 प्रतिशत) की बचतें हुई थी। हमने देखा कि वर्ष के दौरान ₹ 5,670.36 करोड़ (कुल बचतों का 32 प्रतिशत) समर्पित किए गए। 33 प्रकरणों में महत्वपूर्ण बचतें (प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक) कुल ₹ 2,135 करोड़ वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित किए गए थे, जिससे इन निधियों का अन्य कार्यों के उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची। ₹ 389 करोड़ की राशि वर्ष की समाप्ति पर लोक लेखे में सिविल जमा में अंतरित की गई थी जिससे राज्य की संचित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ होता है। ₹ 335 करोड़ का व्यय राज्य बजट में बिना प्रावधान के किया गया। 19 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन/समर्पण भी अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक योजना में बचत/आधिक्य हुए। 2012-13 के दौरान किए गए ₹ 0.24 करोड़ के आधिक्य व्यय हुए जिनकी संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमितीकरण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 1997-98 से 2011-2012 की अवधि से संबंधित ₹ 3,015 करोड़ भी अनियमित रहे।

2.6 अनुशंसाएं

- सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को व्यय के उचित अनुवीक्षण एवं निधियों के समय से समर्पण द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- अत्यधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान एवं निधियों के पुनर्विनियोग को टाला जाना चाहिए।
- वित्तीय वर्ष की नितान्त समाप्ति पर सिविल जमा शीर्ष में निधियां अंतरित की गईं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया परिणामस्वरूप राज्य का व्यय बढ़ा हुआ बताया गया जिसे टाला जाना चाहिए।
- 1997-98 से लंबित आधिक्य व्यय का नियमितीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सूचनातंत्र, राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी सुशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ इन अनुपालनों की समयबद्धता और सूचना की गुणवत्ता की स्थिति अच्छे सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली एवं प्रक्रियात्मक है तो यह राज्य सरकार की मूलभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व निभाने के साथ सामरिक महत्व की योजना व निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इस अध्याय में वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं एक विहंगावलोकन दिया गया है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदानों के मामले में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान देयक आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2012-13 तक विभिन्न विभागों में सहायता-अनुदान स्वीकृति के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		चालू वर्ष के दौरान देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		योग		वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		वर्ष के अंत में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11 तक	35761	17,733.88	6933	8,773.78	42694	26,507.66	6544	8,379.87	36150	18,127.79
2011-12	36150	18,127.79	4551	15,020.76	40701	33,148.55	296	1,730.83	40405	31,417.72
2012-13	40405	31,417.72	687	3,708.83	41092	35,126.55	2469	6,885.64	38623	28,240.91

(स्रोत: वित्त लेखा 2012-13)

जैसा कि उपर्युक्त में देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2013 को 33 विभागों के कुल राशि ₹ 28,240.91 करोड़ के 38623 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वृहद् रूप से लंबित रहना मुख्य रूप से नगरीय प्रशासन (₹ 9,548 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 4,881 करोड़), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 4,942 करोड़), स्कूल शिक्षा (₹ 4,285 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 997 करोड़) विभागों से संबंधित था।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय से प्रस्तुत न किया जाना विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में निगरानी की कमी दर्शाता है और परिणामतः अनुदानों की दुरुपयोगिता संभावित है।

3.2 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की है। राज्य में सात स्वायत्तशासी निकायों¹ के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 जून 2013 को लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति तालिका 3.2 में दी गई है।

तालिका 3.2 : स्वायत्तशासी निकायों के लेखे भेजने की स्थिति

स.क्र.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति में विलंब (माहों में)
1	मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल	2011-12 तक	2010-11	2007-08	2003-04	2008-09 (40) 2009-10 (34) 2010-11 (22) 2011-12 (12)
2	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2011-12 तक	2008-09	2008-09	2004-05	2009-10 (36) 2010-11 (24) 2011-12 (12)
3	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2012-13 तक	2011-12	2011-12	2008-09	2011-12(निरंक) 2012-13(निरंक)
4	मध्य प्रदेश भवन तथा निर्माण कार्यकर्ता कल्याण मंडल, भोपाल	2012-13 तक	2008-09	2005-06	जानकारी प्रतीक्षित	2006-07 (57) 2007-08 (45) 2008-09 (33) 2009-10 (36) 2010-11 (24) 2011-12 (12) 2012-13(निरंक)
5	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	01.04.12 से 25.04.12	2012-13	2012-13	जानकारी प्रतीक्षित	-
6	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत शक्ति नियामक आयोग	2012-13 तक	2012-13	2011-12	जानकारी प्रतीक्षित	-
7	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	स्थापना (1997-98) से प्रस्तुत नहीं किए गए	-	जानकारी प्रतीक्षित	180

विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2013 तक ली गई है।

¹ जून 2011 में जारी अनुदेशों के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखाओं को संग्रह करने हेतु अधिकृत होंगे। इसलिए 42 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखाओं की स्थिति अलग से नहीं दर्शाई गई है।

सात स्वायत्तशासी निकायों में से, मध्य प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ने अपनी स्थापना (1997-98) के 15 वर्षों के पश्चात भी लेखे प्रस्तुत नहीं किए। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से पत्राचार (जुलाई 2013) किया गया था। जैसा कि तालिका 3.2 में देखा जा सकता है कि तीन स्वायत्तशासी निकायों (सरल क्रमांक एक, दो एवं चार) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में 57 महीनों तक का अत्यधिक विलंब किया गया था।

राज्य विधानसभा में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलंब के परिणामस्वरूप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई, इसके साथ ही स्वायत्तशासी निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलंब हुआ।

3.3 दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि की सूचना

मध्य प्रदेश वित्त संहिता नियमावली खंड 1 के नियम 22(1) में कहा गया है कि कोई भी लोक धन की हानि, गबन से हो या अन्य किसी कारण से, तत्काल महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इस हानि को जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2013 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 3165 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 51.76 करोड़ का शासकीय धन समाविष्ट था, जिन पर जून 2013 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। इस राशि में वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 2.41 करोड़ (175 प्रकरण) सम्मिलित थे। ₹ 27.77 करोड़ एवं ₹ 14.66 करोड़ के बहुत से प्रकरण क्रमशः स्कूल शिक्षा तथा वानिकी एवं वन्य प्राणी विभागों के लिए वसूली/नियमितिकरण हेतु लंबित थे। 2012-13 के अंत में दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का विभागवार विवरण तथा उनका समयवार विश्लेषण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है। विभागवार और अनियमितता की प्रकृति अनुसार इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा के साथ अनियमितता की प्रकृति का सारांश तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3 : दुर्विनियोग, हानियों, गबन इत्यादि की रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
वर्षों में वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)
0 - 5	554	38.17	चोरी दुर्विनियोग/सामग्री की हानि	228	2.54
5 - 10	426	3.55			
10 - 15	482	4.37			
15 - 20	404	2.47			
20 - 25	699	1.69			
25 और उससे अधिक	600	1.51			
योग	3165	51.76	योग	3165	51.76

आगे और विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण बकाया थे उनको तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4 : दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि के बकाया प्रकरणों के कारण

विलंब/बकाया प्रकरणों के कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	36	0.30
(ii)	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अंतिम रूप नहीं दिया	21	1.21
(iii)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र प्रकरणों का निष्पादन लंबित था	05	0.06
(iv)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3096	46.43
(v)	न्यायालयों में लंबित	07	3.76
योग		3165	51.76

इस तरह ₹ 51.76 करोड़ के 3165 प्रकरणों में से ₹ 10.04 करोड़ के 2185 प्रकरण (69 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक लंबित थे। 3096 प्रकरणों (98 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 11.66 लाख के 66 हानि के प्रकरणों का अपलेखन किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में विस्तृत किया गया है।

3.4 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब

3.4.1 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक व्यय प्रभारों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय के देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषण हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के उप नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नियंत्रण अधिकारी को आगामी महीने की पांच तारीख तक प्रस्तुत कर देने चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को पारित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक महालेखाकार को प्रस्तुत करना होता है, ताकि ये देयक महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने की 25 तारीख से पहले प्राप्त हो जाए। वित्त विभाग के अनुदेश (सितम्बर 1999) द्वारा सभी विभागों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को छोड़कर (केवल नेशनल केडेट कोर पर व्यय के लिए) संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हमने देखा कि मार्च 2013 के अन्त तक, ₹ 15.24 करोड़ के 673 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक लंबित थे। संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों से आहरण के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब के वर्षवार विवरण तालिका 3.5 में दिए गए हैं।

तालिका 3.5: मार्च 2013 के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की बकाया स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक		योग		वर्ष के दौरान प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक		वर्ष के अंत में बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11 तक	1343	21.11	203	1.53	1546	22.64	207	1.21	1339	21.43
2011-12	1339	21.43	8	0.05	1347	21.48	477	1.98	870	19.50
2012-13	870	19.50	300	1.66	1170	21.16	497	5.92	673	15.24

(स्रोत: वित्त लेखे 2012-13)

2012-13 तक के वर्षों के लिए विभागवार लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का ब्यौरा तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: वर्ष 2012-13 तक लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयक

स.क्र.	विभागों के नाम/नियंत्रण अधिकारी	संक्षिप्त आकस्मिक देयकों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल	19	7.59
2	उप संचालक (एन.सी.सी.) राज्य, भोपाल	57	0.46
3	आयुक्त, जनजाति कल्याण विभाग, भोपाल	37	0.37
4	संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, भोपाल	529	6.45
5	संयुक्त संचालक (मृदा संरक्षण), किसान कल्याण एवं कृषि विकास, भोपाल	31	0.37
	योग	673	15.24

3.5 विभागीय आंकड़ों का मिलान न होना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर एवं ठीक करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2012-13 के दौरान इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा।

हमने देखा कि 2012-13 के दौरान कुल व्यय ₹ 79,920 करोड़ के विरुद्ध 104 नियंत्रण अधिकारियों में से 81 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 52,339.05 करोड़ (65 प्रतिशत) का

मिलान किया गया था। 31 मार्च 2013 को 23 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 27,580.95 करोड़ की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियाँ ₹ 70,500 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 4,398.53 करोड़ (6.24 प्रतिशत) के मिलान पूर्ण किए गए थे। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय और प्राप्तियों का मिलान न किये जाने से वित्तीय प्रबंधन में कमी दर्शित हुई।

3.6 लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 8.3.5(VI) के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारियों को बहुप्रयोजन लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के संचालन को सुनिश्चित करना होता है। चूंकि पूर्व से अधिकतर शासकीय गतिविधियां महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केंद्र व राज्य के मुख्य व लघु शीर्ष की सूची में स्पष्ट वर्णित हैं, लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' का संचालन कम से कम किया जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में इस लघुशीर्ष के अंतर्गत व्यय का वर्गीकरण आवश्यक है, अनुमान विस्तृत विवरण के साथ होना चाहिए और महालेखाकार द्वारा पुनरीक्षण आवश्यक है।

वित्त लेखा 2012-13 की जांच में पाया गया कि, ₹ 10,462.42 करोड़ का व्यय, कुल व्यय का 14 प्रतिशत (राजस्व एवं पूंजीगत) संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया, जो कि लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। लेखे (राजस्व एवं पूंजीगत) के 15 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 6,819.50 करोड़ (इन 15 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 77 प्रतिशत: ₹ 8,870.43 करोड़) लेखे में '800-अन्य व्यय' लघु शीर्ष लेखे के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए। प्रत्येक लघु शीर्ष के अंतर्गत राशियां संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय के 51 से 100 प्रतिशत के मध्य रहीं। विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिए गए हैं।

इसी तरह, संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 14,944.51 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 70,427.28 करोड़) का 21 प्रतिशत दर्ज की गईं, जो कि लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी। लेखे (राजस्व प्राप्तियां) के 18 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 17,208.44 में से ₹ 12,140.63 करोड़ (71 प्रतिशत) '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, जो कि संबंधित शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों के 51 से 101 प्रतिशत के मध्य रहा। विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

लघु शीर्ष '800-अन्य' के अंतर्गत दर्ज की गईं बड़ी राशियाँ वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं क्योंकि, इससे लेखों में पृथक से सरकार की विभिन्न गतिविधियों पर विखण्डित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती।

3.7 निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों को प्रस्तुत न करना

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत जिन संस्थानों/संगठनों की लेखापरीक्षा की जानी है उनको पहचानने के लिए, सरकार/विभागाध्यक्ष को विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की गई और संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, विनियम 2007 उपबंधित करता है कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष, जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, वे प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में, उन निकायों एवं प्राधिकरणों जिनको पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया था, का विवरण पत्र, जिसमें (अ) सहायता की राशि (ब) जिस उद्देश्य के लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी (स) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शित हो, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

सितम्बर 2013 तक, मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए इस तरह के विवरण प्रस्तुत नहीं किए। प्रकरण को सरकार के मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग (अगस्त 2013) के ध्यान में भी लाया गया है।

वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि, संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

3.8 व्यक्तिगत जमा लेखे

व्यक्तिगत जमा लेखे वे जमा लेखे हैं जो लेखे के प्रशासक के नाम से कोषालय में खोले जाते हैं। राशि को 8443-सिविल जमा 106-व्यक्तिगत जमा अंतर्गत रखा जाता है। इन लेखों को वित्त विभाग के अनुमोदन से ही खोला जा सकता है। वर्तमान नियमानुसार महालेखाकार की सहमति आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के उपनियम 543 एवं 584 से 590 के प्रावधानों के अनुसार जो कि व्यक्तिगत जमा लेखे के संधारण से संबंधित है, ऐसे व्यक्तिगत जमा लेखे जो राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले जाते हैं, उनको वित्त वर्ष की समाप्ति पर संबद्ध सेवा शीर्ष को ऋणात्मक नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। वित्त विभाग के फरवरी 2010 के अनुदेशों के अनुसार, यदि अगले वर्ष व्यक्तिगत जमा लेखे खोलना आवश्यक है तो सामान्य प्रक्रिया से खोला जा सकता है। जो व्यक्तिगत जमा लेखा लगातार तीन वर्ष तक अप्रचलित रहे हैं उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासक को सूचना देकर बंद कर देना चाहिए एवं शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में शासकीय लेखे में अंतरित करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर देनी चाहिए। व्यक्तिगत जमा लेखे का कोषालय लेखे से समय-समय पर मिलान संबंधित प्रशासक का उत्तरदायित्व है।

व्यक्तिगत जमा लेखे की समग्र स्थिति

शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों के व्यक्तिगत जमा लेखे जो कि राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले गये हैं, के लेन-देन संबंधी विवरण, वर्ष 2010-13 के लिए, तालिका 3.7 में दिए गए हैं।

तालिका 3.7: व्यक्तिगत जमा लेखों के अंतर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान खोले गए		वर्ष के दौरान बंद किए गए		वर्ष के अंत में विद्यमान व्यक्तिगत जमा लेखे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11	683	1,894.03	87	109.43	05	0.02	765	2,003.45
2011-12	765	2,003.45	128	3.93	07	0.08	886	2,007.30
2012-13	886	2,007.30	27	80.96	09	25.24	904*	2,063.02

(स्रोत: वित्त लेखे)

* 236 व्यक्तिगत जमा लेखे राशि ₹ 42.30 करोड़ एक वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे।

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि 55 जिला कोषालयों में 31 मार्च 2013 को 904 व्यक्तिगत जमा लेखे (शासकीय: 898, अर्द्ध शासकीय: 06) विद्यमान थे जिनमें ₹ 2,063.02 करोड़ शेष थे। व्यक्तिगत जमा लेखों के अंतिम शेष से प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने नियमानुसार वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा लेखों के सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे में डालकर बंद नहीं किया। चूंकि राज्य की समेकित निधि से व्यक्तिगत जमा लेखे में अंतरित राशि को अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा लेखे को बंद न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय बढ़ा हुआ होता है।

दो व्यक्तिगत जमा लेखे² के प्रशासकों के अभिलेख (मई से सितम्बर 2013) की नमूना जांच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- संचालक, पशुपालन विभाग ने 2007-13 की अवधि के दौरान अपने व्यक्तिगत जमा लेखे (क्रमांक 38) में विभिन्न योजनाओं³ में ₹ 73.23 करोड़ जमा किए। वर्षों की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा लेखा बंद नहीं किया गया था। 31 मार्च 2013 को ₹ 11.71 करोड़ अंतिम शेष था, जिसमें 2011-12 के दौरान अंतरित बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित ₹ 10.14 करोड़ भी सम्मिलित थे।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2013 को, विभागीय आंकड़ों एवं कोषालय आंकड़ों के मध्य ₹ 0.59 करोड़ (कोषालय आंकड़े: ₹ 11.12 करोड़ एवं रोकड़ बही

² (1) संचालक, पशुपालन, भोपाल (2) आयुक्त, संस्थागत वित्त (फण्ड मैनेजर) भोपाल

³ (1) चारा एवं चारागाह विकास, (2) अपग्रेडेशन ऑफ बायोसिक्वोरिटी लेबोरेटरी, (3) ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री विकास, (4) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (5) एवियन इन्फ्लूएंजा, (6) बर्ड फ्लू लाइव स्टॉक लिंक वर्कर ट्रेनिंग प्रोग्राम, (7) बुंदेलखण्ड पैकेज

आंकड़े: ₹ 11.71 करोड़) की विसंगति थी जो कि कोषालय अभिलेख से मिलान नहीं किए जाने के कारण थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर संचालक ने बताया (अगस्त 2013) कि वित्त विभाग के अनुमोदन से राशि का आहरण कर व्यक्तिगत जमा लेखे में रखी गई एवं अंतर के मिलान के लिए महालेखाकार से पत्राचार किया जा चुका है। तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधान, प्रशासक द्वारा व्यक्तिगत जमा लेखे को बंद करने एवं नियतकालिक मिलान का अनुसरण नहीं किया गया था।

- वित्त विभाग (संस्थागत वित्त) के अंतर्गत निधि प्रबंधक, मध्य प्रदेश अधोसंरचना निवेश निधि बोर्ड के व्यक्तिगत जमा लेखे (क्रमांक 17) की जांच में प्रकट हुआ कि ₹ 9.37 करोड़ की राशि को निरंतर अप्रैल 2008 से जून 2012 तक रोक कर रखा गया था। नियमानुसार कोषालय अधिकारी एवं प्रशासक द्वारा राशि को शासकीय लेखे में अंतरित करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें से 2012-13 के दौरान ₹ 9.24 करोड़ खर्च किए गए थे। 31 मार्च 2013 को लेखे में ₹ 13.25 लाख के अंतिम शेष थे।

वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश अधोसंरचना निवेश निधि बोर्ड के उत्तर (अक्टूबर 2013) को अग्रेषित करते हुए बताया कि इस व्यक्तिगत जमा लेखे से वायबिलिटी गैप फन्डिंग हेतु आवश्यक निर्धारित लक्ष्यों को (माइलस्टोन) प्राप्त करने हेतु राशियां मुख्यतः मध्य प्रदेश सड़क ग्रामीण विकास निगम को संवितरित की गई थी। बोर्ड ने बताया कि, 2011-12 से व्यक्तिगत जमा लेखे की निरंतरता हेतु समय से अनुमति (जनवरी 2012) प्राप्त की गई थी। यह भी बताया गया कि, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का नियम 543 इस व्यक्तिगत जमा लेखे पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह राज्य की समेकित निधि से विकलन कर नहीं खोला गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशासक ने प्रत्येक वित्त वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व व्यक्तिगत जमा लेखे को जारी रखने हेतु अनुमति प्राप्त नहीं की थी। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता का नियम 543 इस व्यक्तिगत जमा लेखे पर लागू होता है क्योंकि यह महालेखाकार की अनुमति से खोला गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि व्यक्तिगत जमा लेखे को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बंद कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार ₹ 9.37 करोड़ की निधि चार वर्ष के लिए अवरूद्ध रही।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2013); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2013)।

3.9 निष्कर्ष

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों एवं कार्यविधियों के अनुपालन में कमी थी। ₹ 28,240.91 करोड़ के अनुदानों के संबंध में बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (38623) अनुदानग्राही संस्थानों से प्रतीक्षित थे जो विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है। स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (57 महीनों तक का) हुआ जिससे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हुई। ₹ 51.76 करोड़ की राशियों की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के प्रकरणों के निर्वतन में सरकार का अनुपालन लंबित था। 2012-13 की समाप्ति पर संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर आहरित ₹ 15.24 करोड़ के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयक प्रतीक्षित थे। 31 मार्च 2013 को, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 2,063 करोड़, 904 व्यक्तिगत जमा लेखे में रोक कर रखे गए थे। 2012-13 के दौरान 23 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 27,580.95 करोड़ की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया। इन समस्त कमियों ने विभागों में आंतरिक नियंत्रण के अभाव और निष्प्रभावी शासन को प्रतिबिंबित किया।

3.10 अनुशंसाएं

- अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदान के संबंध में, विभागों को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।
- स्वशासी निकायों द्वारा लेखों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- दुर्विनियोगों, हानियों इत्यादि के प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रतापूर्वक पूरी करनी चाहिए ताकि चूककर्ताओं द्वारा की गई चूक दर्ज हो सके। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा लेखे को बंद करना सुनिश्चित किया जाए एवं निधियों को राज्य की समेकित निधि में अंतरित किया जाए।

ग्वालियर
दिनांक

(के.के. श्रीवास्तव)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)

(संदर्भ: कंडिका राज्य की रूपरेखा एवं 1.7.2; पृष्ठ 1, 36)

क	सामान्य आंकड़े *	विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 %)		38.30 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 %)	69.69 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 %)	70.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 42 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		67
7	जन्म के समय जीवित रहने की आशा** (अखिल भारतीय औसत=66.1 वर्ष)		58 वर्ष
8	जिनी कोएफिशियेन्ट***		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.29)	0.29
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय=0.38)	0.36
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर 2012-13		₹ 3,61,874 करोड़
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर प्रति व्यक्ति (2003-04 से 2012-13)	मध्य प्रदेश	13.06 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य	14.94 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2003-04 से 2012-13)	मध्य प्रदेश	15.00 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य	16.37 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि दर (2003-04 से 2012-13)	मध्य प्रदेश	16.58 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य	13.22 प्रतिशत
ख.	वित्तीय आंकड़े		
	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)	
	संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर	2003-04 से 2011-12	2003-04 से 2012-13
		सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्ति के	17.48	17.84
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	17.44	16.56
ग.	करेतर राजस्व के	12.64	19.73
घ.	कुल व्यय के	14.15	15.58
ङ.	पूंजीगत व्यय के	16.83	14.49
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	16.85	17.17
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	15.35	13.78
ज.	वेतन एवं मजदूरी के	14.18	11.47
झ.	पेन्शन के	18.36	15.53

स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेख पर आधारित हैं

- * सामान्य आंकड़े: गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग एवं एन. एस. एस. ओ. डाटा, 61वां चक्र)
- ** जन्म के समय जीवित रहने की आशा (भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मन्त्रालय), आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12, संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर
- *** जिनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट असमानता कम है; एक के निकट असमानता ज्यादा है
- टिप्पणी: सामान्य संवर्ग के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना, सामान्य संवर्ग के 16 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है (दिल्ली, गोवा, और पुडुचेरी को छोड़कर)

परिशिष्ट - 1.2

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I : समेकित निधि : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III : लोक लेखा : प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

वित्त लेखों की रूपरेखा 2012-13

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग-1 में सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण है और भाग-2 में इनके विस्तृत विवरण दिए गए हैं। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग-2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुसूचित व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	रूपरेखा
1	राज्य की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति जिसमें 2012-13 के अन्त में सरकार की परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित संचयी आंकड़े दिये गये हैं।
2	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों के तीन भागों सभी में प्राप्ति और संवितरणों का संक्षेप
3	समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्ति, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान और पूंजीगत, लोक ऋण और अन्य प्राप्ति का संक्षेप
4	राज्य की समेकित निधि के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत चालू वर्ष में व्यय का संक्षेप
5	2012-13 के दौरान तथा अन्त में मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विवरण
6	राज्य की ऋण स्थिति का संक्षेप जिसमें आंतरिक ऋणों, भारत सरकार, अन्य दायित्वों और ऋण शोधन से उधारियाँ सम्मिलित हैं।
7	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों एवं पुनर्भुगतान की गई, बकाया वसूलियों आदि का संक्षेप
8	सरकार द्वारा नकद और वस्तुरूप में दिया गया सहायता अनुदान तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु जारी अनुदान, का संक्षिप्त विवरण पत्रक
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के लिये सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षेप
10	दत्तमत एवं प्रभारित के मध्य व्यय का वितरण
11	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति का विस्तृत लेखा
12	पृथक से आयोजनेत्तर, आयोजना और केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत लेखा
13	वर्ष के दौरान पृथक से आयोजनेत्तर, आयोजना और केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत लघु शीर्षवार पूंजीगत व्यय और 2012-13 के अन्त तक कुल व्यय के विस्तृत लेखे
14	वर्ष 2012-13 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ, सहकारी बैंक, समितियों आदि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण और अंश पूंजी और डिविडेंडों के बीच निवेश का तुलनात्मक सारांश भी देती हैं।
15	उधारियों एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण जिसके 2012-13 के अंत तक तथा के दौरान, लोक ऋण तथा अन्य ब्याज दायित्व, परिपक्वता रूपरेखा, पुनर्भुगतान अनुसूची तथा ब्याज दर रूपरेखा दर्शायी गयी हैं।
16	31 मार्च 2013 को बकाया शेष, वर्ष के दौरान ऋण पुनर्भुगतान की गयी राशि, म.प्र. सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों का विस्तृत लेखा तथा आयोजना उद्देश्य और केन्द्र प्रवर्तित आयोजनाओं के लिये वर्ष के दौरान दिये गये कर्ज
17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त अन्य निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विस्तृत विवरण
18	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत लेखा
19	आरक्षित निधियों के उद्दिष्ट शेषों का विवरण

परिशिष्ट - 1.2 समाप्त

भाग ख

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2013 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं-					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	17 एवं 18
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-2.38)	17 एवं 18
3. आरक्षित निधियां	657.94	45.49	11.55	102.47	17 एवं 18
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.18	18
II- परिसम्पत्तियां-					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	8788.75	5 एवं 13
2. कर्ज तथा अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2186.26	7 एवं 16
3. गारंटियां	9709.60	--	--	1185.46	9

टिप्पणी : और अधिक विवरणों हेतु कृपया वित्त लेखे देखें ।

परिशिष्ट - 1.3
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली
(संदर्भ: कण्डिका 1.1; पृष्ठ 3)
भाग क

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम (परिशिष्ट 1.3 का भाग-ख) के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आंकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संग्रहण, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख सकते हैं अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

अन्तिम पाँच वर्षों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति निम्नानुसार है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	197276	227984	260198	309687	361874
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार

*2010-11 एवं 2011-12 की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित हैं इसलिए पूर्व के प्रतिवेदनों में दर्शित 2010-11 एवं 2011-12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता/अनुपात प्रतिशत भी पुनरीक्षित कर दिया गया है।

परिशिष्ट - 1.3 जारी
राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(संदर्भ: कण्डिका 1.1; पृष्ठ 3)

भाग ख

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ था राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा को कम करे जिससे इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात राजस्व आधिक्य को निर्मित किया जा सके;
- राजकोषीय घाटा के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संशोधन अनुसार, 31 मार्च 2012 तक, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना तथा उसके पश्चात उसे बनाए रखना;
- 10 वर्षों की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करना, अर्थात् 31 मार्च 2015 को कुल दायित्व उस वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो; और
- वार्षिक संवृद्धि कारक गारंटी को परिसीमित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वर्ष की कुल गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारत संघ के बजट अनुमान के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमेन में कमी के आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आन्तरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं या ऐसे अन्य अपवादिक आधारों के कारण, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों में यथा निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मान चित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2012-13 हेतु बजट अनुमान के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण, (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं (ग) राजकोषीय नीति मुक्ति विवरण प्रस्तुत किये हैं। चयनित संकेतकों के लिये 2010-11 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2011-12 हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा 2012-13 हेतु बजट अनुमान मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत किये गये हैं (परिशिष्ट 1.3 भाग-ग)।

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषाएं भी नीचे दी गई हैं:

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि
मानदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मानदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक* ब्याज प्रसार
बकाया कर्ज के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज/ [(कर्ज तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + अन्त शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल कर्ज तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियाँ
चालू राजस्व से शेष	मुख्य शीर्ष-2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों में से सभी आयोजना अनुदान एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का विकलन
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	संवृद्धिता ऋणेत्तर प्राप्तियां-(संवृद्धिता प्राथमिक व्यय + संवृद्धिता ब्याज अदायगी)

परिशिष्ट - 1.3

भाग ग (समाप्त)

चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

(संदर्भ: कण्डिका 1.1 एवं 1.1.2; पृष्ठ 3, 4)

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	राजकोषीय संकेतक	2010-11 का लेखा	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	2010-11 की तुलना में पिछले वर्षों में प्रतिशत परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
			2011.12 पुनरीक्षित अनुमान	2012-13 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	51854.18	63535.25	69913.51	22.53	10.04
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	37057.85	44674.90	49916.44	20.55	11.73
2.1	राज्य कर	21419.34	25888.43	28311.96	20.86	9.36
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	15638.51	18786.47	21604.48	20.13	15.00
3	करेतर राजस्व	5719.77	6991.20	7326.89	22.23	4.80
4	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	9076.56	11869.15	12670.18	30.77	6.75
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ(6+7+8)	5009.65	19731.74	10086.73	293.87	-48.88
6	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली	401.84	9171.97	99.48	2182.49	-98.92
7	शुद्ध लोक ऋण	4928.71	7434.17	9460.35	50.83	27.25
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	-320.90	3125.60	526.90	-1074.01	-83.14
9	कुल प्राप्तियाँ(1+5)	56863.83	83266.99	80000.24	46.43	-3.92
10	राजस्व व्यय(10.1+10.2)	45011.59	55744.10	63543.50	23.84	13.99
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	32100.87	39200.52	44597.10	22.12	13.77
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	12910.72	16543.58	18946.40	28.14	14.52
10.3	राजस्व व्यय जिसमें					
10.3.1	ब्याज अदायगियाँ	5048.95	5666.73	6275.08	12.24	10.74
10.3.2	राजसहायताएं	16709.14	20032.19	22768.08	19.89	13.66
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	13290.76	17035.33	19901.04	28.17	16.82
10.3.4	पेंशन भुगतान	3766.53	4968.05	5825.85	31.90	17.27
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	8799.88	9274.61	10820.22	5.39	16.66
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	142.81	45.98	46.05	-67.80	0.15
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	8657.07	9228.63	10774.17	6.60	16.75
12	कर्ज एवं अग्रिम (12.1+12.2)	3716.58	15619.46	5667.26	320.26	-63.72
12.1	आयोजनेतर कर्ज एवं अग्रिम	2763.51	14068.40	3644.35	409.08	-74.10
12.2	आयोजना कर्ज एवं अग्रिम	953.07	1551.06	2022.91	62.74	30.42
13	कुल व्यय (13.1+13.2)	57528.05	80638.17	80030.98	40.17	-0.75
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	35007.19	53314.90	48287.50	52.30	-9.43
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	22520.86	27323.27	31743.48	21.32	16.18
14	राजस्व घाटा (1-10)	6842.59	7791.15	6370.01	13.86	-18.24
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-5272.03	-7930.95	-10017.99	50.43	26.32
16	प्राथमिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	-223.08	-2264.22	-3742.91	914.98	65.31

परिशिष्ट - 1.4

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कण्डिका 1.1 , 1.9.2 एवं 1.10.4; पृष्ठ 3, 41, 46)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	33577(39)	41395(40)	51854(41)	62604(41)	70427(43)
(i) कर राजस्व	13614(41)	17273(42)	21419(41)	26973(43)	30582(43)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6843(50)	7724 (45)	10257(48)	12517(46)	14856(49)
राज्य उत्पाद शुल्क	2302(17)	2952 (17)	3603(17)	4317(16)	5078(17)
वाहन कर	773(6)	919 (5)	1198(6)	1357(5)	1531(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1479(11)	1783 (10)	2514(12)	3284(12)	3944(13)
भू-राजस्व	339(2)	180 (1)	361(2)	279(1)	444(1)
माल तथा यात्री कर	1333(10)	1333 (8)	1746(8)	2047(8)	2395(8)
अन्य कर	545(4)	2382 (14)	1740(8)	3172(12)	2334(8)
(ii) करेतर राजस्व	3343(10)	6382 (15)	5720(11)	7483(12)	7000(10)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	10767(32)	11077(27)	15638(30)	18219(29)	20805(30)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	5853(17)	6663 (16)	9077(18)	9929(16)	12040(17)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	24	22	367	23	31
2 क.अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1	3	2	3	9
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	54	23	34	9123	33
4. कुल राजस्व तथा ऋणेतार पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+2क+3)	33656	41443	52257	71753	70500
5. लोक ऋण प्राप्तियां	6553(8)	8603(8)	7458(6)	6750(4)	8791
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़ कर)	5399(82)	7258 (84)	6363(85)	5718(85)	7234(82)
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1154(18)	1345 (16)	1095(15)	1032(15)	1557(18)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	40209	50046	59715	78503	79291
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	100	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	46460(54)	52353(51)	65675(52)	76315(49)	86248(52)
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	86669	102399	125390	154918	165539
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10.राजस्व व्यय	29514(77)	35897(75)	45012(78)	52694(68)	62968(79)
आयोजना	7622(26)	9838 (27)	12911(29)	16017(30)	18349(29)
आयोजनेतर	21892(74)	26059(73)	32101(71)	36677(70)	44619(71)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	10162(34)	12014(34)	14647(33)	16229(31)	17705(28)
सामाजिक सेवाएं	10146(34)	12962 (36)	17345(39)	20297(38)	24375(39)
आर्थिक सेवाएं	7431(25)	8371 (23)	10084(22)	12965(25)	16823(27)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	1775(6)	2550 (7)	2935(7)	3203(6)	4065(6)
11. पूंजीगत व्यय	6713(18)	7925 (17)	8800(15)	9055(12)	11567(14)
आयोजना	6503(97)	7864 (99)	8657(98)	9023(100)	11543(100)

आयोजनेत्तर	210(3)	61 (1)	143(2)	32(0)	24(0)
सामान्य सेवाएं	125(2)	119 (1)	179(2)	167(2)	205(2)
सामाजिक सेवाएं	1295(19)	1178 (15)	1532(17)	1599(18)	1621(14)
आर्थिक सेवाएं	5293(79)	6628 (84)	7089(81)	7289(80)	9741(84)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	1861(5)	3817 (8)	3715(6)	15760(20)	5378(7)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1	3	2	4	7
14. योग (10+11+12+13)	38089	47642	57529	77513	79920
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1961	2394	2529	3150	3584
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़ कर)	1516	1938	2012	2520	2936
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	445	456	517	630	648
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	--	100	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	40050	50036	60058	80763	83504
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	45989	50872	62344	73279	82736
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	86039	100908	122402	154042	166240
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटे (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	4063	5498	6842	9910	7459
22. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	-4433	-6199	-5272	-5760	-9420
23. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (22+24)	-241	-1745	-223	-460	-3846
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4192	4454	5049	5300	5574
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1087	1434	9117	10830	13487
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	2	--	--	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	0.01/00	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ¹	197276	227984	260198	309687	361874
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	60432	67853	75504	81757	90168

¹ सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
30. बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	1930	1630	5111	5605	7720
31. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	11991	11823	8439	11108	14752
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	45	55 ²
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधियाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	9356.46	2412.53 ²
भाग-ड राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.90	7.58	8.23	8.71	8.45
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.69	2.80	2.20	2.42	1.93
केन्द्रीय अंतरण ³ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.42	7.78	9.50	9.09	9.08
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	0.70	0.87	1.05	0.80	0.93
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.31	20.90	22.11	25.03	22.09
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	113.44	115.09	110.94	123.81	113.48
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	77.49	75.35	78.24	67.98	78.79
सामान्य सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	27.08	25.56	25.81	21.16	22.47
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	30.65	30.10	33.14	28.43	32.69
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	37.61	38.98	35.93	46.28	39.75
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	17.62	16.63	15.30	11.68	14.47
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	17.29	16.38	14.99	11.47	14.22
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+2.06	+2.41	+2.63	+3.20	+2.06
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.25	-2.72	-2.03	-1.86	-2.60
प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-0.12	-0.77	-0.09	-0.15	-1.06

² संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी

³ केन्द्रीय अन्तरण में संघ करों/शुल्कों का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट हैं।

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	12.84	13.79	15.36	15.30	15.86
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	30.63	29.76	29.02	26.40	24.92
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियों के सामने	179.98	163.92	145.61	130.59	128.03
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(+)3764	(+)2117	(+)8333	(+)10390	(+)4632
ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	0.95	0.84	0.87	0.95	0.86
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत में)	69.05 (0.72)	49.75 (0.43)	32.20 (0.26)	37.98 (0.29)	18.38 (0.13)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	6846	10206	12313	18112	14101
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	1.01	0.91	0.82	0.72	0.67

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट - 1.5** में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपाार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य हास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए है। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए चेक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 262.75 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 280.18 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2013 के लेखाओं के बंद होने पर ₹ 17.43 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। मई 2013 के लेखाओं के बन्द होने के उपरांत ₹ 18.36 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेंसी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने राजस्व आधिक्य 2004-05 के बाद से वर्तमान तक बनाए रखा है।

परिशिष्ट - 1.5

भाग क

वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(संदर्भ: कण्डिका 1.1.1; पृष्ठ 3)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
					2012-13			
2011-12			2012-13	2011-12		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
भाग-क:राजस्व								
62604.07	I	राजस्व प्राप्तियां	70427.28	52693.71	राजस्व व्यय	44619.20	18349.33	62968.53
26973.44		- कर राजस्व	30581.70	16228.64	सामान्य सेवाएं	17613.11	92.03	17705.14
				20296.94	सामाजिक सेवाएं	12686.85	11688.62	24375.47
7482.73		- करेत्तर राजस्व	7000.22	9808.89	- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	8134.29	2762.13	10896.42
				2431.38	- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2014.77	1113.45	3128.22
18219.13		- संघ करों में राज्य का भाग	20805.16	1803.83	- जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	910.41	1831.08	2741.49
2113.47		- आयोजनेत्तर अनुदान	332.93	92.48	- सूचना एवं प्रसारण	143.38	5.87	149.25
				1809.68	- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	357.92	1920.01	2277.93
4215.28		- राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	7099.43	167.60	- श्रमिक तथा श्रम कल्याण	135.77	53.95	189.72
				4151.89	- समाज कल्याण एवं पोषण	899.64	4002.13	4901.77
3600.02		- केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	4607.84	31.19	- अन्य	90.67	-	90.67
				12964.91	आर्थिक सेवाएं	11019.66	5803.69	16823.35
				5029.90	- कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	3778.15	2242.93	6021.08
				2922.22	- ग्रामीण विकास	1156.29	2583.99	3740.28

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
2011-12		2012-13	2011-12		2012-13			
					आयोजनेतर	आयोजना	योग	
			654.09	-	सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	514.91	205.21	720.12
			2070.86	-	ऊर्जा	2441.61	358.00	2799.61
			1207.50	-	उद्योग एवं खनिज	1781.25	279.32	2060.57
			891.88	-	परिवहन	1277.74	0.07	1277.81
			46.84	-	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5.55	57.78	63.33
			141.62	-	सामान्य आर्थिक सेवाएं	64.16	76.39	140.55
			3203.22	-	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3299.57	765.00	4064.57
	II	भाग ख में अग्नेनीत राजस्व घाटा	9910.36	-	भाग ख में अग्नेनीत राजस्व आधिक्य			7458.75
62604.07		योग	70427.28	62604.07	योग			70427.28
भाग ख								
6900.44	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	7775.88	--	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष			
22.65	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	31.45	9055.16	पूंजीगत परिव्यय	23.91	11542.98	11566.89
			167.16		सामान्य सेवाएं	4.73	200.16	204.89
			1599.12		सामाजिक सेवाएं	9.68	1611.31	1620.99
			171.72		- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	-	147.02	147.02
			141.57		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3.49	173.31	176.80
			743.38		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	-	827.32	827.32
			-		- सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			420.74		- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	440.60	440.60
			107.28		- समाज कल्याण एवं पोषण	6.19	2.26	8.45
			14.43		- अन्य सामाजिक सेवाएं	-	20.80	20.80

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2011-12		2012-13	2011-12		2012-13			
					आयोजनेतर	आयोजना	योग	
			7288.88	आर्थिक सेवाएं	9.50	9731.51	9741.01	
			127.48	- कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	-	345.60	345.60	
			974.37	- ग्रामीण विकास	-	1451.76	1451.76	
			3317.73	- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	4268.95	4268.95	
			1025.83	- ऊर्जा	-	1226.49	1226.49	
			39.19	- उद्योग एवं खनिज	9.50	203.97	213.47	
			1728.41	- परिवहन	-	2115.75	2115.75	
			3.85	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	-	29.00	29.00	
			72.02	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	89.99	89.99	
9122.56	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	32.53	15760.56	कर्ज तथा अग्रिम संवितरित	3842.13	1536.12	5378.25
9084.67		- बिजली परियोजनाओं से	-	15100.22	- बिजली परियोजनाओं के लिए	3770.64	786.63	4557.27
								310.33
								336.08
-0.10		- सरकारी कर्मचारियों से	0.17	0.04	- सरकारी कर्मचारियों के लिए	0.01	--	0.01
37.99		-अन्यो से	32.36	660.30	-अन्यो के लिये	71.48	749.49	174.56
2.65	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	9.14	3.70	अन्तर्राज्यीय परिशोधन			7.02
9910.36	VII	अधोनीत राजस्व आधिक्य	7458.75		अधोनीत राजस्व घाटा			
6750.25	VIII	लोक ऋण प्राप्तियां	8791.16	3149.79	लोक ऋण का पुनर्भुगतान			3583.94
5717.65		-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	7233.85	2520.28	- अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण			2935.53
		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन	-	--	अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन			-
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन	-	--				

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
2011-12			2012-13	2011-12		2012-13		
						आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1032.60		- केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1557.31	629.51	- केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान			648.41
--	IX	आकस्मिक निधि को विनियोग	-	100.00	आकस्मिक निधि को विनियोग			-
100.00	X	आकस्मिक निधि को अंतरित राशि	-	--	आकस्मिक निधि से व्यय			-
76315.22	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	86247.57	73279.04	लोक लेखा प्राप्तियां			82735.57
2033.07		- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	2319.03	1335.10	- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां			1481.96
1534.55		- आरक्षित निधियां	2441.27	342.74	- आरक्षित निधियां			421.48
50619.85		- उच्चत तथा विविध	59818.65	50648.06	- उच्चत तथा विविध			59911.79
12256.15		- प्रेषण	15167.15	11865.16	- प्रेषण			14766.89
9871.60		- जमा एवं अग्रिम	6501.47	9087.98	- जमा एवं अग्रिम			6153.45
	XII	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम अधिविकर्ष	-	7775.88	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष			7074.81
				2.61	- खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			-
				692.55	- रिजर्व बैंक में जमा			(-)262.75 ⁴
				3.29	- स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			133.05
				7077.43	- रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश			7204.51
171728.20		योग	180773.76	171728.20	योग			180773.76

⁴ भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 262.75 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 280.18 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2013 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 17.43 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। मई 2013 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 18.36 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.5 जारी

भाग ख (समाप्त)

31 मार्च 2013 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कण्डिका 1.9.1; पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

31.03.2012 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2013 की स्थिति में
50011.01	आन्तरिक ऋण-	54309.33
28043.60	ब्याज वाले बाजार कर्ज	31406.58
0.38	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.43
105.48	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	94.37
5780.53	अन्य संस्थाओं से कर्ज	6001.52
16081.02	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16806.00
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
11358.91	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-	12267.81
1.88	1984-85 से पूर्व के कर्ज	1.88
53.87	आयोजनेत्तर कर्ज	50.17
11303.16	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	12215.76
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए कर्ज	--
200.00	आकस्मिकता निधि	200.00
9916.31	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	10752.33
7300.27	जमा	7649.77
3567.37	आरक्षित निधियां	5587.16
166.06	उचन्त तथा विविध शेष	87.81
680.39	प्रेषण शेष	1080.65
83200.32	योग	91934.86
	परिसम्पत्तियां	
76917.21	स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	88452.66
13183.59	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	14656.50
63733.62	अन्य पूंजीगत परिव्यय	73796.16
21742.39	कर्ज तथा अग्रिम	27088.10
17359.84	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	21917.11
4353.52	अन्य विकास कर्ज	5142.12
29.03	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	28.87

(₹ करोड़ में)		
31.03.2012 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2013 की स्थिति में
11.00	अग्रिम	12.49
--	प्रेषण शेष	--
7775.88	रोकड़-	7074.81
2.61	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	-
692.55	रिजर्व बैंक में जमा	(-)262.75 ⁵
3.29	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	133.05
6680.13	रोकड़ शेष निवेश	6806.45
397.30	आरक्षित निधि निवेश	398.06
-23246.16 ⁶	सरकारी लेखाओं में घटा-	-30693.20
-9910.36	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटा कर	-7458.75
1.05	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	-2.14
2.68	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	14.89
-1.11	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	-1.04
100.00	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-13438.42	वर्ष के आरंभ में संचित घटा	-23246.16
83200.32	योग	91934.86

⁵ भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 262.75 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 280.18 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2013 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 17.43 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। मई 2013 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 18.36 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

⁶ वित्त लेखे के विवरण क्र. 1 में आंकड़ों से अंतर उचंचत एवं विविध शेषों में ₹ 0.01 करोड़ तथा प्रेषण शेष में ₹ 0.01 करोड़ को पूर्णांकित करने के कारण है।

परिशिष्ट - 1.6

योजनाओं का विवरण जिनमें जेण्डर बजट 2012-13 में निर्धारित प्रतिशत से कम व्यय था

(संदर्भ: कण्डिका 1.1.4; पृष्ठ 7)

(₹ करोड़ में)

योजना	परिव्यय	व्यय	प्रतिशत	परिव्यय के अप्रयुक्त रहने के कारण
श्रेणी-1				
घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता केंद्र (उषा किरण)	2.20	0.94	43	निराश्रित भवन एवं सलाह केंद्रों के प्रचालन के लिए अनुदान प्रस्ताव की प्राप्ति न होना
महिला कल्याण कोष के अंतर्गत योजनाएं	0.75	0.39	52	8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन न होना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	21.98	15.25	69	हितग्राहियों की अनुपलब्धता
श्रेणी-2				
अटल बाल आरोग्य मिशन	25.28	8.91	35	जिलों द्वारा कार्य आयोजना का प्रस्तुत नहीं किया जाना
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण	100.00	निरंक	निरंक	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विलंब से प्राप्त निधियां
संचालनालय महिला बाल विकास का भवन निर्माण	0.50	निरंक	निरंक	सक्षम वित्तीय समिति से संस्वीकृति प्राप्त न होना
समेकित बाल संरक्षण योजना	30.05	14.63	49	केंद्रीय दान का प्राप्त न होना
महिला बाल विकास के भवनों का रख-रखाव	5.00	1.49	30	जिलों द्वारा निधियों का आहरण न करना
परिवीक्षा इकाई	1.56	0.45	29	पद रिक्तता
नाबार्ड अंतर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	50.00	निरंक	निरंक	निविदा प्रक्रिया पूर्ण ना होना

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट - 1.7
वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान राजसहायता भुगतानों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.4; पृष्ठ 28)

(₹ करोड़ में)

स.क्र	विभाग	विवरण एवं लेखा शीर्ष	2011-12			2012-13		
			आयोजनेतर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित आयोजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग	आयोजनेतर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित आयोजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशु पालन	2403-पशु पालन	--	4.72	4.72	--	6.75	6.75
2	आयुष	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	--	--	--	0.02	--	0.02
3	जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	--	--	--	0.54	0.54
4	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2230-श्रम एवं रोजगार	1.84	--	1.84	2.06	--	2.06
5	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	35.02	35.02	--	40.10	40.10
6	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2852-उद्योग	0.08	113.94	114.02	0.31	102.26	102.57
7	सहकारिता	2425-सहकारिता	--	240.34	240.34	--	250.82	250.82
8	संस्कृति	2205-कला एवं संस्कृति	--	--	--	--	0.02	0.02
9	ऊर्जा	2801-बिजली	1344.45	207.00	1551.45	2440.90	232.00	2672.90
10	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-फसल कृषि कर्म	3.73	401.21	404.94	--	275.75	275.75
11	वित्त	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	25.38	25.38	--	--	--
12	मत्स्य पालन	2405-मत्स्य पालन	--	--	--	0.10	5.31	5.41
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	40.00	--	40.00	1470.22	22.80	1493.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	वन	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.06	--	0.06	0.06	--	0.06
15	सामान्य प्रशासन	2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	0.24	--	0.24	0.26	--	0.26
16	सामान्य प्रशासन	2013-मंत्री परिषद	52.91	--	52.91	60.73	--	60.73
17	सामान्य प्रशासन	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1.80	--	1.80	1.89	--	1.89
18	उच्च शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	1.01	1.01	--	4.54	4.54
19	गृह	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.80	--	0.80	--	--	--
20	गृह	2055-पुलिस	0.60	--	0.60	0.60	--	0.60
21	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-फसल कृषि कर्म	--	69.75	69.75	--	21.71	21.71
22	सूचना प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	--	--	--	10.98	10.98
23	जन शक्ति नियोजन	2203-तकनीकी शिक्षा	0.50	3.29	3.79	--	5.19	5.19
24	जन शक्ति नियोजन	2230-श्रम एवं रोजगार	--	0.15	0.15	--	0.44	0.44
25	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत	--	6.01	6.01	--	16.15	16.15
26	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	18.34	--	18.34	18.47	--	18.47
27	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	65.00	--	65.00	77.87	--	77.87
28	जनसम्पर्क	2220-सूचना तथा प्रचार	0.35	--	0.35	1.00	--	1.00
29	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	0.03	--	0.03	59.50	--	59.50
30	राजस्व	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	12.81	--	12.81	14.00	--	14.00
31	ग्रामीण विकास	2216-आवास	--	--	--	--	71.49	71.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	अनुसूचित जनजाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	39.52	39.52	--	--	--
33	अनुसूचित जनजाति कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	--	--	--	3.30	3.30
34	अनुसूचित जाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	36.99	36.99	--	--	--
35	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	--	--	--	17.33	17.33
36	स्कूल शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	172.52	172.52	--	283.39	283.39
37	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	--	--	--	7.95	7.95
38	सामाजिक न्याय	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	--	--	--	20.29	20.29
39	सामाजिक न्याय	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	0.47	0.47	--	78.96	78.96
40	खेल और युवक सेवाएं	2204-खेल तथा युवा सेवाएं	--	--	--	0.22	25.59	25.81
41	नगरीय प्रशासन एवं विकास	2217-शहरी विकास	--	14.00	14.00	--	10.10	10.10
42	ग्रामोद्योग	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	11.17	11.17	--	20.24	20.24
43	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	0.25	0.25	--	0.10	0.10
44	महिला एवं बाल विकास	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	--	--	--	15.10	15.10
योग			1543.54	1382.73	2926.27	4148.21	1549.20	5697.41

परिशिष्ट-1.8

**राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.1; पृष्ठ 30)**

स.क्र.	कार्यों के नाम
1.	नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है
2.	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3.	आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
4.	सड़कें और पुल
5.	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय
6.	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध
7.	अग्निशमन सेवाएं
8.	नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि
9.	समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10.	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11.	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
12.	नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि
14.	शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15.	कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16.	जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है
17.	सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं
18.	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

परिशिष्ट - 1.9
भाग क
अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण किया गया-
जल संसाधन विभाग
(संदर्भ: कण्डिका 1.8.1; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट लागत (कॉलम 4)	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत (कॉलम 5)	व्यय/लागत आधिक्य (कॉलम 5-कॉलम 4)	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2013)
1	2	3	4	5	6	7
जल संसाधन डिवीज़न, नरसिंहपुर	1	जरखेड़ा टैंक	209.15	466.23	257.08	348.45
	2	नारायणपुरा टैंक	189.00	408.16	219.16	271.46
एस.ए.एस. डिवीज़न, विदिशा	1	बर्से माइनर स्कीम	8.13	17.40	9.27	8.55
डब्ल्यू आर डी ग्वालियर	1	पारसेन टैंक	5.43	10.00	4.57	7.79
	2	सिंध रमोवा	5.96	19.52	13.56	15.23
	3	अपर काकेटो प्रोजेक्ट	183.07	254.37	71.30	127.72
	4	सिंध फेज 1	12.86	56.43	43.57	77.71
डब्ल्यू आर डिवीज़न रीवा	1	नरवर टैंक	2.02	2.68	0.66	0.00
	2	कडुआवन टैंक	3.83	6.10	2.27	3.81
	3	पटनारी टैंक	2.17	3.41	1.24	1.89
	4	जुड़ा टैंक	3.74	5.91	2.17	4.55
महन कैनल डिवीज़न सीधी	1	महन परियोजना	140.86	486.96	346.10	418.56
डब्ल्यू आर डिवीज़न शाजापुर	1	पिलियाखल टैंक	12.83	25.00	12.17	21.06
	2	खाम टैंक	2.40	4.35	1.95	3.33
कुटनी डैम डिवीज़न खजवा राजनगर जिला छतरपुर	1	कुटनी फीडर रिसर्वर (बरियारपुर लेफ्ट कैनल प्रोजेक्ट इकाई-1)	190.86	545.90	355.04	170.47
	2	सिंधपुर बैरेज परियोजना (मध्यम)	94.38	260.63	166.25	133.76
हरसी हाई लेवल कैनल डिवीज़न डबरा	1	सिंध परियोजना फेज-II	78.13	620.42	542.29	151.89
गांधीसागर डैम डिवीज़न	1	गोवर्धनपुरा टैंक	1.58	2.45	0.87	1.00
	2	राजपुरिया एल आई एस	1.53	6.62	5.09	1.56
डब्ल्यू आर डिवीज़न बड़वानी	1	बड़गांव टैंक	7.25	9.13	1.88	9.52
डब्ल्यू आर डिवीज़न नरसिंहपुर	1	अलोड टैंक	2.73	8.00	5.27	4.30
	2	दोभ टैंक	1.99	3.82	1.83	1.38
	3	गोदरवाराखेड़ा टैंक	2.09	4.64	2.55	1.27
हिरन डिवीज़न जबलपुर	1	दुंगरगावा टैंक	2.03	3.81	1.78	2.47
योग	24		1164.02	3231.94	2067.92	1787.73

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट - 1.9

भाग ख (जारी)

अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-

जल संसाधन विभाग

(संदर्भ: कण्डिका 1.8.1; पृष्ठ 37)

(₹ लाख में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	लागत आधिक्य	मार्च 2013 की स्थिति में संचयी वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
कार्यपालन यंत्री, कोलार कैनल डिवीजन नशरुल्लागंज	1	मरदनपुर लिफ्ट सिंचाई योजना	16.28	--	0.00	11.40
	2	एलएमबीसी कोलार परियोजना के कैनल का सुदृढीकरण	8.15	--	0.00	7.24
जल संसाधन विभाग, डिवीजन सीवा	1	शंकरपुर टैंक	3.80	--	0.00	2.75
	2	पपोरा वीयर स्टॉप डैम	3.79	--	0.00	0.88
जल संसाधन विभाग, डिवीजन उज्जैन	1	पेंटिसा टैंक	672.26	--	0.00	487.59
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिवीजन II बेतूल	1	गोधना टैंक	13.02	--	0.00	9.99
	2	बाकुड़ टैंक	16.35	--	0.00	14.42
	3	मारु टैंक	8.49	--	0.00	7.43
	4	बटकी टैंक	1.83	--	0.00	0.85
	5	कौड़ी टैंक	5.27	--	0.00	3.73
	6	चिल्कापुर टैंक	5.09	--	0.00	3.14
	7	जामझीरी टैंक	2.35	--	0.00	0.83
	8	कुआड़िया टैंक	5.19	--	0.00	3.06
	9	सलिवाड़ा टैंक	6.41	--	0.00	3.05
जल संसाधन विभाग, खंडवा	1	अरदाला टैंक	9.19	--	0.00	5.17
	2	नवली टैंक	9.54	--	0.00	7.04
	3	इतवामामाहदोह टैंक	2.66	--	0.00	2.21
	4	मेधापानी टैंक	4.30	--	0.00	3.50
जल संसाधन विभाग, बड़वानी	1	अंबाफलिया टैंक	2.49	--	0.00	1.43
जल संसाधन विभाग, नरसिंहपुर	1	नीलकूंड घाट एफपीएस	1.90	--	0.00	1.10
जल संसाधन विभाग, डिवीजन नोगांव	1	बक्सवाहा टैंक	3.78	--	0.00	2.59
	2	खिरीया बुजुर्ग टैंक	8.02	--	0.00	6.71
	3	भेल्दा टैंक	3.77	--	0.00	2.58
	4	गोंछी टैंक	4.07	--	0.00	2.43
	5	तेंदुआ टैंक	3.20	--	0.00	3.96
योग	25		821.20	--	0.00	595.08

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

कुल प्रारंभिक लागत (24+ 25+06) 55 परियोजनाओं = (1164.02 + 821.20 + 19.51) = 2004.73

31.03.2013 तक (24+ 25+06) 55 परियोजनाओं का कुल संचयी वास्तविक व्यय = (1787.73 + 595.08 + 29.72) = 2412.53

परिशिष्ट - 1.9

भाग ग (समाप्त)

अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिनमें वास्तविक व्यय, प्रारंभिक बजट से अधिक है लेकिन लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-जल संसाधन विभाग
(संदर्भ: कण्डिका 1.8.1; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

डिविजन/ जोन	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	लागत आधिक्य (कॉलम 7- कॉलम 4)	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2013)
1	2	3	4	5	6	7
जल संसाधन विभाग, डिवीजन नोगांव	1	कुशमार टैंक	2.24	--	2.01	4.25
	2	डिडोनिया टैंक	1.86	--	1.12	2.98
	3	रजिया टैंक	2.82	--	3.41	6.23
	4	पाली टैंक	2.66	--	0.44	3.10
	5	ममोन टैंक	5.75	--	2.90	8.65
	6	बेनीसागर डायवर्सन कैनाल	4.18	--	0.33	4.51
योग			19.51		10.21	29.72

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट - 1.10

विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की सितंबर 2013 तक की स्थिति

(संदर्भ: कण्डिका 1.8.3; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	क्षेत्र	कुल परियोजनाएं		आयोजना/पाईप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने/निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1.	पशुपालन	2	80.00	2	80.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी	1	130.00	1	130.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	5	838.58	3	621.00	निरंक	निरंक	2	217.58	निरंक	निरंक
4.	उर्जा	4	552.72	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	3	522.72	1	30.00
5.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	138.50	निरंक	निरंक
6.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1	300.00	1	300.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7.	वन	3	147.68	1	130.00	निरंक	निरंक	2	17.68	निरंक	निरंक
8.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	3	174.75	निरंक	निरंक	3	174.75	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	आवास एवं पर्यावरण	7	2133.13	5	2131.13	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	2	2.00
10.	सूचना प्रौद्योगिकी	3	263.00	3	263.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	67.00
12.	लोक निर्माण कार्य	147	17374.10	निरंक	निरंक	17	1895.94	97	10382.65	33	5095.51
13.	स्कूल शिक्षा	2	496.20	2	496.20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	खेल और युवक कल्याण	1	900.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	900.00	निरंक	निरंक
15.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2	155.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	2	155.00	निरंक	निरंक
16.	पर्यटन	3	35.00	1	15	2	20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	परिवहन	1	1094.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	1094.00	निरंक	निरंक
18.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	22	846.56	11	393.05	2	24.9	6	281.61	3	147
	योग	209	25726.22	30	4559.38	24	2115.59	115	13709.74	40	5341.51

(स्रोत: आयुक्त, संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट 1.11

(संदर्भ: कण्डिका 1.12.4 एवं 1.12.5; पृष्ठ 51, 52)

क: खजाना बिलों में निवेश में उपलब्ध नकदी शेष की तुलना में लिए गए बाजार कर्जों का वर्षवार एवं दिनांकवार विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	लिए गए बाजार कर्ज की राशि	लिए गए बाजार कर्ज का दिनांक (नीलामी)	उसी दिनांक को खजाना बिलों में उपलब्ध राशि	15 दिन पहले से खजाना बिलों में उपलब्ध न्यूनतम राशि	15 दिन बाद में खजाना बिलों में उपलब्ध न्यूनतम राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	2008-09	900	6.1.2009	1647	1659	1719
2		885	22.1.2009	1833	1646	2518
3		1075	27.2.2009	2591	2658	2291
4		1010.25	17.3.2009	2884	2291	2654
	योग	3870.25				
5	2009-10	1560	8.9.2009	2343	2568	2964
6		1560	8.12.2009	2513	1937	3904
7		1553	5.1.2010	3646	3762	4126
8		1148	9.3.2010	4436	4427	5571
	योग	5821				
9	2010-11	1200	7.12.2010	4848	4409	6407
10		1000	4.1.2011	5788	5615	5635
11		700	1.3.2011	7208	5794	7140
12		1000	15.3.2011	8411	5794	9226
	योग	3900				
13	2011-12	1000	18.10.2011	4594	4573	4510
14		1500	24.1.2012	4745	4658	6031
15		1500	6.3.2012	7444	6625	8379
	योग	4000				
16	2012-13	1000	7.8.2012	4949	4037	5941
17		1000	22.1.2013	3518	3249	4412
18		1000	18.2.2013	4643	4447	4643
19		1500	19.3.2013	7096	5573	6819
	योग	4500				

(स्रोत: दैनिक रोकड़ शेष प्रतिवेदन तथा वित्त विभाग से संग्रहित जानकारी)

ख: 14 दिनी खजाना बिल में निवेश के अंतर्गत न्यूनतम नकद शेष जो वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किए गए

(₹ करोड़ में)

वर्ष	14 दिनी खजाना बिलों में निवेश के अंतर्गत उपलब्ध न्यूनतम शेष जिसका वर्ष भर उपयोग नहीं किया गया	14 दिनी के खजाना बिल में प्राप्त ब्याज दर	लिए गए बाजार कर्ज पर भुगतान किया गया भारित औसत ब्याज दर
1	2	3	4
2009-10	1936	5%	8.36%
2010-11	3302	5%	8.41%
2011-12	4510	5%	8.91%
2012-13	3249	5%	8.69%

(स्रोत: दैनिक रोकड़ शेष प्रतिवेदन तथा वित्त विभाग से संग्रहित जानकारी)

ग: प्रत्येक तिमाहीवार अग्रिम उधार कैलेंडर में प्रस्तावित उधारियों की तुलना में वास्तविक बाजार उधारियां

(₹ करोड़ में)

तिमाहीवार विवरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
1	2		3		4		5		6	
	अग्रिम उधार कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक	अग्रिम उधार कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक	अग्रिम उधार कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक	अग्रिम उधार कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक	अग्रिम उधार कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक
कुल लिए गए बाजार कर्ज	--	4495	--	5821	--	3900	--	4000	--	4500
प्रथम तिमाही	उपलब्ध नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	उपलब्ध नहीं	निरंक	उपलब्ध नहीं	निरंक	निरंक	निरंक
द्वितीय तिमाही	उपलब्ध नहीं	निरंक	निरंक	1560	उपलब्ध नहीं	निरंक	उपलब्ध नहीं	निरंक	2000	1000
तृतीय तिमाही	उपलब्ध नहीं	625	2701	1560	उपलब्ध नहीं	1200	3000	1000	1500	निरंक
चतुर्थ तिमाही	1790	3870	2701	2701	उपलब्ध नहीं	2700	2404	3000	3000	3500
लिए गए कुल बाजार कर्ज की तुलना में अंतिम तिमाही में लिए बाजार कर्ज की प्रतिशतता	--	86	--	46	--	69	--	75	--	78

(स्रोत: वित्त लेखे एवं वित्त विभाग के दस्तावेज)

परिशिष्ट - 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र
(संदर्भ: कांडिका 2.3.1; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	7487.10	3903.17	52.13
2	03	पुलिस (पूँजीगत दत्तमत)	96.38	26.73	27.73
3	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	7290.05	2226.65	30.54
4	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	24.78	12.93	52.18
5	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	1438.86	1374.53	95.53
6	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	52.22	11.08	21.22
7	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	57.17	12.25	21.43
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	122.90	62.32	50.71
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूँजीगत दत्तमत)	506.20	105.23	20.79
10	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (पूँजीगत दत्तमत)	161.11	61.21	37.99
11	26	संस्कृति (राजस्व दत्तमत)	138.31	54.63	39.50
12	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	26.26	13.06	49.73
13	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	685.11	192.19	28.05
14	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	78.57	21.99	27.99
15	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	280.03	211.54	75.54
16	36	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	63.38	13.91	21.95
17	38	आयुष (राजस्व दत्तमत)	344.14	136.12	39.55
18	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	536.48	185.20	34.52
19	43	खेल और युवक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	60.67	20.49	33.77
20	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	239.40	58.75	24.54

1	2	3	4	5	6
21	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	37.48	15.39	41.06
22	55	महिला एवं बाल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	119.75	117.49	98.11
23	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	159.46	107.00	67.10
24	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	704.50	249.71	35.44
25	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)	1714.58	402.54	23.48
26	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूँजीगत दत्तमत)	138.85	45.79	32.98
27	70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राजस्व दत्तमत)	13.36	12.96	97.01
योग			22577.10	9654.86	42.76

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट - 2.2 (क)
तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें हुई
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
06-वित्त (राजस्व दत्तमत)				
1	2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	70.78	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
2	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	अन्य व्यय	1200.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
3	2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-लघुशीर्ष-101-अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते	एकीकृत मध्य प्रदेश	526.58	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
4	104-उपदान	एकीकृत मध्य प्रदेश	308.38	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
5	105-परिवार पेंशन	एकीकृत मध्य प्रदेश	155.41	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
6	115-छुट्टी नकदीकरण हितलाभ	एकीकृत मध्य प्रदेश	82.40	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
29-विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)				
7	2014-न्याय प्रशासन	सामान्य स्थापना	84.71	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
8	2014-न्याय प्रशासन	न्याय व्यवस्था में सुधार (13वाँ वित्त आयोग)	50.60	बचत अंशतः पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत आर्थिक कटौती अधिरोपित किए जाने, परियोजना प्रतिवेदन तैयार न होने, गैप विश्लेषण "कोर्ट्स ऑफ टूमरो" योजना एवं ई-कोर्ट्स परियोजना (₹ एक करोड़) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
9	2015-निर्वाचन	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	23.65	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)				
10	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-राज्य आयोजना (सामान्य)	आयोजनागत योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	75.10	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
11	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)	यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	49.94	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
12	केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य	छठवीं आर्थिक गणना	38.91	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
38-आयुष (राजस्व दत्तमत)				
13	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-लघुशीर्ष-101	आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	97.10	बचत अंशतः पद रिक्त रहने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण हुई (₹ चार करोड़)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)				
14	2700-मुख्य सिंचाई-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)	अवशेष निपटारा	99.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)

1	2	3	4	5
06-वित्त (पूँजीगत दत्तमत)				
15	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	300.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
16	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	255.75	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
17	6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	अधोसंरचना विकास के लिए ऋण	800.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूँजीगत दत्तमत)				
18	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-शहरी जलपूर्ति-केंद्र योजना सामान्य	नई प्रयोगशाला का निर्माण	13.10	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
19	102-ग्रामीण जलपूर्ति-केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य	पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	37.44	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
20	800-अन्य व्यय-केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य	भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	40.95	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
21	800-अन्य व्यय-केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य	सहायक गतिविधियां	16.66	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
55-महिला एवं बाल विकास (पूँजीगत दत्तमत)				
22	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष 102-नाबार्ड (सामान्य)	नाबार्ड अंतर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	50.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
23	केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)	आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण	64.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)				
24	4401-फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय-102-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)	भण्डार एवं विपणन	23.70	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
25	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)	भण्डार एवं विपणन	37.80	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
26	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-001-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)	अवशेष निपटारा	400.00	बचत अंशतः जल संसाधन विभाग के बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने तथा कोई भी योजना उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई (₹ 220.59 करोड़)
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)				
27	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)	कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	142.39	बचत देयकों की परीक्षा एवं सत्यापन में देरी होने के कारण राशि का समायोजन नहीं होने के कारण हुई
28	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)	पारिषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	29.14	बजट बनाने में ऋण के स्थान पर अंश पूंजी में प्रावधान किया जाना

1	2	3	4	5
29	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	93.59	देयकों की जांच एवं सत्यापन में देरी होने से राशि का समायोजन नहीं होना
30	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-केंद्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)	स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वाँ वित्त आयोग)	27.32	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
31	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)	म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम	49.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
32	नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)	ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	61.89	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)				
33	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
34	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (ख)

अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जिनमें व्यय प्रावधान से ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र
(संदर्भ: कण्डिका 2.3.3; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	लोक ऋण	6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बैंक टू बैंक ऋण	1.35	111.64	110.29	8169.63
2	06-वित्त	2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश	168.00	308.32	140.32	83.52
3	06-वित्त	2071-01-115-9998-मध्य प्रदेश	42.56	88.25	45.69	107.35
4	06-वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	75.00	122.72	47.72	63.63
5	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6749-भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमाकेशन, सर्विस चार्ज	41.97	74.99	33.02	78.67
6	12-ऊर्जा	6801-190-7161-विद्युत जनरेटिंग कम्पनी को कार्यशील पूंजी ऋण	200.00	250.00	50.00	25.00
7	14-पशुपालन	2403-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	41.15	52.37	11.22	27.27
8	15-अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-789-198-0703-केंद्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना-5198-इंदिरा आवास योजना	28.96	42.53	13.57	46.86
9	23-जल संसाधन विभाग	4700-13-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	145.19	177.29	32.10	22.11
10	23-जल संसाधन विभाग	4700-13-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	0.01	29.69	29.68	296800

1	2	3	4	5	6	7
11	23-जल संसाधन विभाग	4700-24-800-1501- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	13.39	24.50	11.11	82.97
12	23-जल संसाधन विभाग	4701-01-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6619-ठिकारिया मध्यम सिंचाई योजना	30.00	69.78	39.78	132.60
13	23-जल संसाधन विभाग	4701-60-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	40.50	91.48	50.98	125.88
14	23-जल संसाधन विभाग	4701-80-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	5.65	64.74	59.09	1045.84
15	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5053-02-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	6.50	41.10	34.60	532.31
16	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6651- रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	30.00	76.83	46.83	156.10
17	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-337-1501- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 0948-केंद्रीय सड़क निधि	202.42	244.76	42.34	20.92
18	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5701-बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	6.40	76.67	70.27	1097.97
19	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6738-एन्यूटी	5.00	40.56	35.56	711.20
20	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	4705-212-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण	14.90	28.81	13.91	93.35
21	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10-वन विभाग 2406-02-796-110- 0702-केंद्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3730-वन्यजीव पर्यावास समन्वित विकास	27.00	47.91	20.91	77.44

1	2	3	4	5	6	7
22	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-796-205-1202- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	सांकेतिक	36.19	36.19	100
23	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-01-796-110- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	128.71	156.36	27.65	21.48
24	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-43-796-800- 1502-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	60.00	97.82	37.82	63.03
25	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-45-796-800- 1502-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-9091- ओंकारेश्वर परियोजना	149.81	252.31	102.50	68.42
26	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-80-796-800- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	0.50	66.08	65.58	13116.00
27	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 3803- लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं	91.67	166.37	74.70	81.49
28	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-1501- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	162.11	277.39	115.28	71.11

1	2	3	4	5	6	7
29	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2215-02-796-198-0702-केंद्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5206- समग्र स्वच्छता अभियान	18.56	29.22	10.66	57.43
30	55-महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	100.00	141.08	41.08	41.08
31	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत	40.00	262.95	222.95	557.37
32	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4215-01-102-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	नगण्य	39.25	39.25	100
33	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 6074-नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति	नगण्य	65.04	65.04	100
34	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 6077-नवीन लघु सिंचाई योजनाएं	नगण्य	88.80	88.80	100
35	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-789-205-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) -6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	सांकेतिक	29.14	29.14	100
36	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-01-789-110-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5724- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	52.40	75.40	23.00	43.89

1	2	3	4	5	6	7
37	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-04-789-800- 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	47.78	66.59	18.81	39.37
38	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-80-789-800- 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-5701- बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	1.83	42.86	41.03	2242.08
39	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101- 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6484- आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	12.86	27.86	15.00	116.64
40	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 4215-01-789-102- 0703-केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	50.75	64.26	13.51	26.62
41	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-198-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5198-इंदिरा आवास योजना	39.19	57.49	18.30	46.69
42	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2853-02-198-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	200.00	304.29	104.29	52.14
43	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6221-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स	55.49	69.49	14.00	25.23
योग			2337.61	4481.18	2143.57	91.70

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (ग)

योजनाओं के प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10 करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.4; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7105-8.00% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2012	10.33	निरंक	10.33	100
2	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7191-9.05% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	90.50	निरंक	90.50	100
3	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7245-8.92% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2022	44.60	निरंक	44.60	100
4	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-1217-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित से लिए गए ऋणों पर ब्याज	16.00	निरंक	16.00	100
5	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	30.00	निरंक	30.00	100
6	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-103-0925-केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	12.00	निरंक	12.00	100
7	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	25.00	निरंक	25.00	100
8	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6972-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	60.00	निरंक	60.00	100
9	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
10	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
11	03	पुलिस	2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	70.00	निरंक	70.00	100
12	03	पुलिस	4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	25.00	निरंक	25.00	100
13	06	वित्त	2052-091-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7315-शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण	10.00	निरंक	10.00	100
14	06	वित्त	2070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0224-अन्य व्यय	1200.00	निरंक	1200.00	100
15	06	वित्त	2701-01-101-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	12.00	निरंक	12.00	100
16	06	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	300.00	निरंक	300.00	100
17	06	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100
18	06	वित्त	6801-800-6443-अधोसंरचना विकास के लिए ऋण	800.00	निरंक	800.00	100
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0701-केंद्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)-5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	15.00	निरंक	15.00	100
20	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6271-जयप्रकाश अस्पताल का आधुनिकीकरण	10.00	निरंक	10.00	100
21	23	जल संसाधन विभाग	4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निर्देशन और प्रशासन	37.80	निरंक	37.80	100

1	2	3	4	5	6	7	8
22	23	जल संसाधन विभाग	4701-61-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	23.96	निरंक	23.96	100
23	23	जल संसाधन विभाग	4701-66-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	20.00	निरंक	20.00	100
24	23	जल संसाधन विभाग	4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निर्देशन और प्रशासन	29.00	निरंक	29.00	100
25	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	34.60	निरंक	34.60	100
26	26	संस्कृति	2205-800-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6464-स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास आदि कार्य	48.58	निरंक	48.58	100
27	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6577-आयोजनागत योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	75.10	निरंक	75.10	100
28	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	49.94	निरंक	49.94	100
29	40	जल संसाधन विभाग कमान क्षेत्र विकास से संबंधित व्यय	4705-207-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-2304-निर्देशन और प्रशासन	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
30	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13- ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190- 1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	179.04	निरंक	179.04	100
31	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13- ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190- 1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	36.19	निरंक	36.19	100
32	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190- 1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) -7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	123.82	निरंक	123.82	100
33	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-796-800- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7193- परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	14.20	निरंक	14.20	100
34	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-796-800- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7201- अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	49.75	निरंक	49.75	100

1	2	3	4	5	6	7	8
35	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4210-04-796-112- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	14.90	निरंक	14.90	100
36	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-54-796-800- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	12.00	निरंक	12.00	100
37	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50-महिला एवं बाल विकास विभाग 4235-02-796-102- 1302-केंद्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 5360- आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण	20.00	निरंक	20.00	100
38	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निदेशन एवं प्रशासन	35.40	निरंक	35.40	100
39	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6399-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-1)	25.00	निरंक	25.00	100
40	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6403-इंदिरा सागर परियोजना यूनिट-1 का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान	27.00	निरंक	27.00	100
41	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-1401- नाबार्ड (सामान्य)- 7046-नाबार्ड अंतर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	50.00	निरंक	50.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
42	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-5360-आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण	64.00	निरंक	64.00	100
43	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	50.00	निरंक	50.00	100
44	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2700-80-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	99.00	निरंक	99.00	100
45	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-001-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	400.00	निरंक	400.00	100
46	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	10.80	निरंक	10.80	100
47	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	40.25	निरंक	40.25	100
48	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	142.39	निरंक	142.39	100

1	2	3	4	5	6	7	8
49	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	29.14	निरंक	29.14	100
50	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	93.59	निरंक	93.59	100
51	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	50-महिला एवं बाल विकास विभाग 4235-02-789-102-1303-केंद्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5360-आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण	16.00	निरंक	16.00	100
52	70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2203-112-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7870-विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान	12.48	निरंक	12.48	100
53	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2853-02-198-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	111.53	निरंक	111.53	100
54	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल, योजनाओं के लिए विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	निरंक	10.00	100
55	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
56	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	126.61	निरंक	126.61	100
57	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	28.80	निरंक	28.80	100
योग				8916.30		8916.30	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3

पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोग की संख्या	अनुदानों/विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
1	2	3	4
1997-98	10 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 7,20,24, 27,58, 67 पूंजीगत (दत्तमत): 20,21,61,69 राजस्व (प्रभारित): ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, 31,67	302.79
1998-99	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 62	0.10
1999-2000	11 अनुदान 06 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 14,27,44,50,59 पूंजीगत (दत्तमत): 3,23,60,69,75,89 राजस्व (प्रभारित): 6,23,24,30 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21	1584.94
2000-01	03 अनुदान 04 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 2,70 पूंजीगत (दत्तमत) : 88 राजस्व (प्रभारित) : 24 पूंजीगत (प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	265.07
2002-03	03 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,53,67 राजस्व (प्रभारित): 44,67 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	424.79
2003-04	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 68,84 पूंजीगत (दत्तमत): 35,94 राजस्व (प्रभारित): 20,67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	2.54
2004-05	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,59,67,92,94 पूंजीगत (दत्तमत): 6,19,30,59,66,78,84,86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित): 45	83.66
2005-06	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूंजीगत (दत्तमत) : 6,39 पूंजीगत(प्रभारित) : 21,45	37.58
2006-07	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूंजीगत(प्रभारित) : 24	35.99
2008-09	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 62 पूंजीगत (दत्तमत) : 43 राजस्व (प्रभारित) : 24 पूंजीगत (प्रभारित): 24	5.80
2009-10	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 3, 27, 32, 49	123.96
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 23 पूंजीगत(प्रभारित): 24	12.62

1	2	3	4
2011-12	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 33 पूंजीगत (दत्तमत) : 15,52,74 राजस्व (प्रभारित) : 23 पूंजीगत (प्रभारित): 23	135.10
योग	61अनुदान एवं 32 विनियोग		3014.94

परिशिष्ट 2.4

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.7; पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6
क-राजस्व (दत्तमत)					
1	01-सामान्य प्रशासन और लोक सेवा प्रबंधन	241.61	235.01	6.60	34.45
2	03-पुलिस	2899.31	2871.78	27.53	383.92
3	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	20.28	18.01	2.27	1.03
4	06-वित्त	7288.95	5063.40	2225.55	1.10
5	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	901.12	743.21	157.91	2.58
6	10-वन	1404.65	1343.04	61.61	43.23
7	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	861.67	827.88	33.79	137.71
8	14-पशुपालन	542.83	508.54	34.29	49.96
9	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	1137.43	1031.64	105.79	45.90
10	16-मछली पालन	53.70	44.92	8.78	3.47
11	17-सहकारिता	390.54	353.97	36.57	7.42
12	18-श्रम	113.28	104.96	8.32	14.18
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2145.14	2041.38	103.76	136.04
14	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	392.65	345.04	47.61	27.35
15	26-संस्कृति	108.29	83.68	24.61	30.02
16	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4702.85	4068.00	634.85	96.43
17	28-राज्य विधान मंडल	49.22	48.18	1.04	7.05
18	29-विधि और विधायी कार्य	638.85	492.92	145.93	46.27
19	30-ग्रामीण विकास	564.52	488.98	75.54	2.83
20	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	240.94	68.49	172.45	39.09
21	34-सामाजिक न्याय	181.63	156.92	24.71	12.05
22	36-परिवहन	60.09	49.47	10.62	3.29
23	38-आयुष	341.84	208.02	133.82	2.30
24	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2717.96	2573.96	144.00	275.72

1	2	3	4	5	6
25	43-खेल और युवक कल्याण	48.01	40.18	7.83	12.66
26	44-उच्च शिक्षा	958.29	855.94	102.35	20.54
27	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	229.25	180.66	48.59	10.15
28	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1710.41	1651.42	58.99	58.01
29	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	99.00	52.46	46.54	60.46
30	63-अल्पसंख्यक कल्याण	43.60	43.11	0.49	7.43
31	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1865.98	1732.57	133.41	175.54
32	65-विमानन	18.51	15.80	2.71	3.75
33	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1230.75	1182.64	48.11	216.71
योग (क)		34203.15	29526.18	4676.97	1968.64
ख-पूँजीगत (दत्तमत)					
34	03-पुलिस	72.85	69.65	3.20	23.53
35	06-वित्त	1433.80	64.33	1369.47	5.05
36	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	479.88	400.97	78.91	26.32
37	55-महिला एवं बाल विकास विभाग	69.75	2.26	67.49	50.00
38	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1499.76	1312.04	187.72	214.82
योग (ख)		3556.04	1849.25	1706.79	319.72
ग-राजस्व (प्रभारित)					
39	आई.पी.-ब्याज अदायगी और ऋण सेवा	6275.08	5563.74	711.34	178.84
40	06-वित्त	14.78	11.85	2.93	10.00
41	29-विधि और विधायी कार्य	76.94	56.58	20.36	1.63
योग (ग)		6366.80	5632.17	734.63	190.47
घ-पूँजीगत (प्रभारित)					
42	पी.डी.-लोक ऋण	7482.73	3583.94	3898.79	4.37
योग (घ)		7482.73	3583.94	3898.79	4.37
योग (क+ख+ग+घ)		51608.72	40591.54	11017.18	2483.20

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.7; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
क-राजस्व (दत्तमत)					
1	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	44.50	1.64	45.44	0.70
2	05-जेल	171.40	17.40	186.75	2.05
3	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	196.65	32.08	212.54	16.19
4	12-ऊर्जा	2040.23	653.92	2691.49	2.66
5	32-जनसंपर्क	129.78	70.26	193.37	6.67
6	37-पर्यटन	38.72	2.60	40.83	0.49
7	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1058.75	897.79	1892.43	64.11
8	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	19.38	53.02	68.33	4.07
9	55-महिला एवं बाल विकास	2097.95	327.67	2287.58	138.04
10	56-ग्रामोद्योग	103.47	9.42	108.23	4.66
11	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	489.46	80.07	561.08	8.45
12	72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	65.05	4.51	65.82	3.74
13	73-चिकित्सा शिक्षा	291.86	99.11	360.14	30.83
14	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5395.70	476.68	5588.11	284.27
15	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	4096.86	464.16	4227.89	333.13
योग (क)		16239.76	3190.33	18530.03	900.06
ख-पूँजीगत (दत्तमत)					
16	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	4.80	6.08	9.43	1.45
17	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	422.25	142.66	534.65	30.26
18	12-ऊर्जा	3883.95	1986.97	5245.96	624.96
19	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	5.55	20.71	13.21	13.05
20	37-पर्यटन	79.00	13.49	89.99	2.50
21	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	400.00	304.50	454.79	249.71
22	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	15.25	12.00	21.25	6.00
23	73-चिकित्सा शिक्षा	28.85	2.25	29.40	1.70
योग (ख)		4839.65	2488.66	6398.68	929.63
ग-राजस्व (प्रभारित)					
24	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	19.07	5.38	20.72	3.73
25	03-पुलिस	0.51	0.50	0.53	0.48
योग (ग)		19.58	5.88	21.25	4.21
योग (क+ख+ग)		21098.99	5684.87	24949.96	1833.90

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय-मूल प्रावधान = 24949.96 - 21098.99 = 3850.97

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.8; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	10	वन	2406-02-110-2899-राष्ट्रीय उद्यान	(+) 4.54	(-) 2.49	54.85
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	(+) 1.00	(-) 3.17	100
3	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय	(+) 19.50	(-) 17.51	89.79
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वाँ वित्त आयोग)	(-)10.00	(+)6.84	68.40
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-02-107-1249-प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुसंधान कार्य	(+) 1.88	(-) 2.82	100
6	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(+)9.74	(-)2.68	27.52
7	23	जल संसाधन	4700-13-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+) 53.60	(-) 23.92	44.63
8	28	राज्य विधान मंडल	2011-02-101-4007-विधायक/मंत्री	(-) 1.59	(+) 3.64	100
9	29	विधि और विधायी कार्य	2015-102-2409-निर्वाचन अधिकारी	(-) 4.06	(+) 1.79	44.09
10	38	आयुष	2210-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय	(+) 5.69	(-) 12.09	100

1	2	3	4	5	6	7
11	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	(+) 32.34	(-) 24.27	75.05
12	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-25-796-800-1502- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) -3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	(+) 2.07	(-) 15.34	100
13	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-54-796-800-0420- खनिज क्षेत्र विकास निधि- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	(+) 22.65	(-) 50.64	100
14	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 3803- लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं	(-) 1.00	(+) 75.70	100
15	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6831-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	(+) 16.33	(-) 5.76	35.27
16	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-193-5498-बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थानों को सहायता	(+) 4.00	(-) 1.65	41.25
17	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 6068-निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाएं	(+) 23.50	(-) 8.50	36.17
18	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-191-8403- अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिए अनुदान	(-) 28.14	(+) 7.95	28.25
19	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235-02-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(-) 2.34	(+) 8.13	100

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7

प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक तथा बचतों का 20 प्रतिशत से अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.10; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पण की जाने से रह गई	समर्पित नहीं की गई राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व (प्रभारित)					
1	आई.पी.-ब्याज अदायगी और ऋण सेवा	890.18	0.47	889.71	99.95
2	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	3.67	निरंक	3.67	100
3	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	1.48	निरंक	1.48	100
राजस्व (दत्तमत)					
4	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	3.29	0.91	2.38	72.34
5	06-वित्त	2226.65	52.05	2174.60	97.66
6	07-वाणिज्यिक कर	93.65	52.71	40.94	43.71
7	10-वन	104.84	66.49	38.35	36.58
8	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	16.18	निरंक	16.18	100
9	12-ऊर्जा	2.67	1.51	1.16	43.44
10	14-पशुपालन	84.24	निरंक	84.24	100
11	16-मछली पालन	12.25	निरंक	12.25	100
12	18-श्रम	22.50	16.63	5.87	26.09
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	239.81	37.75	202.06	84.26
14	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	74.96	46.68	28.28	37.73
15	21-आवास एवं पर्यावरण	7.56	0.0001	7.56	100
16	23-जल संसाधन	102.01	15.03	86.98	85.27
17	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	138.27	निरंक	138.27	100
18	26-संस्कृति	54.63	निरंक	54.63	100
19	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	731.28	185.88	545.40	74.58
20	28-राज्य विधान मंडल	8.09	2.12	5.97	73.79
21	29-विधि और विधायी कार्य	192.19	141.24	50.95	26.51
22	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	211.54	136.17	75.37	35.63
23	36-परिवहन	13.91	0.10	13.81	99.28
24	38-आयुष	136.12	निरंक	136.12	100

1	2	3	4	5	6
25	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	64.10	निरंक	64.10	100
26	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	2.67	0.58	2.09	78.28
27	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	8.64	4.29	4.35	50.35
28	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	33.86	14.65	19.21	56.73
29	49-अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	5.09	1.93	3.16	62.08
30	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	58.75	निरंक	58.75	100
31	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	4.07	निरंक	4.07	100
32	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	81.41	निरंक	81.41	100
33	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	107.00	0.0003	107.00	100
34	62-पंचायत	9.91	निरंक	9.91	100
35	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	308.96	232.68	76.28	24.69
36	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	84.44	निरंक	84.44	100
37	69-सूचना प्रौद्योगिकी	4.34	निरंक	4.34	100
38	73-चिकित्सा शिक्षा	30.83	निरंक	30.83	100
39	76-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	4.26	3.18	1.08	25.35
पूँजीगत (दत्तमत)					
40	03-पुलिस	26.73	निरंक	26.73	100
41	06-वित्त	1374.53	निरंक	1374.53	100
42	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	30.26	निरंक	30.26	100
43	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	105.23	58.39	46.84	44.51
44	23-जल संसाधन विभाग	205.68	126.62	79.06	38.44
45	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	13.06	निरंक	13.06	100
46	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3.52	निरंक	3.52	100
47	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	65.18	0.51	64.67	99.22
48	48-नर्मदा घाटी विकास	27.61	18.37	9.24	33.47
49	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50	निरंक	2.50	100
50	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	249.71	68.46	181.25	72.58
51	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	45.79	35.50	10.29	22.47
52	73-चिकित्सा शिक्षा	1.70	निरंक	1.70	100

1	2	3	4	5	6
पूँजीगत (प्रभारित)					
53	पी.डी.-लोक ऋण	3903.17	4.37	3898.80	99.89
54	06-वित्त	4.67	निरंक	4.67	100
योग		12239.64	1325.27	10914.37	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8

31 मार्च 2013 को ₹ दस करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.10; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	06	2075	43.32	31.23	72.09
2	07	2030	368.70	33.45	9.07
3	07	2039	1212.09	17.75	1.46
4	08	2029	477.93	85.15	17.82
5	08	2053	421.69	56.26	13.34
6	13	2402	67.83	14.70	21.67
7	13	2401	931.53	149.48	16.05
8	17	2425	397.96	43.96	11.05
9	22	2217	363.27	10.35	2.85
10	29	2014	546.35	128.16	23.46
11	29	2015	108.57	33.28	30.65
12	31	3451	98.49	16.13	16.38
13	31	3454	181.53	118.36	65.20
14	33	2202	851.64	27.57	3.24
15	33	2225	254.75	13.75	5.40
16	41	2202	961.41	183.21	19.06
17	41	2225	494.52	20.66	4.18
18	41	2235	293.54	18.65	6.35
19	41	2401	191.49	29.09	15.19
20	41	4235	20.00	20.00	100
21	53	2217	173.60	25.61	14.75
22	55	2235	1618.21	124.89	7.72
23	55	4235	119.75	117.49	98.11
24	61	4401	304.50	61.50	20.20
25	64	2202	439.07	83.98	19.13
26	64	2235	269.49	19.85	7.36
27	64	2401	153.58	35.01	22.80
28	64	4235	16.00	16.00	100
29	74	2202	1801.99	60.30	3.35
30	75	2202	540.92	58.41	10.80
31	75	2217	1148.27	202.07	17.60
32	75	3604	2551.16	20.01	0.78
33	77	2202	1404.12	258.54	18.41
योग			18827.27	2134.85	11.34

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9

व्यय की अधिकता

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.11; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2013 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	5710	13.40	13.13	14.46	92.67	90.80
2	03-पुलिस	6065	21.62	21.01	23.14	93.43	90.79
3	03-पुलिस	6463	31.49	27.66	48.32	65.17	57.24
4	07-वाणिज्यिक कर	6001	85.30	85.30	85.30	100	100
5	07-वाणिज्यिक कर	6002	151.76	151.76	151.76	100	100
6	08-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	6664	15.50	15.50	20.00	77.50	77.50
7	10-वन	3885	116.68	116.68	116.68	100	100
8	10-वन	5109	40.38	30.80	60.80	66.41	50.66
9	10-वन	7240	10.30	10.30	10.30	100	100
10	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	5380	60.45	58.99	82.58	73.20	71.43
11	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7140	29.10	29.10	49.10	59.27	59.27
12	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	6673	27.11	23.36	27.73	97.76	84.24
13	14-पशुपालन	6625	11.90	10.97	12.96	91.82	84.64
14	14-पशुपालन	7154	12.06	12.06	12.63	95.49	95.49
15	14-पशुपालन	7155	14.45	14.45	14.45	100	100
16	17-सहकारिता	6965	45.78	45.78	77.60	58.99	58.99
17	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6643	16.00	16.00	25.00	64.00	64.00
18	21-आवास तथा पर्यावरण	2020	45.17	43.55	56.18	80.40	77.52

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21-आवास तथा पर्यावरण	6115	12.24	12.24	13.24	92.45	92.45
20	23-जल संसाधन	5583	20.54	18.35	29.00	70.83	63.27
21	23-जल संसाधन	5584	14.22	12.82	22.33	63.68	57.41
22	23-जल संसाधन	5595	50.62	44.74	71.13	71.16	62.90
23	23-जल संसाधन	6598	22.06	22.06	22.20	99.37	99.37
24	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	3115	103.93	102.63	155.29	66.93	66.09
25	25-खनिज संसाधन	6606	1378.00	1378.00	1378.00	100	100
26	26-संस्कृति	4283	11.50	10.61	15.88	72.42	66.81
27	37-पर्यटन	7630	33.82	33.82	43.49	77.76	77.76
28	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	0570	13.28	13.28	13.28	100	100
29	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3229	15.90	15.90	24.00	66.25	66.25
30	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3248	10.09	10.09	10.09	100	100
31	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	6781	106.47	106.47	106.47	100	100
32	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	7272	69.08	69.08	90.86	76.03	76.03
33	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3730	31.70	27.11	47.72	66.43	56.81
34	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6484	17.14	17.14	17.14	100	100
35	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7272	11.29	11.29	11.29	100	100
36	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	9143	33.11	30.07	41.01	80.74	73.32
37	48-नर्मदा धाटी विकास	9091	221.45	215.06	302.87	73.12	71.01

1	2	3	4	5	6	7	8
38	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5198	23.20	21.21	42.32	54.82	50.12
39	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	0747	253.47	240.04	264.75	95.74	90.67
40	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	5498	15.49	11.68	20.36	76.08	57.37
41	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	7021	52.14	39.39	52.80	98.75	74.60
42	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6074	56.82	55.72	65.04	87.36	85.67
43	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6078	22.36	22.36	22.36	100	100
44	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6080	243.00	243.00	243.00	100	100
45	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1400	21.23	21.23	38.69	54.87	54.87
46	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	5701	41.03	41.03	42.86	95.73	95.73
47	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6484	27.86	27.86	27.86	100	100
48	69-सूचना प्रौद्योगिकी	5818	10.42	10.42	10.42	100	100
49	69-सूचना प्रौद्योगिकी	7062	20.00	20.00	20.00	100	100
50	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4610	405.37	244.74	429.99	94.27	56.92
51	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6086	22.05	22.05	22.05	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
52	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6099	12.27	12.27	12.27	100	100
53	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6226	33.84	22.56	33.84	100	66.67
54	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6244	815.07	555.48	872.39	93.43	63.67
55	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6299	221.80	183.17	304.29	72.89	60.19
56	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5728	16.50	16.50	16.50	100	100
57	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7056	20.52	20.52	23.64	86.80	86.80
58	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6005	121.74	89.03	121.74	100	73.13
59	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6970	17.00	17.00	17.00	100	100
60	पी.डी.-लोक ऋण	6771	129.50	129.50	129.50	100	100
61	पी.डी.-लोक ऋण	7110	247.00	247.00	247.00	100	100
62	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	3089	45.24	45.24	45.24	100	100
63	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4033	29.34	29.34	29.34	100	100
64	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5042	1515.89	1515.89	1569.91	96.56	96.56
65	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6587	402.56	402.56	436.22	92.28	92.28

1	2	3	4	5	6	7	8
66	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6622	126.80	82.20	126.80	100	64.83
67	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6804	25.45	25.45	25.45	100	100
68	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6880	48.88	48.88	48.88	100	100
69	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6881	72.96	72.96	72.96	100	100
70	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7108	109.85	109.85	109.85	100	100
योग			8151.54	7523.29	8849.60	92.11	85.01

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.10

निधियों का 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरण दिखाये जाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.12; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखे का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान (मूल+पूरक)	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	2070-003-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य (राज्य आयोजना)	5.00	5.00	5.00
2	03- पुलिस	2055-109-1301-6463-पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13वाँ वित्त आयोग)	9.07	8.75	4.18
3	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-1501-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	185.41	186.56	44.26
4	26- संस्कृति	2205-107-0101-4283-संग्रहालय (राज्य आयोजना)	17.43	15.88	10.00
5	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0701-1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	63.48	47.26	0.97
6	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-789-105-0702-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	1.14	1.14	1.03
7	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2401-789-800-1502-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	55.90	49.71	1.26
8	47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-105-0701-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	17.62	12.64	11.47
9	55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	702.00	657.63	12.06
10	55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0701-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	5.81	5.56	0.47
11	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1501-6080-भण्डार एवं विपणन	237.80	200.00	200.00
12	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1503-6080-भण्डार एवं विपणन	66.70	43.00	43.00

1	2	3	4	5	6
13	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-6074- नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति	सांकेतिक	65.04	51.12
14	64-अनुसूचित जाति उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-789-105-0703- 2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	2.43	2.43	2.20
15	64-अनुसूचित जाति उपयोजना (किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग)	2401-789-800-1503- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	41.90	36.70	1.96
योग			1411.69	1337.30	388.98

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.11

बजट में प्रावधानित नवीन मद के व्यय के लिए ₹ एक करोड़ से अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त दिखाए जाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.14; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5
1	03-पुलिस	4070-800-0101-7188-आपदा प्रबंधन के लिए निर्माण	1.25	निरंक
2	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4851-800-0101-7138-ए.के.व्ही.एन. सागर में निवेश हेतु ट्रायफेक को अंशपूजी सहायता	1.00	निरंक
3	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6743-आई. ई.सी. (सूचना एवं प्रसार)	2.45	निरंक
4	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2401-796-105-0102-6669-स्वायल हेल्थ कार्ड	1.20	निरंक
5	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2210-03-796-103-0102-7199-विशेष कैंडर के चिकित्सा अधिकारियों को विशेष भत्ता	8.00	निरंक
6	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2210-06-796-101-0102-7200-छात्रावासों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण	1.50	निरंक
7	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2210-06-796-800-0102-7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	14.20	निरंक
8	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2210-06-796-800-0102-7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	49.75	निरंक
9	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4210-04-112-0102-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	14.90	निरंक
10	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4210-04-796-112-0102-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	5.90	निरंक
11	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2225-02-800-0602-7206-बिखरे हुए बी. पी. एल. कृषकों को डीजल/विद्युत पंप का प्रदाय	1.00	निरंक
12	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2235-02-796-105-0102-6688-नशामुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों की स्थापना	1.35	निरंक
13	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2235-60-796-102-0102-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना	1.50	निरंक
14	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0101-7141-हार्टिकल्चर हब की स्थापना	6.25	निरंक
15	55-महिला एवं बाल विकास	4235-02-800-1201-6741-मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)	2.00	निरंक
16	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2401-789-105-0103-6669-स्वायल हेल्थ कार्ड	1.90	निरंक
17	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2210-06-101-0103-7200-छात्रावासों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण	1.50	निरंक
18	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2210-06-789-800-0103-7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	10.80	निरंक
19	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2210-06-789-800-0103-7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	40.25	निरंक

1	2	3	4	5
20	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	4210-04-789-112-0103-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	9.90	निरंक
21	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	4210-04-789-112-0103-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	5.90	निरंक
22	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2235-60-102-0103-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना	1.00	निरंक
23	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0101-7213-मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण	1.50	निरंक
24	75-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2217-05-800-7056-अग्निशमन सेवाएं	1.00	निरंक
योग			186.00	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12

चयनित अनुदान में योजनाओं के अधीन अप्रयुक्त प्रावधान

(संदर्भ: कण्डिका 2.4.2; पृष्ठ 70)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण							
1	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-0101-6742-जन लोक भागीदारी योजना	0.01	निरंक	0.01	100
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-0101-6743-आई.ई.सी. (सूचना एवं प्रसार)	2.45	निरंक	2.45	100
3	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-6744-फायलेरिया कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना	1.00	निरंक	1.00	100
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-6745-ऑपरेशन एवं प्रायोगिक खोज	2.00	निरंक	2.00	100
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-6746-माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान करना	2.00	निरंक	2.00	100
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-7121-परिवार कल्याण संचार की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना	1.00	निरंक	1.00	100
7	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-7123-माता से बच्चों में होने वाले संक्रमण की रोकथाम	5.00	निरंक	5.00	100
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-101-0101-6845-आई.डी.एस.पी. प्रोजेक्ट	0.60	निरंक	0.60	100
9	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-01-110-0101-6271-जयप्रकाश अस्पताल का आधुनिकीकरण	10.00	निरंक	10.00	100
10	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-6623-बेटी बचाओ अभियान	1.72	निरंक	1.72	100

1	2	3	4	5	6	7	8
11	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-796-103-0102-7199-विशेष केडर के चिकित्सा अधिकारियों को विशेष भत्ता	8.00	निरंक	8.00	100
12	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-796-003-0102-7198-बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की स्वावलंबन योजना	1.00	निरंक	1.00	100
13	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-796-003-0102-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	0.10	निरंक	0.10	100
14	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-003-0102-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	0.10	निरंक	0.10	100
15	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-796-101-0102-7196-टी.बी. रोग का उपचार	1.00	निरंक	1.00	100
16	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-796-101-0102-7200-छात्रावासों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण	1.50	निरंक	1.50	100
17	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-04-112-0102-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	5.90	निरंक	5.90	100
18	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-789-003-0103-4224-शिक्षा और प्रशिक्षण	1.00	निरंक	1.00	100
19	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-789-003-0103-7198-बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की स्वावलंबन योजना	1.00	निरंक	1.00	100
20	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-789-003-0103-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	0.10	निरंक	0.10	100
21	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-789-003-0103-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	0.10	निरंक	0.10	100

1	2	3	4	5	6	7	8
22	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-101-0103-7200-छात्रावासों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण	1.50	निरंक	1.50	100
23	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-800-0103-7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	10.80	निरंक	10.80	100
24	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-800-0103-7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	40.25	निरंक	40.25	100
25	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-04-789-112-0103-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	9.90	निरंक	9.90	100
26	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-04-789-112-0103-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	5.90	निरंक	5.90	100
योग				113.93		113.93	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.13

पूँजीगत अनुभाग से संबंधित पूँजीगत परिसम्पत्तियों के उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों के अधीन प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान राशि ₹ एक लाख तथा अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.4.5; पृष्ठ 70)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष	योजना शीर्ष	राशि
1	2	3	4	5
1	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	6229	15.00
2	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	2283	0.15
3	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0078	0.16
4	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	6050	0.60
5	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	7558	0.50
6	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	6271	0.50
7	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	6451	0.88
8	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	8798	2.00
9	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0093	0.20
10	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	1473	7.00
11	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0077	0.40
12	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	9360	0.04
13	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	7317	1.50
14	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	5998	1.10
15	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	9812	0.40
16	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	5189	0.09
17	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0859	0.20
18	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	2818	0.03
19	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	8150	0.04
20	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	1070	0.33
21	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0750	0.08
22	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	3704	0.01
23	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0336	2.00
24	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	2880	0.01
25	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	2703	2.00
26	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	5008	2.00
योग				37.22

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 3.1

मार्च 2013 की स्थिति में लंबित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार जानकारी

(संदर्भ: कंडिका 3.1 ; पृष्ठ 73)

स.क्र.	विभागों के नाम	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4
1	राजस्व	2029	1.20
2	समाज कल्याण	2235	748.03
3	नगरीय प्रशासन	3604	9547.83
4	ग्रामीण विकास	2501,2505	4880.96
5	सहकारिता	6425,2425	367.77
6	सिंचाई	2702	1.87
7	ऊर्जा	2801,2810	996.74
8	पशु पालन	2403	249.30
9	आबकारी	2039,2045	2.04
10	जेल	2056	0.02
11	महिला एवं बाल विकास	2236	86.44
12	पुलिस	2055	1.92
13	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	2250	17.85
14	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	22.76
15	उद्योग	2851,2852	433.48
16	विधि एवं विधायी कार्य	2014	2.12
17	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	4942.10
18	लोक निर्माण विभाग	2216	214.16
19	भौमिकी एवं खनिकर्म	2853	229.89
20	मत्स्योद्योग	2405	108.41
21	पर्यटन	3452	10.81
22	कृषि	2401,4402	464.40
23	श्रम	2230	51.43
24	सामान्य प्रशासन	2075,2052	89.25
25	आर्थिक एवं सांख्यिकी	3454	57.44
26	संस्थागत वित्त	2047	0.01
27	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	21.80
28	चिकित्सा सेवाएं	2210	9.64
29	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	379.87
30	शिक्षा विभाग	2202	4284.51
31	खेलकूद तथा युवक कल्याण	2204	10.79
32	राजभाषा एवं संस्कृति विभाग	2205	0.93
33	जिला प्रशासन	2053	5.14
	योग	40 मुख्य शीर्ष	28240.91

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्राप्त सूचना पर आधारित)

परिशिष्ट-3.2

दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधि अनुसार विश्लेषण
(संदर्भ: कड़िका 3.3 ; पृष्ठ 75)

स. क्र.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष तथा इससे अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या			
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	4	21.09	3	14.99	7	7.08	5	22.35	6	8.98	26	14.76	51	89.25		
2	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	5.94	11	5.94		
3	2054-कोषालय एवं लेखे	7	376.05	0	0.00	0	0.00	1	18.25	0	0.00	9	14.79	17	409.09		
4	2215-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6	79.84	2	1.38	1	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	81.70		
5	2014-न्याय प्रशासन	2	6.79	4	3.05	0	0.00	0	0.00	1	0.44	2	0.29	9	10.57		
6	2053-जिला प्रशासन	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.80	3	0.81		
7	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.17	0	0.00	0	0.00	1	0.17		
8	2013-सामान्य प्रशासन	1	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.32		
9	2015-निर्वाचन	1	7.90	0	0.00	0	0.00	1	3.81	0	0.00	0	0.00	2	11.71		
10	2220-जन सम्यर्क	1	0.02	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.02		
11	2055-पुलिस	152	42.13	153	32.41	64	38.15	19	15.41	21	7.68	0	0.00	409	135.78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	6.40	9	8.65	5	1.82	23	16.87
13	2235-महिला एवं बाल कल्याण	0	0.00	1	1.31	1	4.04	1	0.14	4	2.26	4	3.11	11	10.86
14	2202-स्कूल शिक्षा	59	2699.81	25	37.35	8	4.40	15	8.79	20	12.84	32	14.28	159	2777.47
15	2203-तकनीकी शिक्षा	13	18.38	4	9.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	27.51
16	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	1	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.45
17	2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.25	0	0.00	1	13.12	0	0.00	0	0.00	2	13.37
18	2230-श्रम तथा रोजगार	7	4.13	2	0.18	1	6.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	11.07
19	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2	43.56	1	1.33	3	1.54	2	2.99	2	0.35	1	0.02	11	49.79
20	2505-ग्रामीण रोजगार	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
21	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2	1.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.36
22	2403-पशु पालन	5	4.98	3	0.74	4	8.73	2	3.11	2	0.15	3	0.24	19	17.95
23	2401-कृषि	2	1.73	7	12.41	0	0.00	0	0.00	3	0.48	0	0.00	12	14.62
24	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	275	484.99	218	240.73	393	366.10	347	151.89	631	126.86	505	95.15	2369	1465.72
25	लोक निर्माण विभाग	4	18.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	18.66
26	जल संसाधन विभाग	6	4.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	4.84
27	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	3	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.36
	योग	554	3817.39	426	355.27	482	437.28	404	246.43	699	168.69	600	151.20	3165	5176.26

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संचालित सूचना पर आधारित)

परिशिष्ट 3.3

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के संबंध में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 75)

स.क्र.	विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	19	14.68	32	74.57	51	89.25
2.	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	11	5.94	11	5.94
3.	2054-कोषालय एवं लेखे	5	23.61	12	385.48	17	409.09
4.	2215-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6	2.46	3	79.24	9	81.70
5.	2014-न्याय प्रशासन	6	3.38	3	7.19	9	10.57
6.	2053-जिला प्रशासन	0	0.00	3	0.81	3	0.81
7.	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0	0.00	1	0.17	1	0.17
8.	2013-सामान्य प्रशासन	0	0.00	1	0.32	1	0.32
9.	2015-निर्वाचन	1	7.90	1	3.81	2	11.71
10.	2220-जन सम्पर्क	0	0.00	2	0.02	2	0.02
11.	2055-पुलिस	6	28.84	403	106.94	409	135.78
12.	2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	11	9.23	12	7.64	23	16.87
13.	2235- महिला एवं बाल कल्याण	3	5.08	8	5.78	11	10.86
14.	2202-स्कूल शिक्षा	75	82.94	84	2694.53	159	2777.47
15.	2203-तकनीकी शिक्षा	11	12.22	6	15.29	17	27.51
16.	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	1	0.45	0	0.00	1	0.45
17.	2505-ग्रामीण रोजगार	2	13.37	0	0.00	2	13.37
18.	2230-श्रम एवं रोजगार	8	4.07	2	7.00	10	11.07
19.	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6	3.39	5	46.40	11	49.79
20.	2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.00	1	0.00
21.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1	1.25	1	0.11	2	1.36
22.	2403-पशु पालन	7	6.70	12	11.25	19	17.95
23.	2401- कृषि	9	8.02	3	6.60	12	14.62
24.	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	39	10.00	2330	1455.72	2369	1465.72
25.	लोक निर्माण विभाग	3	11.66	1	7.00	4	18.66

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	जल संसाधन विभाग	6	4.84	0	0.00	6	4.84
27.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	3	0.36	0	0.00	3	0.36
	योग	228	254.45	2937	4921.81	3165	5176.26

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संघारित सूचना पर आधारित)

परिशिष्ट 3.4

2012-13 के लिए अपलेखन के प्रकरणों के विभागवार विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 76)

स.क्र.	विभाग	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	सी.एम.एच.ओ. राजगढ़	डी.एच.ओ. राजगढ़ में गबन	1	10684.00
2.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	अधीक्षक, रानी दुर्गावती अस्पताल, जबलपुर	रानी दुर्गावती (लेडी ऑल्विन) अस्पताल, जबलपुर में संदिग्ध गबन	1	88199.77
3.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	अतिरिक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल	आयुर्वेदिक अस्पताल महाविद्यालय, जबलपुर के स्टोर में चोरी	1	92364.00
4.	2211-परिवार कल्याण	सी.एम.एच.ओ. उज्जैन	गबन	1	14595.00
5.	2055-पुलिस	महानिदेशक पुलिस, मध्य प्रदेश, भोपाल	वायरलेस सेटों की चोरी के कारण हुई हानि, वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त इत्यादि	21	236683.00
6.	2202-शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी, इंदौर	किताबों को नष्ट किए जाने के कारण हुई हानि	1	4377.35
7.	2202-शिक्षा	संचालक, लोक शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	1	36113.75
8.	2403-पशु पालन	संचालक, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा जैवकीय संस्थान, महु, मध्य प्रदेश	कांच से बने पदार्थ/यंत्र अनुपयोगी वस्तुएँ/ अतिरिक्त हिस्से इत्यादि	8	25656.00
9.	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं बजट मध्य प्रदेश भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण	31	657823.00
	योग			66	1166495.87

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संघारित सूचना पर आधारित)

परिशिष्ट 3.5

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग

(संदर्भ: कंडिका 3.6 ; पृष्ठ 78)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय (₹ करोड़ में)	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	68.97	68.97	100.00
2	4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	13.90	13.90	100.00
3	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.05	8.05	100.00
4	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.76	3.76	100.00
5	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.22	6.17	99.20
6	2702	लघु सिंचाई	94.90	87.63	92.33
7	2075	विविध सामान्य सेवायें	12.64	11.54	91.30
8	2852	उद्योग	141.47	129.11	91.26
9	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान इत्यादि)	1451.76	1303.34	89.78
10	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (ओंकारेश्वर परियोजना तथा नहर उद्वहन इत्यादि)	2365.98	2111.99	89.26
11	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1703.78	1378.00	80.88
12	2204	खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	85.34	53.02	62.13
13	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	836.54	505.69	60.45
14	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2074.65	1137.07	54.81
15	2705	कमान क्षेत्र विकास	2.47	1.26	51.01
		योग	8870.43	6819.50	

(स्रोत: वित्त लेखे 2012-13)

परिशिष्ट 3.6

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुकिंग

(संदर्भ: कंडिका 3.6 ; पृष्ठ 78)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1	0852	उद्योग	24.08	24.37	101.20*
2	0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2443.39	2446.13	100.11*
3	0801	बिजली	370.69	370.69	100.00
4	0702	लघु सिंचाई	379.62	379.62	100.00
5	0220	सूचना एवं प्रचार	0.21	0.21	100.00
6	0211	परिवार कल्याण	0.23	0.23	100.00
7	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	18.94	18.94	100.00
8	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	9.78	9.75	99.69
9	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	45.77	44.07	96.29
10	0217	शहरी विकास	41.61	39.39	94.66
11	0700	मुख्य सिंचाई	57.22	50.79	88.76
12	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1682.50	1488.22	88.45
13	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.60	2.21	85.00
14	0059	लोक निर्माण-कार्य	33.22	28.17	84.80
15	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	44.83	30.72	68.52
16	1601	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	12040.20	7199.90	59.80
17	0215	जलपूर्ति तथा सफाई	11.09	5.95	53.65
18	0403	पशु पालन	2.46	1.27	51.63
		योग	17208.44	12140.63	

(स्रोत: वित्त लेखे 2012-13)

* मुख्य शीर्ष के अंतर्गत निवल आंकड़े, मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 900-घटाएँ वापसियाँ के प्रभाव के कारण लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों से कम थे।